भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

आपराधिक मानहानि विधि

रिपोर्ट सं. 285

जनवरी, 2024

22वें विधि आयोग का गठन भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश संख्या 45021/1/2018-प्रशा. ।।। (एल.एल) तारीख 21 फरवरी, 2020 द्वारा गजट अधिसूचना द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया। 22वें विधि आयोग की अवधि का विस्तार आदेश सं. 60011/275/2022-प्रशा.।।। (एल.ए.) तारीख 22 फरवरी, 2023 द्वारा किया गया। विधि आयोग अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य, सदस्य सचिव, दो पदेन सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य से मिलकर बना है।

अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी

पूर्णकालिक सदस्य

माननीय न्यायमूर्ति के. टी शंकरन
प्रो. (डा.) आनंद पालीवाल
प्रो. डी. पी. वर्मा

पदेन सदस्यी

डा. नितेन चंद्रा, सचिव, विधि कार्य विभाग
डा. राजीव मणि, सचिव, विधायी विभाग

अंशकालिक सदस्य

श्री एम. करुणानिधि
प्रो. (डा.) राका आर्या

विधि अधिकारी

श्रीमती वर्षा चंद्रा, संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी
श्री अतुल कुमार गुप्ता, उप विधि अधिकारी

विधि परामर्शी

श्री ऋषि मिश्रा
श्री गौरव यादव
श्री शुभांग चतुर्वेदी
सुश्री प्रिया राठी
सुश्री रुचिका यादव
सुश्री दीपिका चौधरी
श्री कुमार अभिषेक
श्री अनुभव दुबे

विधि आयोग, द्वितीय और चतुर्थ तल,
बी.-विंग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली 110003-पर स्थित है ।

यह रिपोर्ट www.lawcommissionofindia.nic.in की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

©भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

Justice Ritu Raj Awasthi
(Former Chief Justice of High Court of Karnataka)
Chairperson
22nd Law Commission of India

न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी
सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश), कर्नाटका उच्च न्यायालय(
अध्यक्ष
भारत के 22वें विधि आयोग

अ.शा. प. सं. 6(3)316/2017-एल.सी.(एल.एस.) तारीख 31 जनवरी, 2024

माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी

नमस्कार।

मुझे **"आपराधिक मानहानि विधि" पर भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 285,** आपको अग्रेषित करते हुए प्रसन्नता हो रही है। विधि आयोग ने विधि और न्याय मंत्रालय से तारीख 04 अगस्त, 2017 द्वारा मानहानि विधियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की परीक्षा करने और उस पर सिफारिशें करने के लिए आयोग से अनुरोध करते हुए एक निर्देश प्राप्त किया।

माननीय उच्चतम न्यायालय को **सुब्रमण्यम स्वामी** बनाम **भारत संघ** [(2016) 7 एससीसी 221] वाले मामले में आपराधिक मानहानि की संवैधानिकता की परीक्षा करने का अवसर मिला। विस्तार से मुद्दे की परीक्षा करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499 को चुनौती को खारिज कर दिया और अनुच्छेद 19(1)(क) में अधिष्ठापित वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति अनुच्छेद 19(2)(क) के अधीन युक्तियुक्त निर्बंधन होने के कारण इसे संवैधानिक रूप से विधिमान्य अभिनिर्धारित किया।

इसके अनुसरण में, 22वें विधि आयोग ने मानहानि की विधि के इतिहास, वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से इसके संबंध और संपूर्ण देश के न्यायालयों द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों का विश्लेषण करते हुए व्यापक अध्ययन किया। आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ, ख्याति के अधिकार और वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बीच संबंध और दोनों को कैसे संतुलित रखा जाए, का भी अध्ययन किया। आगे आयोग ने विभिन्न अधिकारिताओं में आपराधिक मानहानि के बर्ताव का परिशीलन किया।

उपरोक्त पर गहन विचार करते हुए, आयोग यह सिफारिश करता है कि आपराधिक मानहानि देश की आपराधिक विधियों की स्कीम में प्रतिधारित रखा जाए। इस संबंध में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ख्याति का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से नि:सृत होता है और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का फलक होने के कारण मानहानिकारक भाषण और लांछन से पर्याप्त रूप से

संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, यह रिपोर्ट आपके परिशीलनार्थ प्रस्तुत की जा रही है।

सादर,

भवदीय,
ह-/0
(न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी)

श्री अर्जुन राम मेघवाल
माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली110001-

कार्यालय पता : कमरा नं405 ., चतुर्थ तल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली 110003 –
Office Address : Room No. 405, 4th Floor, 'B' Wingh, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, Nerw Delhi -110003
अवासीय पता 8 .बंगला नं :, तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली 110011-
Residence : Bungalow No. 8, Tees January Marg, New Delhi- 110011
Email : rituraj.awasthi@gov.in Tel : 011-24654951 (D), 24340202, 24340203

अभिस्वीकृति

आयोग ऐसे उन सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता है जिन्होंने "आपराधिक मानहानि विधि" पर इस रिपोर्ट को पूरा करने में योगदान दिया।

हम अनेक विधि विशेषज्ञों, विद्वानों और ऐसे विधि व्यवसायियों के प्रति आभारी हैं जिन्होंने साक्षात्कारों और विचार-विमर्श के दौरान सहृदयापूर्वक अपनी जानकारी और दृष्टिकोण को साझा किया। उनके विचारों ने इस रिपोर्ट की अंतर्वस्तु को अलंकृत किया है और भारत में आपराधिक मानहानि विधि के परिवर्ती जटिल मुद्दों पर मूल्यवान सुझाव दिए है।

आगे, हम श्री **ऋषि मिश्रा, श्री गौरव यादव, श्री शुभांग चतुर्वेदी, सुश्री प्रिया राठी, सुश्री रुचिका यादव, सुश्री दीपिका चौधरी, श्री कुमार अभिषेक और श्री अनुभव दुबे,** जिन्होंने विधि परामर्शी के रूप में कार्य किया, के अथक प्रयासों की प्रशंसा करते है। इस रिपोर्ट के अनुसंधान और प्रारूपण में उनके तीक्ष्ण और महत्वपूर्ण विचार विशेष उल्लेखनीय है। उनका समर्पण और प्रतिबद्धता इसमें प्रस्तुत अंतर्वस्तु की सटीकता और बौद्धिकता सुनिश्चित करने में आवश्यक रहा है। हम इस रिपोर्ट को तैयार करने में उनके श्रमसाध्य प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं।

विषय सूची

क्र.सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1.	**प्रस्तावना**	7
	(क) आयोग को निर्देश	7
	(ख) पृष्ठभूमि	7
	(ग) विश्लेषित किए जाने वाले मुद्दे	9
2.	**मानहानि की अवधारणा, सिद्धांत और विधि**	11
	(क) मानहानि विधि का इतिहास	11
	(ख) मानहानि की परिभाषाएं	13
	(ग) अपराध के रूप में मानहानि	16
	(घ) भारतीय विधि में मानहानि	17
3.	**ख्याति का अपराध के सापेक्ष वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता**	28
	(क) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	28
	(ख) ख्याति का अधिकार	32
	(i) आधारभूत मानव अधिकार के रूप में ख्याति का अधिकार	32
	(ii) ख्याति का अधिकार और न्यायिक निर्णय	34
	(ग) ख्याति और वाक् स्वतंत्रता के बीच संतुलन	36
	(i) न्यायालयों द्वारा मूल अधिकारों का संतुलन	37
	(ii) आनुपातिकता परीक्षण	41
4.	**न्यायिक पूर्व निर्णय**	44
5.	**आपराधिक मानहानि विधियों का तुलनात्मक विश्लेषण**	51
	(क) आपराधिक मानहानि पर विधिक उपबंध रखने वाले देश	51
	(i) जापान	51
	(ii) चीन	53
	(iii) कनाडा	54
	(iv) यूरोपियन देश	56
	(ख) ऐसे देश जहां मानहानि को गैर-अपराध बनाया गया है ।	62
6.	**निष्कर्ष**	66
	(क) आपराधिक मानहानि की संवैधानिकता	66
	(ख) आपराधिक मानहानि का दुरुपयोग	68
	(ग) आपराधिक परिभाषा की आवश्यकता,	71
	आपराधिक मानहानि विधि को प्रतिधारित करने का तर्क	73
	(घ) सिविल मानहानि की अपर्याप्तता	74
	(ङ) भारत के विधि आयोग की 42वीं रिपोर्ट की सिफारिश	78
7.	**अनुशंसाएं**	80

1. प्रस्तावना

(क) आयोग को निर्देश

1.1 21वें विधि आयोग को विधि और न्याय मंत्रालय से पत्र तारीख 04 अगस्त, 2017 द्वारा एक निर्देश प्राप्त हुआ, जिसमें आयोग से मानहानि विधियों और उनके आनुषांगिक मुद्दों की परीक्षा करने का अनुरोध किया गया था। तत्कालीन एक संसद सदस्य द्वारा तारीख 01 सितंबर, 2016 के पत्र से निर्देश उद्भूत हुआ, जिसमें विधि और न्याय मंत्रालय से मानहानि विधियों का पुनर्विलोकन और चर्चा करने का अनुरोध किया गया था। सिविल मानहानि पर विधि की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, इसमें कहा गया था कि अनुरोध वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आपराधिक मानहानि विधि के प्रभाव से संबंधित पुनर्विलोकन की आवश्यकता से संबंधित है।

1.2 उक्त निर्देश में मानहानि विधि में सुधार की आवश्यकता का यह कहते हुए सुझाव दिया कि विद्यमान विधियां न तो व्यथित व्यक्ति के हितों को पूरी करती है न ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत की। आपराधिक मानहानि की विधि भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके पश्चात्, "भारतीय दंड संहिता") की धारा 499, 500, 501 और 502 में उपवर्णित है। निर्देश में यह कहा गया था कि आपराधिक मानहानि का उद्भव औपनिवेशिक युग में हुआ और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन अनुष्ठापित वाक् स्वतंत्र्य और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिकूल है।

1.3 तदनुसार, 22वें विधि आयोग ने इस मुद्दे पर विचार करने और भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 सहित विद्यमान आपराधिक विधियों और विषय वस्तु से संबंधित निर्णयों के आलोक में आपराधिक मानहानि से संबंधित विधि का पुनर्विलोकन करने का विनिश्चय किया।

(ख) पृष्ठभूमि

1.4 समकालीन संवैधानिक प्रबंध का व्यापक, विशालदर्शी दृष्टिकोण यह इंगित करता है कि अधिकांश संविधान संवैधानिक अधिकार की व्याप्ति का उपबंध करते हैं और दूसरा, विवक्षित: या व्यक्तत: ऐसी सीमाओं का उपबंध करते है, जिनके अधीन ऐसा अधिकार है।[1] जहां व्यक्ति ऐसे अधिकार के क्षेत्र, अंतर्वस्तु और सीमाओं का वर्णन करती है, वही सीमाएँ ऐसी शर्तों का उल्लेख करती हैं जिनके अधीन ये अधिकार पूर्णत: चरितार्थ होने से कम हो सकता है। ये शर्तें उप-संवैधानिक मानक द्वारा युक्तियुक्त ढंग से संवैधानिक अधिकारों के सीमित होने की अनुज्ञा देती है।[2] इस प्रकार, ये परिसीमा खंड उपयोजन के लिए उपयुक्त क्षेत्र, अनिश्चित संवैधानिक

[1] अहरोन बराक, "आनुपातिकता (2)", मिशेल रोसेनफेल्ड, एंड्रियास श6 (संपादकों), द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ कम्पेरेटिव कॉन्स्टीट्यूशनल लो 739 (ऑक्सफोर्ड अकादमिक, ऑनलाइन एडन., 2012) में।

[2] वही

अधिकारों को निश्चित अधिकारों में रुपांतरित करने के लिए आवश्यक परिसीमा की प्रक्रिया को व्यक्त करते हैं।[3]

1.5 इस प्रकार, ये परिसीमाएँ प्राय: अधिकार धारकों के प्रतिस्पर्धी दावों पर न्यायनिर्णय के नाजुक कार्य को संतुलित करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं। इस प्रवृत्ति, मानहानि की विधि को 'दो हितों की कथा' के रूप में वर्णित किया गया है। पहला, अधिकार धारक 'वाक् स्वतंत्र्य' का ऐसा संवैधानिक अधिकार रखता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रकाशस्तंभ, वार्तालाप पोषक और प्रतिकूल विचारों के आदान-प्रदान के रूप में स्थिर है और दूसरी ओर, ख्याति का निर्णायक अधिकार है। इस प्रकार, मानहानि विधि ऐसी रणभूमि बन जाती है जहाँ ये प्रतिस्पर्धी हित ऐसी परिसीमाओं की बारीक परीक्षा की मांग करते हैं, जो भाषण को ख्याति के संरक्षण और जोशीले लोक प्रबंध के परिरक्षण के बीच उचित सामंजस्य सुनिश्चित करे। इस प्रकार, यह मुद्दा परस्पर व्यापी और प्रतिकूल हितों के निपटाने, सामंजस्य स्थापित करने और मेलमिलाप करने हेतु एक व्यापक न्यायिक और विद्वतापूर्ण ध्यानाकर्षण का केंद्र बिंदु है।

1.6 लोकतांत्रिक समाज में, वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आधारभूत तत्व के रूप में पूजा जाता है। तथापि, जैसा भारतीय विधि न्यायशास्त्र से प्रकट होता है, यह स्पष्ट है कि व्यक्तिगत ख्याति का संरक्षण न केवल स्पशरिखीय चिंता है बल्कि मानवीय प्रतिष्ठा का मूल पहलू है। आपराधिक मानहानि से निपटने वाले विधिक उपबंध की आवश्यकता इन संवैधानिक मूल्यों को संतुलित करने के आवश्यक कार्य से उद्भूत होता है। गुंजायमान लोकतंत्र का ढ़ांचा खुले प्रबंधन और विचारों के आदान-प्रदान पर निर्भर करता है फिर भी यह दुर्भावपूर्ण असत्यता से व्यक्तियों के संरक्षण की भी मांग करता है, जो उनके चरित्र को कलंकित कर सकता है।

1.7 भारतीय दंड संहिता, 1860 में यथा अनुष्ठापित आपराधिक मानहानि यह अभिस्वीकार करते हुए इस अंतर्निहित तनाव के उत्तर के रूप में उभरता है कि स्वयं उन्मुक्त अभिव्यक्ति का अधिकार व्यक्तिगत ख्याति की अपूरणीय क्षति की लागत पर नहीं होना चाहिए। अपराध समाज को प्रभावित करता है। यह अपहानि कारित करता है और सामाजिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह 'सार्वजनिक' तत्व है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 499 की भाषा में अंतर्निहित है, जो आम जनता की निगाहों में व्यक्ति की ख्याति के संरक्षण का प्रयास करता है। इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि सार्वजनिक दोष नहीं है, जो आम जनता को क्षति पहुंचाता है किंतु एक ऐसा दोष है जो ऐसे अंशधारी मूल्य का अतिक्रमण करता है, जो नियामकत: राजनैतिक समुदाय को परिभाषित करता है।

[3] जीसीएन वेबर, 'परिचय: अधिकारों की सीमा पर' द नेगोशिएबल कॉन्स्टिट्यूशन में: ऑन द लाइन, प्रश्न 2 अधिकार 1-12 (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.2009)

1.8 अन्य बातों के साथ संविधान में अनुष्ठापित संवैधानिक मूल्य प्रतिष्ठा के संवर्धन की ईप्सा करते है[4] इस पृष्ठभूमि के विपरीत, अनुच्छेद 19(2) अधिकार धारकों को संविधान के अधीन गारंटीकृत अधिकारों को और सार्थक ढंग से उपभोग हेतु समर्थ बनाने के लिए कतिपय युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित करता है। फिर भी, अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा (आईसीसीपीआर), जिसका भारत हस्ताक्षरकर्ता है, अभिव्यक्तत: 'व्यक्ति की ख्याति' को अभिव्यक्ति के अधिकार पर निर्बंधन के रूप में मान्यता प्रदान करते है।[5]

ग. विश्लेषित किए जाने वाले मुद्दे

1.9 वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन संरक्षित है और युक्तियुक्त निर्बंधन अनुच्छेद 19(2) में विहित है। अनुच्छेद 19(2) उन आधारों का उल्लेख करता है जिन पर वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अधिरोपित किए जा सकते हैं, जिसमें से एक मानहानि है। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499 के अधीन यथा उपबंधित मानहानि का अपराध व्यक्ति की ख्याति के संरक्षण की ईप्सा करती है। जैसाकि अनेक निर्णयों में अभिनिर्धारित किया गया है, ख्याति का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न भाग है।[6] इस प्रकार, यह संवीक्षा करना अनिवार्य है कि क्या अधिरोपित परिसीमा या निर्बंधन संवैधानिकत: अनुवर्ती है या नहीं। यह मुद्दा विशिष्ट अधिकार के प्रचलन की अपेक्षा नहीं करता न ही यह मूल्यांकन करता है कि क्या एक व्यक्ति की अनिर्बंधित वाक् का अधिकार दूसरे की ख्याति के अधिकार पर अतिक्रमण करता है।

1.10 मुद्दा निश्चय ही प्रतिस्पद्धी हितों के संतुलन के लिए आवश्यक है। काफी समय से सुस्थापित विधिशास्त्र आनुपातिक जांच का अवलंब लेकर इन प्रतिस्पद्धी हितों के अनिश्चित संबंधों को स्थिर करता है। जब तक विधि आनुपातिकता के सिद्धांत को संतुष्ट करता है, यह संवैधानिक

---

[4] देखें, भारतीय संविधान, प्रस्तावना, अनुच्छेद 21. 51-ए उदाहरण के लिए, देखें नीलगिरी बार एसोसिएशन बनाम टी.के. महालिंगम एवं अन्य, एआईआर 1963 एससी 1088; बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द पोर्ट ऑफ बोनबॉय बनाम दिलीपकुंअर राघवेंद्रनाथ नादकोर्नी, (1983) 1 एससीसी 124: उमेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एवं अन्य, (2013) 10 एससीसी 591; सुब्रमण्यम सोरार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (2016) 7 एससीसी 22आई

[5] आईसीसीपीआर के अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि:

19. (1) प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी राय रखने का अधिकार होगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा; इस अधिकार में सभी प्रकार की सूचना और विचारों को प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल होगी, चाहे वह मौखिक रूप से हो, लिखित रूप में हो या मुद्रित रूप में हो, कला के रूप में हो या अपनी पसंद के किसी अन्य माध्यम से हो।

(3) इस अनुच्छेद के पैरा (2) में दिए गए अधिकारों के प्रयोग के साथ विशेष कर्तव्य और जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं। इसलिए यह कुछ प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है, लेकिन ये केवल ऐसे होंगे जो
कानून द्वारा प्रदत्त और आवश्यक हैं;

(क) दूसरों के अधिकारों या प्रतिष्ठा के सम्मान के लिए

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था (सार्वजनिक व्यवस्था), या सार्वजनिक स्वास्थ्य या नैतिकता की रक्षा के लिए

[6] पूर्व टिप्पण 4.

अधिकार का अतिक्रमण करने के लिए अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर आने वाला समझा जाता है।[7] **के. एस. पुटुस्वामी (प्राइवेसी-9 जे)** बनाम **भारत संघ**[8] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने आनुपातिकता की कासौटी का अधिकथन किया अर्थात् (i) कार्रवाई विधि द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए ; (ii) प्रस्तावित कार्रवाई विधिसम्मत लक्ष्य के लिए लोकतांत्रिक समाज में आवश्यक होनी चाहिए ; (iii) ऐसे हस्तक्षेप का विस्तार ऐसे हस्तक्षेप की आवश्यकता के अनुपात में होना चाहिए ; (iv) ऐसे हस्तक्षेप के दुरुपयोग के विरुद्ध प्रक्रियागत गारंटी होनी चाहिए । अत:, आपराधिक मानहानि के पुनर्विलोकन में जिसका न्यायनिर्णयन उच्चतम न्यायालय द्वारा **सुब्रमनियम स्वामी** बनाम **भारत संघ**[9] वाले मामले में भी किया गया है, भारतीय दंड संहिता में व्यक्त आपराधिक मानहानि के विश्लेषण और ख्याति के अधिकार के सापेक्ष वाक् और अभिव्यक्ति के अधिकार के महत्व और तुलना को भी अंतर्वलित करेगा।

1.11 इस विधिक मुद्दे पर जांच किया जाना है कि क्या भारतीय दंड संहिता में यथा परिभाषित/दंडित मानहानि विधि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर अयुक्तियुक्त निर्बंधन है और क्या व्यक्ति की ख्याति के उल्लंघन के लिए केवल सिविल उपचार व्यथित व्यक्ति की हानि की प्रतिपूर्ति के लिए पर्याप्त है। यह परीक्षा इस प्रश्न का उत्तर उपलब्ध कराएगा कि क्या आपराधिक मानहानि के लिए शास्ति/कारावास की संभावना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असम्यक् निर्बंधन के रूप में कार्य करता है। अन्य कारक जिसको सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए, व्यक्ति की ख्याति का महत्व है, जिसे अनुच्छेद 21 के अधीन उनके प्राण के अधिकार और 'वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' और 'ख्याति के अधिकार' के बीच संतुलन के लिए आवश्यक माना जाता है।

---

[7] आर. एलेक्सी थ्योरी संवैधानिक अधिकार (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस,2002)

[8] (2017) l0 एससीसी टी.

[9] एआईआर 2016 एससी 2728.

2. मानहानि की अवधारणा, सिद्धांत और विधि

क. मानहानि विधि का इतिहास

2.1 मानहानि विधि विचार की स्वतंत्रता और सार्वजनिक चर्चा के फायदे का बलिदान किए बिना विध्वंसात्मक हमलों से व्यक्तिगत चरित्र और लोक संस्थाओं के संरक्षण की घोषणा करता है। इन उद्देश्यों के सापेक्ष महत्व से विरचित अनुमान और उनमें सामंजस्य बैठाने में प्राप्त सफलता की मात्रा संस्कृति, उदारता और प्रत्येक युग की व्यावहारिक योग्यता का प्रशंसनीय उपाय होगा।

2.2 मानहानि विधि किसी काल का सुविचारित उत्पाद नहीं है। यह विधान से कुछ हस्तक्षेप के साथ छेड़छाड़ द्वारा उद्भूत हुआ है। विशेष विशिष्ट परिस्थितियों ने बारंबार भिन्न-भिन्न अनुक्रम में आकार ग्रहण किया। प्राचीन रोमन विधि में, भद्दे आलापों से आजीवन कारावास से निपटा गया। मध्यकालीन युग में, इंग्लैंड में संयुक्त पंथ निरपेक्ष और आध्यात्मिक प्राधिकारियों द्वारा ख्याति पर्याप्त रूप से संरक्षित थी। इसके पश्चात्, मानहानि की अधिकारिता न्यायालयों में न्यायाधीशों के पास पहुंच गई।

2.3 पूर्व सत्रवहीं शती में, जब मुद्रण प्रेस की संभावनाओं का पूर्ण राजतंत्र में उदय हो रहा था, आपात् का रोमन विधि से सीधे प्रत्यक्ष आयात हुआ। रोमन विधि में पुरुष के चरित्र को पर्याप्त स्थान दिया गया और सिविल नुकसानी के रूप में शाब्दिक मानहानि के लिए उपचार अधिनिर्णीत किया गया।

2.4 लांछन की प्रकृति पर आधारित बोले गए मानहानि या अपवचन की विधि के रुप में स्टेरियोटाइप मूल कामन लॉ मानहानि सिद्धांत रोमन विधि से उत्तराधिकार में प्राप्त किया और लिखित और मुद्रित मानहानि की विधि हो गई।[10] **डे. स्कैन्डलिस मैगनेटम** वाले मामले में प्रसिद्ध कार्रवाई ने मानहानि को उजागर किया। यह राजनैतिक कलंक के विरुद्ध था और स्टार चैम्बर में विधि प्रशासित की गई। मानहानि के इस संज्ञान को राजनैतिक और दांडिक अपराध माना गया और इसकी बार-बार पुष्टि की गई और विधियां बनाने में इसका काफी प्रभाव रहा।

2.5 एडवर्ड । के शासनकाल के दौरान तेरहवीं शती के पूर्व में मानहानि को इंग्लिश विधि में संहिताबद्ध किया गया और इसके पश्चात् सत्रवहीं शती में टर्नी जनरल एडर्वड कोक के अधीन जेम्स। के शासनकाल के दौरान जिन्होंने अपमान लेख अभियोजनों की श्रृख्ला शुरु की। कामन ला में, मानहानि चर्च और क्राउन की इच्छाओं के विरुद्ध न्यायलयों द्वारा मंद संरक्षित बना रहा। बाद में न्यायालयों ने स्वयमेव अभियोज्य शब्दों और विशेष नुकसान के सबूत पर ही अभियोज्य शब्दों के बीच अंतर करना आरंभ किया।

[10] वैन वेचटेन वीडर, "द हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ डिफेमेशन", 38 कैल. एल. रेव.546-573 (1903).

2.6 मानहानि पर विधिशास्त्र यह था 'जहां बोले गए शब्दों से पक्षकार की मानहानि, अपयश या बदनामी होनी संभाव्य हो, वहां शब्द अभियोज्य होंगे।'[11] **दिलिबेलिस फैमोसिस**[12] वाला मामला अपमान लेख पर इंग्लिश विधि का औपचारिक आरंभिक बिंदु था। इसके द्वारा, मात्र प्ररुप पर आधारित अभियोज्य मानहानि का नया प्ररुप इंग्लिश विधि में शुरू हुआ। इसके पूर्व, जो सामान्यत: राजद्रोह या देशद्रोह की व्याप्ति के भीतर आता था अब पृथकत: अपमानलेख के अधीन विचारित किया जाने लगा।

2.7 वर्ष 1843 के लार्ड कैम्पवेल के अपमानलेख अधिनियम से मानहानि पर इंग्लिश विधि का संहिताकरण आरंभ हुआ। इसके पश्चात्, अपराध के रूप में मानहानि अन्य स्थिर राष्ट्रों में पहुंचा। यूनाइटेड स्टेट्स में मानहानि पर कामन विधि का प्रतिबिंबन हुआ जहां संविधान के प्रथम संशोधन ने प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की। **न्यूयार्क टाइम्स** बनाम **सूलिवन**[13] वाले मामले में, यू. एस. न्यायालय द्वारा मानहानि विधि इस प्रकार अधिकथित किया गया कि सार्वजनिक प्रख्यात व्यक्ति द्वारा आरोप को तभी कायम रखा जा सकता है यदि अपमानजनक कथन 'वास्तविक दुर्भाव' के साथ किया गया हो।[14] अत:, मानहानि विधि की जड़ें संपूर्ण राष्ट्रों में गहरी होती गई।

2.8 भारत में मानहानि विधि का उद्गम यथाशीर्घ मनुस्मृति में पाया जा सकता है। इसमें किसी व्यक्ति के विरुद्ध बुरा बोलने के कारण ख्याति को अपहानि पर बल दिया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, 1878 और न्यूज पेपर (अपराध का उद्दीपन) अधिनियम, 1908 आदि जैसी विधियों का अधिनियमन इम्पीरियल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आलोचना को दूर करने के लिए किया गया था। अधिकांश विधियां कामन विधि से प्रेरित थीं।

2.9 ब्रिटिश सरकार प्रेस को नियंत्रित करना चाहती थी किंतु वे एकल प्रेस विनियमन विधि पारित करने में कभी सफल नहीं हुए। ऐसे समाचारपत्र जो सनसनीखेज पत्रकारिता का समर्थन करते हैं, को विनिर्दिष्ट रूप से लक्ष्यित करने वाले विधानों के सिवाय, ऐसे समाचार पत्र, जो वास्तविक सार्वजनिक राय की रिपोर्टिंग करते हैं, को निर्बंधित करने हेतु विनियमन बनाए गए।

2.10 भारत की मानहानि विधि का विकास बदलती सामाजिक और राजनैतिक स्थितियों की प्रतिक्रिया में हुआ। वर्ष 1837 में प्रारुपित होने के पश्चात् अंतत: आपराधिक मानहानि विधियों का संहिताकरण वर्ष 1860 में भारतीय दंड संहिता में हुआ। धारा 499 के अनुसार, किसी व्यक्ति के बारे में किया गया कोई मिथ्या कथन चाहे मौखिक, लिखित या अन्यथा हो, जिससे उस व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होने की संभावना है, अवैधत: मानहानिकारक है। सामाजिक मीडिया और अन्य मंच पर व्यक्तियों द्वारा मत व्यक्त करने के लिए अभियोजित करने से

[11] हैमंड आई बुलस्ट्रोड 40.
[12] पूर्व टिप्पण 10.
[13] न्यूयॉर्क कंपनी बनाम सुलिवन,376 यूएस 524 (1964).
[14] "मानहानि", यहां उपलब्ध है: https://www.britannica.com/topic/defamation (अंतिम बार 24 दिसंबर, 2023 को देखा गया)

स्वतंत्रतापूर्व समय में मास मीडिया और समाचार पत्र प्रकाशकों को अभियोजित करने में उल्लेखनीय परिवर्तन रहा है।[15]

2.11 वर्ष 1898 में, भारत दंड संहिता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधार का अनुसरण करते हुए धारा 124क और 153क को सम्मिलित करते हुए संशोधित किया गया। तत्पश्चात् भारतीय प्रेस अधिनियम, 1910 एक कठोर विधान लागू किया गया। यह रिपोर्ट किया गया था कि एक हजार से अधिक समाचार पत्रों को अभियोजित किया गया, पांच सौ प्रकाशनों को विधि बाह्य घोषित किया गया और प्रतिभूति और समपहरण के बदले सरकार को लगभग पांच लाख रुपए सौंपे गए थे। बाद में, भारतीय प्रेस आपात शक्ति अधिनियम, 1931 भी पारित किया गया।

2.12 ये विधियां बर्नाकुलर भाषाओं में राज्य की आलोचना को दबाने के गुप्त आशय से लाई गई थी।[16] राजद्रोह विधि, जिसे न्यायाधीशों द्वारा दांडिक अपराध और सरकार की मानहानि दोनों गठित करने वाली मानी जाती है, का भी उपयोग औपनिवेशिक सरकार द्वारा आलोचकों की आवाज को दबाने के औजार के रूप में किया गया।[17] विसम्मति दबाने के उपरोक्त ढंग के बदले, मानहानि की विधि का भी उपयोग इम्पीरियल शासकों के विरुद्ध गैर अनुकूल आवाजों को दबाने के तंत्र के रूप में किया गया।

2.13 मानहानि विधि सामाजिक मीडिया के विकास और जन प्रभाव के साथ परिवर्तित आशय रखता है। इसका उपयोग गैर-अनुकूल राय को दबाने के लिए नहीं बल्कि व्यष्टियों और संगठनों की ख्याति के अधिकार को संरक्षित करने के लिए है। व्यक्ति की ख्याति संवेदनशील है क्योंकि यह भारी आनलाइन देखने वालों की राय के अधीन है। इसका उपयोजन समाज के सदस्यों के सम्मान और प्रतिष्ठा के सुरक्षोपाय के लिए और दुर्भावपूर्ण प्रकाशनों के विरुद्ध उनका संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विस्तारित है।

ख. मानहानि की परिभाषाएं

2.14 व्यक्ति[18] अपने कठिन परिश्रम से समाज में यश और ख्याति अर्जित करता है। वह समाज में अपनी ख्याति, सम्मान, प्रतिष्ठा और चरित्र संरक्षित करना चाहता है। जितना वह संपत्ति, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता आदि के उपभोग के अपने अधिकार का संरक्षण चाहता है। समाज में उसकी ख्याति की क्षति को मानहानि कहा जाता है। प्राचीन काल में भी अरस्तू जैसे दर्शानिक ने ख्याति को अधिमान देने के लिए उसे प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि 'अपनी ख्याति संरक्षित

[15] डेविड एस. अर्डिया, "भाषण की स्वतंत्रता, मानहानि और निषेधाज्ञा",55 विल. और मैरी एल. रेव. (2013-2014)।
यहां उपलब्ध: https://scholarship.la\y.wm.edu/wmlr/vol55/iss l/2/ (अंतिम बार 24 दिसंबर, 2023 को देखा गया)।

[16] रेबा चौधरी, "द स्टोरी ऑफ द इंडियन प्रेस", ईपीडब्लू, (मार्च, 1955), यहां उपलब्ध: https://www.epw.in/system/files/pdt7l955 7/all/the story of the indianness.pdf (अंतिम बार 26 दिसंबर, 2023 को देखा गया)।

[17] न्यूयॉर्क टाइम्स वाई. सुलिवन, 376 यू.5.254,2'16 (1964).

[18] यहां 'पुरुष' में महिला और तीसरा लिंग शामिल है; 'वह' में महिला और तीसरा लिंग शामिल है.

करने के लिए परिश्रमी बनो; यदि वह एक बार खो जाए तो तुम एक रद्द लेख की तरह हो, जिसका कोई मूल्य नहीं है और अधिक से अधिक तुम अपने निजी अंत्यष्टि के लिए जीवित हो।'

2.15 मानहानि ऐसे कथन का प्रकाशन है, जो व्यक्ति की ख्याति के संबंध में प्रतिबिंबित होता है और सामान्यत: समाज के सही सोचने वाले लोगों की नजर में उसे नीचा दिखाने या उससे दूर रहने या उससे बचने की प्रवृत्ति रखता है।[19] **स्काट** बनाम **सम्पसन**[20] वाले मामले में न्यायमूर्ति के द्वारा दी गई 'मानहानि' पद की संस्थापित परिभाषा के अनुसार, मानहानि से व्यक्ति के बारे में उसकी बदनामी का मिथ्या कथन अभिप्रेत है। दूसरे शब्दों में, मानहानि उसके औचित्य या क्षमा के बिना कथन के प्रकाशन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, जो अन्य की ख्याति को क्षति पहुंचाने, समाज के सही सोचने वाले लोगों की नजर में उसे घृणात्मक उपहासात्मक या अपमान[21] स्थिति की ओर प्रवृत्त करने के लिए विचारित है।

2.16 जैसा प्रारुप दंड संहिता[22] में कहा गया है, मानहानि में कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति सम्मिलित है जो ऐसे व्यक्ति महसूस की जाती है, जो स्वयं की साथी प्राणियों के अननुकूल भावनाओं की वस्तु के रूप में जानता है और उनको असुविधा पहुंचाता है, जिसको ऐसा व्यक्ति जो ऐसे अननुकूल भावनाओं का वस्तु है, उद्घाटित होता है।[23] यह अधिकार अंतर्निहित स्वीय अधिकार के रूप में अभिस्वीकार किया जाता है और **सर्वबंधी अधिकार** अर्थात् विश्व में सभी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित सही है। कोई भी व्यष्टियों के विरुद्ध और सामूहिक रूप से समाज को विरुद्ध भी इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

2.17 ब्लैक ला डिक्शनरी के अनुसार, मानहानि का अभिप्राय, मिथ्या और दुर्भावपूर्ण कथनों द्वारा व्यक्तियों के चरित्र, यश या ख्याति को क्षति कारित करने का अपराध है।[24] अत:, मानहानि की अंतर्निहित परिभाषा अनेक वर्षों से वही बनी हुई है किंतु इसके क्षितिज का विस्तार मानव अविष्कारशीलता के आधार पर हुआ है। यह चरित्र सक्षमता, असहज राय और उपहास के सामाजिक रोग से संबंधित कथनों से विस्तारित हुआ है।

2.18 मानहानि विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसे शुभ नाम और सम्मान का हकदार है, जिसमें वह अन्य व्यक्तियों द्वारा समझा जाता है और यह दावा करने का अधिकार

---

[19] डब्ल्यू.वी.एच. रोजर्स और पीएच विनफील्ड, विनफील्ड और लॉजिक: टोर 515 पर (स्वीट और मैक्सवेल। लंदन, 17वां संस्करण, 2006)।

[20] 1882 क्यूबीडी 491.

[21] आर. बनाम रॉबिन्सन, (1971) 1 क्यूबी 357.

[22] प्रथम मसौदा दंड संहिता का प्रस्ताव 1834 में थॉमस बैबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग द्वारा किया गया था। इसे 1835 में भारत के गवर्नर जनरल को सौंपा गया था।

[23] मसौदा दंड संहिता, नोट्स, 175-177.

[24] अचल गुप्ता, "मानहानि - एक यातना", एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग, यहां उपलब्ध: https://www.scc online.com.blog/post/2021102/12/defarnation-2/ (अंतिम बार 26 दिसंबर, 2023 को देखा गया).

रखता है कि विधिसम्मत औचित्य या क्षमा के बिना तीसरे व्यक्ति को उसके बारे में अपमानजनक कथनों द्वारा उसकी ख्याति को अप्रतिष्ठित नहीं किया जाएगा।[25]

2.19 अपमान वचन और अपमानलेख मानहानि के दो उप-प्रवर्ग हैं। अपमानलेख लिखित, मुद्रित, आदि जैसे कुछ स्थायी रूप में मानहानि है और अपमान वचन बोले गए शब्दों या संकेतों द्वारा मानहानि है। अपमानलेख में, कथन आंखों को संबोधित होता है और वास्तविक नुकसान के सबूत के वाबजूद स्वयमेव अभियोज्य है। तथापि, अपमान वचन में, कथन कानों को संबोधित होता है और यह तब तक अभियोज्य नहीं है जब तक वास्तविक नुकसान का सबूत विद्यमान न हो।

2.20 मानहानि विधि का लक्ष्य समाज में व्यक्ति की ख्याति, सम्मान और प्रतिष्ठा को संरक्षित रखता है। यह अपराध और सिविल दोष दोनों है। आपराधिक अभियोजन और नुकसान के लिए सिविल वाद फाइल किया जा सकता है। सिविल विधि में, मानहानि अपकृत्य विधि के अधीन आता है जो दावाकर्ता को अधिनिर्णीत नुकसानी के रूप में दंड अधिरोपित करता है। आपराधिक विधि के मामले में, मानहानि अपराध करके किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने या अपमान करने का कार्य है। जहां आपराधिक मानहानि को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 से 502 में संहिताबद्ध किया गया है, वहीं सिविल मानहानि की विधि असंहिताबद्ध है और ज्यादातर निर्णयण विधियों पर आधारित है।

2.21 अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संधियों ने बारंबार ख्याति के अधिकार पर बल दिया है। आधार भूमि सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 12 के माध्यम से रखी गई, जो स्पष्टत: यह अधिदेश देता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके सम्मान और ख्याति पर आक्रमण के अधीन नहीं रखा जाएगा।[26]

2.22 इसी प्रकार, अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा (संक्षेप में 'आईसीसीपीआर') का अनुच्छेद 17 व्यक्ति के सम्मान और ख्याति पर विधि विरुद्ध हमले से संरक्षण का उपबंध करता है ।[27] आईसीसीपीआर का अनुच्छेद 19(3) भी अन्य लोगों के अधिकार और ख्याति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा के लिए विधिसम्मत आधार के रूप में निर्देश करता है। अत:, ख्याति मानहानि चाहे अपमानलेख या अपमान वचन हो, के किसी दावे के मूल में होता है।

2.23 इसी प्रकार, यूरोपियन मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रता संरक्षण कन्वेंशन (संक्षेप में, 'ईसीएचआर') के अनुच्छेद 8 और 10 में यह उपबंध है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्राइवेट और पारिवारिक जीवन, अपना घर और उसकी वार्तालाप के लिए सम्मान करने का अधिकार

[25] 28 हेल्सबरी के इंग्लैंड के कानून 3 (लेक्सिसनेक्सिस यूके, 4 संस्करण, 1997).

[26] मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का चार्टर, 1948, यहां उपलब्ध है: https://www.un.org/en/about-usluniversal-declaration-of'human-rights (अंतिम बार D पर देखा गया).

[27] आईसीसीपीआर का चार्टर, यहां उपलब्ध है। https://www.ohchr.org/en/instrunrents-mechanisms/instruments/intemational-covenant-civil-and-political-rights (अंतिम बार 27 दिसंबर, 2023 को देखा गया)

है। अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा यह स्पष्ट करती है कि व्यक्तिगत सम्मान और ख्याति प्रतिष्ठा से जुड़े होने के कारण मानव अस्तित्व के लिए बहुत बहुमूल्य है और संपूर्ण मानव प्राणी का असंक्राम्य भाग गठित करता है।[28]

ग. अपराध के रूप में मानहानि

2.24 मानहानि का अपराध कतिपय आवश्यक तत्वों पर आधारित है। यह तभी होता है जब कार्य निम्नलिखित मापमान के अधीन आता है कि क्या यह मानहानि की कोटि का है। पहला, कथन मानहानिकारक होना चाहिए। अपमानजनक अंतर्वस्तु इस रूप में परिभाषित है कि एक व्यक्ति दूसरे को घृणा, अपमान या उपहास के लिए उसे उद्घाटित कर ख्याति को क्षति पहुंचाने के लिए सुविचारित कार्य करता है। तथापि, सही विचार वाले नागरिकों की कसौटी लागू की जाती है, जहां अंतर्वस्तु के अभिप्राय को इस प्रकार माना जाता हे, जो आम, साधारण व्यक्ति उसका अर्थ होना निकालेंगे।

2.25 दूसरा, मानहानिकारक कथन वादी को निर्दिष्ट होना चाहिए। अंतर्वस्तु स्पष्टत: विशिष्ट व्यक्ति या बहुत छोटे समूह को उसके मानहानि के लिए संबोधित होना चाहिए। वृत्ति जैसे व्यापक समूह को निर्दिष्ट करने वाला कथन मानहानिकारक नहीं है। न्यायालय ने यह कहा कि व्यक्तियों का ऐसा समूह पहचान योग्य निकाय होना चाहिए, जिससे निश्चित रूप से यह कहना संभव हो कि शेष समुदाय से भिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के समूह को अपमानित किया गया।[29]

2.26 तीसरा, कथन प्रकाशित होना चाहिए अर्थात् इसे दावाकर्ता से भिन्न कम से कम एक व्यक्ति को संसूचित किया जाना चाहिए।[30] ऐसा कार्य जो सभी उपरोक्त लक्षणों को पूरा करता है, को मानहानि के अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

2.27 मानहानि आत्यंतिक अपराध नहीं है। प्रत्यर्थी न्याय की विफलता रोकने के लिए कतिपय बचाव का हकदार है। यह सिद्ध करने के लिए कि सभी कथन मानहानिकारक नहीं हो सकते, कतिपय बचाव प्रत्यर्थी द्वारा लिए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, कोई बात दोषारोपित करना मानहानि नहीं है, जो किसी व्यक्ति के संबंध में सही है।[31] कोई मानहानि वाद ऐस किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता यदि वह सही या लोक कल्याण के लिए कोई बात दोषारोपित करता है।[32] यह स्वीकार किया गया है कि यदि समाचार पत्र रिपोर्ट सही और सत्य है या यदि अभियुक्त को सद्भाविक विश्वास है कि किसी का पाठ सही है और उस आधार पर

[28] सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, डब्लयूपी(क्रि.) 184 का 2014, 79.

[29] जी. नरसिम्हन एवं अन्य, आदि. वी.टी.वी. चोकप्पा, ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 2609.

[30] महेंद्र राम बनाम हरनंदन प्रसाद एआईआर 1958 पैट 445.

[31] अलेक्जेंडर बनाम एन.ई. रेलवे, (1865) 6 बी एंड एस 340.

[32] भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45), (499, अपवाद).

सद्भाव में रिपोर्ट प्रकाशित किया तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसका आशय परिवादी की ख्याति को अपहानि कारित करना था।[33]

2.28 इसी प्रकार, निष्पक्ष टिप्पणी अर्थात् ऐसी टिप्पणी जो किसी राय की निष्पक्ष अभिव्यक्ति है और लोकहित में की गई है, भी मानहानि के बाद के विरुद्ध एक बचाव है। निष्पक्ष टिप्पणी तथ्य केप्राख्यान के बजाए राय की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। टिप्पणी निष्पक्ष होनी चाहिए और लोकहित में की गई भी होनी चाहिए।[34]

2.29 इसी तरह, विशेषाधिकार संसूचना मानहानि से छूट प्राप्त है क्योंकि यह विधि द्वारा संरक्षित है। बचाव अभियुक्त के पास है क्योंकि वह संसदीय कार्यवाही, न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं से संसूचना आदि जैसे कतिपय संसूचनाओं को प्रकट करने से विधि द्वारा संरक्षित है। संसूचना पूर्ण विशेषाधिकार के अधीन आ सकती है अर्थात् रक्षा और न्यायिक संसचूना के मामले जैसे मानहानि के आरोप पर विधि वाद से पूर्ण उन्मुक्ति है। यह अनुकल्पत: अर्ह विशेषाधिकार के अधीन आ सकती है जहां बचाव केवल तभी होगा यदि यह दुर्भाव के बिना अर्थात् विधिक, सामाजिक या नैतिक कर्तव्य के अनुक्रम में की गई है।

2.30 मानहानि के विभिन्न घटक और अभिधान हैं। समाज के विकास और तकनीकी संवर्द्धन के साथ इसकी व्याप्ति का विस्तार हुआ है। अब भी यह वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुसार है और समाज के विधि का पालन करने वाले व्यक्तियों की ख्याति का संरक्षण करता है।

घ. भारतीय विधि में मानहानि

2.31 मानहानि एक सर्वसमावेशी पद है जिसका विस्तार ख्याति, यश और सामाजिक छवि के प्रति हानिकर लांछन, कथन, दुर्भावपूर्ण प्रकाशन से हो सकता है। इसके व्यापक विस्तार के कारण, मानहानि की विधि भारतीय विधियों में इस अस्तित्व से है क्योंकि ब्रिटिश ने इस औपनिवेशिक युग में आरंभ किया था।

2.32 भारतीय संविधान में युक्तियुक्त निर्बंधन के रूप में मानहानि का उपबंध है। अनुच्छेद 19(1)(क) द्वारा प्रदत्त गंथिमुक्त वाक् की स्वतंत्रता का अधिकार संसदीय लोकतंत्र को कायम रखने के लिए आधारभूत और महत्वपूर्ण है। 'युक्तियुक्त निर्बंधन' वे हैं जो ऐसे विचार की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए है, जो मूलभूत रूप से लोकहित के लिए खतरनाक है। न्यायालय की अपमान, मानहानि और अपराध का उद्दीपन कुछ अपवाद हैं। संविधान के अलावा, मानहानि आपराधिक विधि के अधीन एक अपराध है।

[33] .जवाहरलाल डॉक्टर बनाम मनोहररो गणपतराव कपिस्कर, (1998)4 एससीसी 112.
[34] स्लिम बनाम डेली, टेलीग्राफ, (1968)1 ऑल ईआर 497.

2.33 भारतीय दंड संहिता, 1860 में आपराधिक मानहानि विषयक व्यापक उपबंध हैं। अध्याय 21 में धारा 499-503 है जो अनंयत: मानहानि के अपराध के बारे में है । राज्य के विरुद्ध मानहानि राजद्रोह के अपराध के रूप में धारा 124क में अंतर्विष्ट है। संहिता की धारा 153 वर्ग अर्थात् समुदाय की मानहानि का उपबंध करता है जबकि धारा 295क धार्मिक भावना भड़काने के संबंध में घृणात्मक भाषण के बारे में है।

2.34 धारा 499 के अनुसार, जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरुपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, एतास्मिन पश्चात् अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है।[35] यह किसी व्यक्ति के बारे में उसकी ख्याति को अपहानि कारित करने के आशय से या युक्तियुक्त संदेह रखते हुए कि ऐसा करने से उस व्यक्ति की ख्याति को नुकसान होगा, कोई मिथ्या सूचना संसूचित करना विधि विरुद्ध बनाता है।

2.35 पूर्वोक्त धारा चार स्पष्टीकरण और दस अपवाद उपबंध करती है। **मोहम्मद अब्दुल्ला खान** बनाम **प्रकाश के.**[36] वाले मामले में उच्चतम न्यायालायने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 की विस्तार से परीक्षा की और इसके तत्वों का उपवर्णन किया। मानहानि का अपराध गठित करने के लिए, यह किसी व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित कुछ लांछन लगाने की अपेक्षा करता है।

2.36 आपराधिक मानहानि के रूप में अर्ह होने के लिए किसी सामग्री को बोले गए शब्द, लिखित अंतर्वस्तु या संकेतों जैसे विभिन्न माध्यमों के माध्यम से इस शर्त के साथ संसूचित किया जाना चाहिए कि यह तीसरे पक्षकार को ज्ञात कराया गया है। एक लांछन होना चाहिए और ऐसा लांछन अपहानि करने के आशय से या जानते हुए या यहविश्वास करने का कारण होते हुए कि यह उस व्यक्ति की ख्याति को अपहानि कारित करेगा जिसके बारे में यह किया गया है।[37] यह समझना महत्वपूर्ण है कि आशय मानहानि का अपराध गठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कोई मानहानि नहीं होगा यदि अभिकथित सदोष कार्य आवश्यक आपराधिक मन:स्थिति के बिना सही नहीं किए गए थे।[38]

2.37 सारत:, मानहानि का अपराध व्यक्ति की ख्याति को कारित अपहानि है। यह साबित करना पर्याप्त होगा कि इसके सिवाय कि क्या परिवादी को वास्तविकत: अभिकथित लांछन से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: नुकसान हुआ, अभियुक्त का यह आशय था या जानता था या विश्वास

[35] भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम 45, धारा 1860), 499.
[36] (2018) 1 एससीसी 615.
[37] जेफ़री जे. डिएर्मियर बनाम डब्ल्यू.बी. राज्य, (2010) 6 एससीसी 243.
[38] मो. अब्दुल्ला खान ब. प्रकाश के, (2018) एससीसी 615.

करने का कारण था कि उसके द्वारा किए गए लांछन से परिवादी की ख्याति को अपहानि होगा।[39]

2.38 लांछन और प्रकाशन के बीच यह अंतर है कि यदि 'एक्स' 'वाई' से कहता है कि 'वाई' एक अपराधी है - 'एक्स' लांछन लगाता है जबकि यदि 'एक्स' 'जेड' से कहता है कि 'वाई' एक अपराधी है - तो 'एक्स' लांछन का प्रकशन करता है। धारा 499 के संदर्भ में प्रकाशन का सार उन व्यक्तियों से भिन्न जिनके विरुद्ध लांछन लगाया गया है व्यक्तियों को मानहानिकारक लांछन की संसूचना है।

2.39 लांछन को व्यक्ति की ख्याति का अपहानि करने वाला कहा जा सकता है यदि वह लांछन प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: अन्य लोगों के अनुमान में -

- उस व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को कम करता है, या
- उसकी जाति या उसके व्यवसाय के संबंध में उस व्यक्ति के चरित्र को कम करता है, या
- उस व्यक्ति की साख को कम करता है, या
- यह विश्वास करने का कारण बनता है कि उस व्यक्ति का शरीर घृणित दशा में है या ऐसी दशा में है जिसे सामान्यत: अपमानजनक माना जाता है।[40]

2.40 यदि लांछन किसी रोगी व्यक्ति के बारे में उस व्यक्ति की ख्याति को अपहानि कारित करने की प्रवृत्ति से मानो वे ऐसे रहते हैं तो यह मानहानि की कोटि में आता है। यदि उसका आशय उसके कुटुम्ब या अन्य नजदीकी नातेदारों की भावना को नुकसान पहुंचाना रहा है।[41] अनुकल्पत: या व्यंगात्मकत: व्यक्त लांछन भी मानहानि की कोटि में आ सकता है।[42]

2.41 किसी कंपनी या व्यक्तियों के संगम या व्यक्तियों के समूह संबंधित लांछन भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अधीन मानहानि की कोटि में आ सकेगा,[43] यदि ऐसा लांछन इसमें उपरोक्त वर्णित मानहानि के अपराध के अन्य आवश्यक तत्वों की प्रतिपूर्ति करता है।

2.42 **जी. नरसिंहमन और अन्य** बनाम **टी. वी. चोकप्पा**[44] वाले मामले में उच्चतम न्यायालयने यह विनिश्चित करते समय कि क्या द्रविड़ कड़गम द्वारा प्रायोजित और संगठित सम्मेलन एक निकाय था जो धारा 499 के स्पष्टीकरण 2 की व्याप्ति के भीतर आ सकेगा, यह मत व्यक्त किया कि:

---

[39] जेफ़री जे. डिएर्मियर बनाम डब्ल्यू.बी. राज्य, (2010) 6 एससीसी 243.
[40] भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45)। 499, एक्सप. 4
[41] भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45)। 499, एक्सप. 1
[42] भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45)। 499, एक्सप. 2
[43] भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45)। 499, एक्सप. 3
[44] एआईआर 1972 एससी 2609.

"धारा 499 का स्पष्टीकरण 2 यह अधिकथित करता है कि यह कंपनी या व्यक्तियों के संगम या समूह से संबंधित लांछन को मानहानि की कोटि में आएगा। किंतु व्यक्तियों का समूह एक पहचानयोग्य निकाय होना चाहिए ताकि निश्चितता से यह कहना संभव हो कि विशिष्ट व्यक्तियों का समूह शेष समुदाय से विभेद्य है, की मानहानि की गई। अत:, ऐसे मामले में जहां स्पष्टीकरण 2 का अवलंब कंपनी या व्यक्तियों के संगम या समूह की पहचान के लिए लिया गया, स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे मानहानिकारक शब्दों या लांछन से जोड़ा जा सके। यह सुपरिभाषित वर्ग को अपमानित किया जाता है तो उस वर्ग का प्रत्येक विशिष्ट सदस्य परिवाद फाइल कर सकता है, चाहे मानहानिकारक लांछन में उसके नाम का उल्लेख न हो।

यह कसौटी कि क्या अपमानित वर्ग के सदस्य अनेक है या नहीं, वहां आपराधिक अभियोजन में संगत नहीं होगा जहां तकनीकी तौर पर यह क्षतिग्रस्त व्यक्ति द्वारा नहीं है बल्कि राज्य द्वारा हे कि आपराधिक कार्यवाहियां चलाई जा रही है और परिवाद अपमान वचन के मामले में व्यक्तियों के वर्ग के विरुद्ध किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा वर्ग अनिश्चित या अनवधार्य नहीं बल्कि निश्चित है। सिद्धांतत:, इंग्लैंड के कामन ला के इस नियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के स्पष्टीकरण 2 में अधिकथित नियम के बीच कोई अंतर नहीं है।

द्रविड़ कड़गम द्वारा प्रायोजित और संगठित सम्मेलन स्पष्टत: पहचानयोग्य या निश्चित निकाय नहीं था जिससे कि ऐसे वे सभी लोग जिन्होंने भाग लिया, को इसका संघटक कहा जा सके, जो यदि सम्मेलन अपमानित होता तो बदले में उन्हें भी अपमानित कहा जाता। इसकी संरचना व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने भाग लिया और विचार जो उन्होंने समर्पित किया और क्या वे सभी सकारात्मक रुप से प्रश्नगत संकल्प से सहमत थे, के बारे में कोई निश्चित विचार रखना असंभव है।"

2.43 आगे, **एम. पी. नारायण पिल्लै और अन्य** बनाम **एम. पी. चाको और एक अन्य**[45] वाले मामले में करेल उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :

"किसी समुदाय के विरुद्ध ऐसी मानहानि नहीं हो सकती है। इस प्रकार समुदाय की मानहानि नहीं हो सकती, किंतु ख्याति केवल व्यष्टिक सदस्य की होगी। जब मानहानिकारक विषय सुनिश्चेय वर्ग या समूह के प्रत्येक सदस्य को प्रभावित करता है तो उनमें से प्रत्येक या उनमें से सभी विधि को गतिमान कर सकते हैं। यदि वस्तुत: लोगों का समूह या वर्ग निश्चितता से सुनिश्चेय है तो यह कहा जा सकता है कि शेष समुदाय से भिन्न व्यक्तियों के विनिर्दिष्ट समुदाय को अपमानित किया गया था। लोगों के समूह की पहचान को मानहानिकारक लांछन के संबंध में सिद्ध करना होगा। जहां इस प्रकार संगम या समूह के व्यक्तियों को सुनिश्चित किया जा सकता हो और शब्दों या लांछनों को इस प्रकार संगम या समूह के सभी व्यक्तियों के विरुद्ध दर्शाया गया हो वहां कोई भी एक सदस्य परिवाद कर सकता है। मूलभूत नियम यह है कि अपराध में

[45] 1986 सीआरआई एलजे 2002.

ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसे अन्य लोग परिस्थितियों को जानते हुए शिकायत करने वाले व्यक्ति के प्रति मानहानिकारक होने और उसके द्वारा क्षतिग्रस्त होने के बारे में युक्तियुक्ततः सोचेगा।"

2.44 प्रत्येक अपराध के लिए साधारण या विशेष अपवाद के रूप में कतिपय बचाव अभियुक्त को उपलब्ध है। इसी प्रकार, मानहानि के अपराध के लिए साधारण बचाव के अतिरिक्त कतिपय अपवाद स्वयं भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अधीन उपबंधित है। ये अपवाद ऐसी परिस्थितियां परिभाषित करती हैं जहां मानहानिकारक होना अभिकथित अभियुक्त का कार्य मानहानि के अपराध की कोटि में नहीं आएगा।[46] न्यायालयों ने बारंबार यह कहा है कि धारा 499 के अधीन वर्णित अपवाद व्यापक है और संहिता में वर्णित के परे किसी बचाव की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है।[47]

2.45 भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अधीन यथा उपबंधित मानहानि के बचाव इस प्रकार है :

(i) सत्य का लांछन जिसे लोकहित में किया जाना या प्रकाशित किया जाना अपेक्षित हो-

लोकहित तथ्य का प्रश्न है। सद्भाव को तथ्य के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।[48] **चमनलाल** बनाम **पंजाब राज्य**[49] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 499 के प्रथम अपवाद की व्याप्ति को स्पष्ट किया और यह अभिनिर्धारित किया :

"दंड संहिता की धारा 499 के प्रथम अपवाद के भीतर आने के लिए यह स्थापित किया जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी से संबंधित जो भी लांछन लगाया गया है, सही है और लांछन का प्रकाशन लोकहित में है। इन दो तत्वों अर्थात् लांछन की सत्यता और लोकहित के लिए लांछन के प्रकाशन, को साबित करने का भार अपीलार्थी पर है।"

(ii) किसी लोक सेवक का उसके लोक कृत्य के निर्वहन में या उसके चरित्र का सम्मान करते हुए आचरण के सद्भाव में किसी राय की अभिव्यक्ति, जहां तक ऐसा चरित्र उस आचरण में प्रतीत होता है:

"सद्भाव संदर्भ और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में सतर्कता और सावधानी और प्रज्ञा की अपेक्षा करता है।[50] सद्भाव स्थापित करने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि प्रकाशन इसकी सत्यता पर विश्वास करते हुए ईमानदारी से किया गया था और ऐसे विश्वास का युक्तियुक्त आधार था। आगे, यह साबित

[46] बाबूराव शंकरराव चव्हाण बनाम बबन बबन पहलवान, (1984) आई बॉम सीआर 194.
[47] थिरुवेंगडा मुदाली बनाम त्रिपुरासुंदरी अम्मल, (1926) 5एल एमएलजे 112.
[48] चमन लाल बनाम पंजाब राज्य, (1970) एससीसी 590.
[49] वही
[50] चमन लाल बनाम पंजाब राज्य, (1970) एससीसी 590.

करने की आवश्यकता है कि प्रकाशन इसकी सत्यता को सत्यापित करने के लिए ऐसे साधनों का प्रयोग करने के पश्चात् किया गया था जो इन्हीं परिस्थितियों के अधीन साधारण प्रज्ञा वाले व्यक्ति द्वारा लिया जाता। सद्भाव के अभिवाक् में सत्यता को जानने का वास्तविक प्रयास करना विवक्षित है। ऐसे विश्वास के लिए किसी युक्तियुक्त आधार के बिना सत्यता का मात्र विश्वास सद्भाव के समान नहीं है"।[51]

जवाहरलाल दरदा बनाम **मनोहर राव गनपत तराव कैपसिकर**[52] वाले मामले में विधान सभा की कार्यवाहियों की सही और सत्य रिपोर्ट, जो सरकारी निधि के दुर्विनियोजन को प्रकट करने वाला मंत्री का कथन था, को प्रकट करते हुए प्रकाशित किया गया था। ऐसे कथन में, परिवादी का नाम ऐसे दुर्विनियोजन में लिप्त व्यक्तियों में से एक के रूप में वर्णित था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि समाचार कथन को सत्य मानते हुए सद्भाव में लोकहित के लिए लोक सेवक के लोक आचरण के बारे में प्रकाशित किया गया था। अत:, प्रकाशकों को मानहानि के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया।"

(iii) किसी व्यक्ति का किसी लोक प्रश्न के बारे में और उसके चरित्र का सम्मान करते हुए सद्भाव में किसी राय की अभिव्यक्ति जहां तक ऐसा चरित्र उस आचरण में प्रतीत होता है।

(iv) किसी न्यायालय की कार्यवाही या ऐसी कार्यवाही के परिणाम की सत्य रिपोर्ट का प्रकाशन।

(v) न्यायालय द्वारा विनिश्चित मामले के गुणदोष का सम्मान करते हुए या ऐसे किसी मामले में पक्षकार, साक्षी या अभिकर्ता के रूप में व्यक्ति के आचरण का सम्मान करते हुए या ऐसे व्यक्ति के चरित्र का सम्मान करते हुए सद्भाव में किसी राय की अभिव्यक्ति जहां तक ऐसा चरित्र उस आचरण में प्रतीत होता है।

(vi) लोक निर्णय के लेखक द्वारा प्रस्तुत किसी कार्यपालन के गुणदोष का सम्मान करते हुए या लेखक के चरित्र का सम्मान करते हुए किसी राय के सद्भाव की अभिव्यक्ति जहां तक उसका चरित्र ऐसे कार्यपालन में प्रतीत होता है।

(vii) उस व्यक्ति पर प्राधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा चाहे विधि द्वारा प्रदत्त या विधिसम्मत संविदा द्वारा उद्भूत व्यक्ति के आचरण पर सद्भाव में परिनिन्दा करना।

(viii) किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अभियोजन की विषय-वस्तु की बाबत उस व्यक्ति पर विधिसम्मत प्राधिकार रखते हुए सद्भाव में अभियोजन करना।

---

[51] जे.सुधीर चन्द्रशेखर बनाम टी.लोकप्रकाश, 2001 SCC ऑनलाइन Kar 210.

[52] (1998) 4 एससीसी 112.

(ix) लगाने वाले के हित के संरक्षण या किसी अन्य व्यक्ति या लोकहित के लिए अन्य के चरित्र पर सद्भाव में लांछन लगाना।

आठवें अपवाद और नौंवे अपवाद के बीच अंतर को उच्चतम न्यायालय द्वारा **चमनलाल** बनाम **पंजाब राज्य**[53] वाले मामले में स्पष्ट किया जिसमें न्यायालय ने यह कहा कि :

> *"आठवें अपवाद के अधीन, एक व्यक्ति द्वारा ऐसे दूसरे अन्य व्यक्ति को कथन किया गया जिसे परिवाद की विषय-वस्तु पर विचार करने का प्राधिकार है जबकि नौवा अपवाद इसे करने वाले व्यक्ति के हित के संरक्षण के लिए किए गए कथन पर विचार करता है। व्यक्ति का हित वास्तविक और विधिसम्मत होना चाहिए जब संसूचना इसे करने वाले व्यक्ति के हित के संरक्षण में की गई हो।'*[54]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने **स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक** बनाम **विनय कुमार सूद**[55] वाले मामले में धारा 499 के नौंवे अपवाद की व्याप्ति पर चर्चा की और यह मत व्यक्त किया :

> *"नौंवा अपवाद ऐसी प्राइवेट संसूचना से संबंधित है जो कोई व्यक्ति अपने निजी हित के संरक्षण के लिए सद्भाव में करता है। यह अपवाद न केवल तथ्यों के ऐसे कथनों जिसे सत्य साबित किया जा सके बल्कि राय की अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत अनुमानों को भी आवृत करता है। नौंवे अपवाद को पक्षकारों के उनके कारबार संव्यवहार के हितों के संरक्षण के लिए सम्मिलित किया गया है, जो सामान्यत: सद्भाव में किए गए हैं, अत: लोक कल्याण का नियम जिस पर यह सिद्धांत आधारित है, यह है कि कारबार के ईमानदार संव्यवहार और सामाजिक समागम अन्यथा संरक्षण से वंचित रह जाएंगे, जिनका उपभोग उन्हें करना चाहिए।"*

अपवाद 9 के बचाव का अभिवाक् लेते समय ऐसे सबूत के भार की प्रकृति और व्याप्ति जिसका निर्वहन अभियुक्त को मानहानि के आरोप के उत्तर में करना चाहिए, पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने ***हरभजन सिंह*** *बनाम* ***पंजाब राज्य***[56] वाले मामले में निम्नलिखित सिद्धांत अधिकथित किए :

> *"सबूत के भार की प्रकृति और व्याप्ति जो अभियुक्त को धारा 499 के अपवाद 9 का संरक्षण चाहने के लिए निर्वहन करना है, इस प्रकार है:-*

---

[53] (1970) 1 एससीसी 590.
[54] कंवल लाल बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1963 एससी 1317.
[55] 2009 एससीसी ऑनलाइन डेट 227: (2009) 108 डीआरजे 709.
[56] एआईआर 1966 एससी 97.

(i) यदि यह साबित किया जाता है कि अभियुक्त ने यह साबित करने के लिए साक्ष्य दिया है कि उसने सद्भाव में कार्य किया और संभाव्यताओं की कसौटी द्वारा साक्ष्य से उसका मामला स्थापित होता है, तो वह अपवाद 9 के फायदे का दावा करने का हकदार होगा।

(ii) आक्षेपित कथन की सत्यता का सबूत नौंवे अपवाद का तत्व नहीं है क्योंकि यह प्रथम अपवाद का तत्व है : नौंवे अपवाद के अधीन यह आवश्यक नहीं है और वस्तुत: यह विचार करना महत्वहीन है कि क्या अभियुक्त ने कठोरत: उसके द्वारा किए गए अभिकथनों की सत्यता को साबित किया है।

(iii) यह सही है कि मात्र यह अभिवाक् कि अभियुक्त को यह विश्वास था कि जो उसने कहा वह स्वयमेव सही है, नौंवे अपवाद के अधीन सद्भाव के उसके पक्षकथन को कायम नहीं रखेगा। साधारण विश्वास या वास्तविक विश्वास स्वयमेव पर्याप्त नहीं है। यह साबित किया जाना चाहिए कि आक्षेपित कथन में विश्वास का तार्किक आधार था और मात्र विवेक शून्य साधारण विश्वास नहीं था। ऐसे ही मामले हैं जहां सम्यक् सतर्कता और सावधानी के तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि कथन करने के पूर्व अभियुक्त ने सम्यक् सतर्कता और सावधानी नहीं बरती तो यह सद्भाव के उसके अभिवाक् को विफल कर देगा। किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि सद्भाव तार्किक भ्रमातीत्व की अपेक्षा नहीं करता।

(iv) यह विनिश्चित करने के लिए कोई अनम्य नियम या कसौटी अधिकथित करना संभव नहीं है कि क्या अभियुक्त व्यक्ति ने नौंवे अपवाद के अधीन सद्भाव में कार्य किया। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर प्रश्न पर विचार करना चाहिए, लगाए गए लांछन की प्रकृति क्या है, कैसी परिस्थितियों के अधीन यह किया गया, ऐसे व्यक्ति की हैसियत क्या है, जिसने लांछन लगाया; क्या उसके मस्तिष्क में कोई दुर्भाव था जब उसने उक्त लांछन लगाया गया, क्या उसके द्वारा कोई पूछताछ की गई, जिसके पूर्व उसने यह लगाया, क्या उसकी कथा को स्वीकार करने का कोई कारण है उसने सम्यक सतर्कता और सावधानी से कार्य किया और संतुष्ट था कि लांछन सही था। ये और अन्य परिस्थितियां नौंवे अपवाद के अधीन सद्भाव के अभिवाक् को विनिश्चत करने में सुसंगत होंगी।

(v) व्यक्तिगत विद्वेष का अभाव अभियुक्त के सद्भाव के अभिवाक् पर विचार करने के लिए सुसंगत तथ्य हो सकेगा किंतु इसके महत्व या प्रभाव को वर्णित नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त को यह साबित करना होगा कि व्यक्तिगत विद्वेष के अभाव में भी उसने सम्यक् सतर्कता और सावधानी से कार्य किया।"

आगे, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि *'जहां दंड संहिता की धारा 500 के अधीन मानहानि का आरोप लगाने के लिए अभियुक्त धारा 499 के अपवाद (9) की सहायता*

का अवलंब लेता है, वहां सद्भाव और लोक कल्याण दोनों को स्थापित करना होगा। सद्भाव को साबित करने की असफलता अभियुक्त के पक्ष में नौवें अपवाद के लागू होने को अपवर्जित करेगा चाहे लोक कल्याण की अपेक्षा को पूरा किया गया हो।[57]

(x) ऐसे व्यक्ति जिसे यह संप्रेषित किया गया या कुछ व्यक्त जिसमें वह हितबद्ध है या लोक कल्याण के लिए, एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के विरुद्ध सद्भाव में सतर्कता संप्रेषित करना।

जैफरे जे. डियरमियर बनाम **पश्चिम बंगाल राज्य**[58] वाले मामले में, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के दसवें अपवाद की व्याप्ति पर चर्चा करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :

> *"यह घिसी पिटी बात है कि जहां अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अधीन मानहानि का आरोप लगाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के दसवें अपवाद की सहायता का अवलंब लेता है वहां 'सद्भाव' और 'लोक कल्याण' दोनों को उसके द्वारा स्थापित करना होगा। मात्र यह अभिवाक् कि अभियुक्त को यह विश्वास था कि जो उसने कहा था 'सद्भाव' में था, उसके बचाव को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है और उसे साक्ष्य पेश कर इसे न्यायोचित ठहराना होगा। तथापि, उससे युक्तियुक्त संदेह से परे अपना मामला साबित करने के लिए साक्ष्य पेश कर उस भार से उन्मुक्त हो जाने की अपेक्षा नहीं है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लगाए गए लांछन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए; वे परिस्थितियां जिन पर यह लांछन लगाया गया और ऐसे व्यक्ति की हैसियत जिसने लांछन लगाया और उस व्यक्ति की हैसियत भी जिसके विरुद्ध लांछन अभिकथित रूप से लगाया गया है, प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। ये और अनेक अन्य विचार सुसंगत होंगे और 'सद्भाव' और 'लोकहित' के अपीलार्थी के अभिवाक् को विनिश्चित करने के लिए अपेक्षित होंगे। ये सभी तथ्य के प्रश्न है और साक्ष्य के विषय हैं।"*

2.46 भारतीय दंड संहिता की धारा 500 ऐसी अवधि जो दो वर्ष तक की हो सकेगी के कारावास, जुर्माना या दोनों सहित दंडात्मक उपाय विनिर्दिष्ट करती है।

2.47 संहिता की धारा 501 'मानहानिकारक माने जाने वाले विषयों के मुद्रण या उत्कीर्णन' को परिभाषित करता है और दंडित करता है। यह कहती है कि जो कोई इस आशय से या इस विश्वास के कारण के साथ उक्त कार्य करता है कि ऐसा विषय मानहानिकारक है, 'वह ऐसी

[57] जे.सुधीर चन्द्रशेखर वाई. टी. लोकप्रकाश, 2001 एससीसी ऑनलाइन कर 210.
[58] (2010) 6 एससीसी 243.

अवधि के साधारण कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।'

2.48 धारा 502 ऐसे किसी मुद्रित या उत्कीर्णित वस्तु के विक्रय या विक्रय के प्रस्ताव को दंडित करती है। इसमें भी वही दंड है, जो धारा 501 में है।

2.49 **भारतीय न्याय संहिता, 2023** (इसमें इसके पश्चात् 'बीएनएस' कहा गया है) को हाल ही में काफी पुरानी भारतीय दंड संहिता, 1860 के स्थान पर पुर:स्थापित किया गया। बीएनएस का अंतिम अध्याय अर्थात् अध्याय XIX में आपराधिक अभित्रास, अपमान, संतापन और मानहानि से संबंधित अपराध अंतर्विष्ट है।

2.50 बीएनएस की धारा 354 मानहानि को परिभाषित करती है और भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के समान है। भारतीय दंड संहिता में दी गई चार भिन्न-भिन्न धाराओं की तरह, नए अधिनियम में धारा 354 के अधीन एकल अपराध का उपबंध है। इसमें वही अपवाद और स्पष्टीकरण है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में दी गई है। मानहानि की आपराधिक विधि में केवल दंड की बाबत संशोधन किया गया है।

2.51 धारा 353(2) आपराधिक मानहानि के लिए दंड इस प्रकार विहित करती है, 'जो कोई अन्य की मानहानि करता है वह ऐसी अवधि के साधारण कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से या **सामुदायिक सेवा** से दंडित किया जाएगा।' (बल दिया गया)

2.52 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 मानहानि के अभियोजन का उपबंध करती है। संहिता की धारा 199 यह उपबंध करती है कि मानहानि जमानतीय, असंज्ञेय और शमनीय अपराध है। अत:, पुलिस मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना मानहानि का अन्वेषण आरंभ नहीं कर सकती। अभियुक्त को जमानत चाहने का भी अधिकार है। आगे, आरोप समाप्त किया जा सकता है यदि पीड़ित और अभियुक्त न्यायालय की अनुज्ञा के बिना भी इस आशय का समझौता कर लेते हैं। **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2024** (इसके पश्चात् 'बीएनएसएस') में धारा 222 के अधीन 'मानहानि के लिए अभियोजन' शीर्षक के अधीन वही उपबंध है।

2.53 विवाद के बिना आपराधिक मानहानि कानूनों को उपयोजित नहीं किया जाता है। कुछ दावा कि ये नियम बिना आशय के वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लोगों के मूल अधिकार का अतिक्रमण कर सकते हैं चूंकि लोग सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने के लिए विधिक परिणाम का सामना करने से डरते हैं।[59] आगे, संभव दुर्व्यवहार के बारे में चिंता अर्थात् युक्तियुकत आलोचना या विसम्मति को दबाने हेतु मानहानि विधियों के उपयोग ने ख्याति के संरक्षण और वाक् स्वातंत्रय के लोकतंत्रात्मक आदर्श की रक्षा करने के बीच संतुलन का पुनर्मूल्यांकन करने के बारे में संवाद को प्रस्फुटित कर दिया है।

[59] भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है.

2.54 मानहानि का अपराधीकरण अंतरराष्ट्रीय बहस का विषय रहा है, जहां कुछ ख्यातिगत अपहानि को दूर करने के लिए सिविल उपचार की वकालत करते हैं वहीं अन्य व्यक्ति की ख्याति के विरुद्ध कठोर संरक्षण को कायम रखने पर बल दे रहे हैं।

2.55 अपवादों के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (या बीएनएस की धारा 354) में वाक् और अभिव्यक्ति के कतिपय रुपों को दंडित करते हुए अपराध के सभी तीन प्रतिष्ठित तत्व सम्मिलित है। उपबंध केवल उस भाषण को अपराधीकृत करता है, जो अपहानि कारित करने के दुर्भावपूर्ण आशय से जुड़ा है या इस ज्ञान के साथ कि अपहानि कारित होगी या लापरवाही से असम्मान होगा। सदोष आशय, ज्ञान या लापरवाही का सबूत (सद्भाव का अभाव) जो भारतीय दंड संहिता के विभिन्न उपबंधों का सुदृढ़ आधार गठित करता है, मानहानि की विधि में भी सम्मिलित किया गया है जैसा संहिता में दिया गया है।[60]

2.56 अपमानलेख न केवल अभियोज्य अपकृत्य बल्कि दंडित अपराध भी है। किंतु अपमान वचन केवल सिविल क्षति है। अपमानलेख और अपमानवचन के बीच अंतर को मान्यता प्रदान किया गया है और भारतीय न्यायलयों में मतैक्यता से अनुसरण नहीं किया गया है। **हीराबाई** बनाम **दिनशा**[61] वाले मामले में बम्बई उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि विशेष नुकसान के सबूत के बिना मानहानि का लांछन लगाने को सिविल और आपराधिक दोनों रुपों में दंडनीय बनाया गया है। इसी प्रकार, अन्य न्यायालयों ने भी यह अभिनिर्धारित किया कि अपमान वचन नुकसानी के सबूत के बिना भी अभियोज्य है।[62] भारत में मानहानिकारक समाचार मदों के प्रकाशन के लिए व्यक्ति के विरुद्ध सिविल और आपराधिक कार्यवाहियां साथ-साथ संस्थित की जा सकती है।[63]

5.57 **गुजरात राज्य** बनाम **माननीय गुजरात उच्च न्यायालय**[64] वाले मामले में न्यायालय ने यह राय व्यक्त किया कि सम्मान जो खो गया या प्राण जो समाप्त हो गया की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। अत:, ख्याति सामाजिक व्यवस्थ और मेलजोल के सुरक्षोपाय में बहुत निर्णायक भूमिका अदा करती है।

[60] सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, (2016) 1 एससीसी 221.
[61] एआईआर 1927 बम 22.
[62] रहीम बख्श बनाम बच्चा लाल, एआईआर 1929 सभी 214.
[63] सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी बनाम पी. मोहन महापात्रा, एआईआर 2006 ओरी 75.
[64] (1998) 7 एससीसी 392.

3. ख्याति का अपराध के सापेक्ष वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

क. वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

3.1 वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अधिकार है, जो व्यक्तत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) में उपबंधित है। यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त और गारंटीकृत एक नैसर्गिक अधिकार है[65] और अधिकथित प्रक्रिया द्वारा पारित विधान के सिवाय कम नहीं किया जा सकता है।[66] यह आधारभूत अधिकार है, जो प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है।[67] यह वोल्टायर द्वारा उद्धृत कथन में इसका सही प्रतिबिंबन होता है, 'जो आप कहना चाहते हैं उससे मैं सहमत नहीं हो सकता, किंतु मैं यह कहने के तुम्हारे अधिकार का प्रतिरक्षा मृत्यु तक करुंगा।'

3.2 अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा[68], यूरोपियन मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रता प्रसंविदा[69] और सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा[70] जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन बोलने और स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं।

3.3 **मेनका गांधी** बनाम **भारत संघ**[71] वाले मामले में न्यायाधीश भगवती द्वारा भी वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित किया गया है :

> "लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सरकारी क्रियाकलाप को ठीक करने का एकमात्र साधन स्वतंत्र बहस और खुली चर्चा है। प्रत्येक व्यक्ति को लोकतांत्रिक प्रणाली में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए यदि लोकतंत्र लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार के रुप में परिभाषित है।"

---

[65] मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978 एससीआर (2) 621.

[66] ओएच फिलिप्स और पॉल जैक्सन, संवैधानिक और प्रशासनिक कानून (स्वीट और मैक्सवेल, लंदन, 7वां संस्करण, 1987).

[67] पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल बोस, एआईआर 1954 एससी 92.

[68] नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के अनुच्छेद 19(2) में प्रावधान है कि, "प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार होगा: इस अधिकार में सभी प्रकार की जानकारी और विचारों को खोजने, प्राप्त करने और साझा करने की स्वतंत्रता शामिल होगी, चाहे वह मौखिक रूप से, लिखित रूप में या प्रिंट में, कला के रूप में या अपनी पसंद के किसी अन्य मीडिया के माध्यम से सीमाओं की परवाह किए बिना हो।"

[69] नवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद 10(1) में प्रावधान है कि, "हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में राय रखने और सार्वजनिक प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बिना और सीमाओं की परवाह किए बिना सूचना और विचार प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल होगी। यह अनुच्छेद प्रसारण, टेलीविजन या सिनेमा उद्यमों के लाइसेंस की आवश्यकता को नहीं रोकेगा।

[70] मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 19 में प्रावधान है कि,,, प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है: इस अधिकार में हस्तक्षेप के बिना अपने विचार रखने और किसी भी मीडिया और प्रतिबंधों की परवाह किए बिना जानकारी और विचारों को प्राप्त करने, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल है।

[71] (1978) 1 एससीसी 248; एआईआर 1978 एससी 597.

3.4 न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 19 केवल कतिपय विशिष्ट अधिकारों के बारे में है, जो अपने उद्भव में व्यक्ति की स्वतंत्रता के गुण हैं। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति की स्वतंत्रता स्वयं अनुच्छेद 19 का निष्कर्ष नहीं है।[72]

3.5 वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के व्यापक क्षितिज पर जाने के पूर्व, इस अनुच्छेद के प्रयोजन और विधिशास्त्रीय तत्व का पता लगाना चाहिए। यह अधिकार ऐसा आधार भूमि है, जिसके बिना कई आनुषंगिक अधिकारों का उपभोग नहीं किया जा सकता है। आत्मपूर्णता की अभिप्राप्ति, विनिश्चय लेने में भागीदारी, सत्य की खोज आदि समेत ये अधिकार तब तक प्राप्त नहीं किए जा सकते जबतक वाक् स्वातंत्रय का उपयोग सद्भाविक तरीके से नहीं किया जाए। यह व्यष्टियों को सुशासन में सहयोग करने, विसम्मति करने और उचित हेतु के लिए कार्य की अनुज्ञा देता है।[73]

3.6 यह अधिकार प्रत्येक नागरिक को अपने विचार, राय और धारणा व्यक्त करने की गारंटी देता है। इस अधिकार के अधीन, व्यक्ति मौखिक शब्दों, लिखित, मुद्रित या किसी अन्य माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। विभिन्न निर्णयों में उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त मतानुसार, इस अधिकार में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित अधिकार अंतर्विष्ट है :

- अपना विचार और अन्य लोगों के विचार को प्रचारित करने का अधिकार।
- प्रेस की स्वतंत्रता।
- वाणिज्यिक विज्ञापन की स्वतंत्रता।
- प्रसारण का अधिकार।
- मौन का अधिकार।
- जानने का अधिकार।
- प्रदर्शन का अधिकार किंतु हड़ताल का अधिकार नहीं।
- समाचार पत्र पर पूर्व-सेंसरशिप अधिरोपित करने के विरुद्ध अधिकार।

3.7 **रंजीत डी उदेशी** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[74] वाले मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के अनुसार 'वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वह प्रतिष्ठापित अधिकार है, जिस पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है और जो स्वतंत्र राय व्यक्त करने का साधन है।'

3.8 **रोमेश थापर** बनाम **मद्रास राज्य**[75] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने मद्रास सरकार द्वारा एक अंग्रजी पत्रिका 'रेड क्रास' को बम्बई में प्रवेश और वितरण पर रोक पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया कि आदेश असंवैधानिक था क्योंकि यह वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण था क्योंकि **'वितरण की स्वतंत्रता के बिना, प्रकाशन का कोई मूल्य नहीं होगा।'** न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि 'वाक् और अभिव्यक्ति की

[72] ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, एआईआर 1950 एससी 27

[73] वी. गोविंदू, "भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विरोधाभास", 72(3) आईजेपीएस 641-650 (2011).

[74] एआईआर 1965 एससी 881.

[75] एआईआर 1950 एससी 124.

स्वतंत्रता में विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता सम्मिलित है, जो परिचालन की स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित है।'

3.9 **बेनेट कोलमैन एंड कं.** बनाम **भारत संघ**[76] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में न्यायालय ने न्यूजप्रिंट को आयात करने को निर्बंधित करने और न्यूजपेपर्स में इसे विभेदकारी ढंग से आबंटित करने की सरकारी नीति को असंवैधानिक ठहराते हुए अभिखंडित किया। न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि :

> *"यदि पृष्ठों में कमी के परिणामस्वरूप, समाचार पत्रों को उनकी आय के मुख्य स्रोत के रूप में विज्ञापनों पर निर्भर रहना होगा तो उन्हें समाचार और विचार के प्ररुप से वंचित रहना होगा। वह उनके वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से उन्हें वंचित करेगा। दूसरी और, यदि पृष्ठ सीमा पर निर्बंधन के परिणामस्वरूप, समाचार पत्रों को विज्ञापनों की बलि देनी होगी और इस प्रकार वित्तीय शक्ति की सीमा दुर्बल होगी और संगठन विखर जाएगा। विज्ञापनों की हानि से यह न केवल बंद हो सकता है बल्कि परिचालन भी प्रभावित होगा ओर तद्द्वारा वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा।"*

3.10 **एस. रंगराजन** बनाम **पी. जगजीवन राम**[77] वाले मामले में अंतरजातीय विवाह और साम्प्रदायिक हिंसा वर्णित करने वाली फिल्म पर रोक को चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने इस रोक को असंवैधानिक ठहराया क्योंकि यह सूचना और विचारों को प्राप्त करने और प्रदान करने के अधिकार का अतिक्रमण करता है, जो व्यापक वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है।

3.11 यह अधिकार उपयोग मीडिया, प्रेस, व्यष्टियों और किसी अन्य सत्ता जिसके पास अभिव्यकति और राय देने की स्वतंत्रता है, द्वारा किया जाता है। इस अधिकार का प्रयोग ऐसे लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते और अनुचित के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए उद्भूत हुआ। इसकी जड़ें देश के लोकतांत्रिक ढांचे में है और स्वयं अनुच्छेद के अधीन दिए गए निर्बंधन के सिवाय समझौता नहीं किया जा सकता। इस अधिकार का ऐसा व्यापक अभिप्राय है और इसे व्यक्ति की ख्याति और प्रतिष्ठा को लक्ष्यित करने के लिए सीमित नहीं किया जा सकता है। भाषण में शब्द और कथन सम्मिलित है, जिसे यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए, शताब्दियों तक लोगों को प्रेरित कर सकता है और यदि नकारात्मक ढंग से उपयोग किया जाए तो प्राण की हानि भी हो सकती है।[78]

---

[76] एआईआर 1973 एससी 106.

[77] (1989) 2 एससीसी 574.

[78] जापानी पहलवान हाना किमुरा ने सोशल मीडिया पर बदमाशी और अपमान के बाद अपनी जान ले ली। इसके बाद, जापान की संसद ने मानहानि के आपराधिक कानून में संशोधन किया और दंड और जुर्माने को बढ़ा दिया.

3.12 भारतीय दर्शन ने सत्य और उचित भाषण के महत्व पर बल दिया है। संस्कृत में यह एक उद्धरण है :

सत्यम् ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यप्रियम् ।

प्रियम च नानृतम् ब्रूयात, एष: धर्म: सनातन: ।।

इसका यह अर्थ है कि 'सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य हो किंतु अप्रिय हो नहीं बोलना चाहिए और प्रिय हो किंतु असत्य हो नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है।'[79]

3.13 महान तमिल कवि थिरुवल्लुवर द्वारा 31 बीसीई में अपने पुस्तक 'थिरुककुराल' में एक अन्य उद्धरण दिया गया जिसका अनुवाद इस प्रकार है :

"मांस को आग से जलाकर ठीक किया जा सकता है, प्रकृति घाव को ठीक कर सकती है, जिह्वा आत्मा को जला सकती है किंतु नासूर को कभी ठीक नहीं किया जा सकता है।"

3.14 यह विवादित नहीं है कि जब कोई विधि नहीं थी, तो स्वतंत्र भाषण को तब भी कतिपय सलाह और नैतिक व्यादेशों द्वारा निर्बंधित किया जाता था। अत:, यह नहीं कहा जा सकता है कि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का असीमित प्रयोग हमेशा मानक रहा है।

3.15 अनुच्छेद 19(1)(क) ऐसे निर्बंधनों द्वारा सीमित है, जो अनुच्छेद 19(2) में विहित है, जो इस प्रकार है :

"खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात किसी विद्यमान कानून के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी, जहां तक ऐसा कानून भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के हित में या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है।"

3.16 **एन. के. बाजपेयी** बनाम **भारत संघ**[80] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 19 के अधीन युक्तियुक्त निर्बंधन पर टिप्पणी की और यह मत व्यक्त किया :

"संविधान का भाग 3 संविधान की आत्मा है। मूल अधिकार आधारभूत अधिकार है किंतु न तो अनियंत्रित और न ही निर्बंधन के बिना। वस्तुत: भारतीय संविधान

[79] कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2023) 4 एससीसी 1.
[80] (2012) 4 एससीसी 653.

निर्माताओं ने स्वयं ऐसे अधिकारों (.....) पर निर्बंधन की प्रकृति का उल्लेख किया। किसी युक्तियुक्त निर्बंधन के बिना स्वतंत्रता के अधिकार की पूर्वापेक्षा करना कठिन है।
.....

निर्बंधनों का अधिरोपण मूल अधिकारों के उपभोग हेतु स्वनिर्मित अवधारणा है क्योंकि इस पर तत्समान युक्तियुक्त निर्बंधन के बिना कोई अधिकार विद्यमान नहीं हो सकता।"

3.17 'युक्तियुक्त निर्बंधन' अनुच्छेद 19 के खंड (1) के किन्हीं उपखंडों द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता और खंड (2) से (6) द्वारा अनुज्ञात सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाए रखना चाहता है।

3.18 **अनुराधा भसीन** बनाम **भारत संघ**[81] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया:

"संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अधीन उपबंधित अधिकार के कतिपय अपवाद हैं जो राज्य को समुचित मामलों में युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान करते हैं । अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन वाक् ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बाबत निर्बंधन संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अधीन उपबंधित हैं । अनुच्छेद 19(2) के तत्व इस प्रकार हैं : (क) राज्य की कार्रवाई विधि द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए ; (ख) प्रस्तावित कार्रवाई युक्तियुक्त निर्बंधन होना चाहिए ; (ग) ऐसा निर्बंधन भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित राज्य की सुरक्षा विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय के अपमान के संबंध में, मानहानि या अपराध के उद्दीपन के अग्रसरण में होना चाहिए ..... निर्बंधन की युक्तियुक्तता का उपयोग गुणात्मक, संख्यात्मक और सापेक्ष भाव में किया जाता है ।"

3.19 दावा या लक्ष्य कि वाक् स्वातंत्रय अधिकार पूर्ण होना चाहिए, बहुत शंकास्पद है। जहां वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सख्त संरक्षण भिन्न-भिन्न विचारों को प्रोत्साहित करने और सामाजिक प्रगति को समर्थ बनाने में आधारशिला के रुप कार्य करता है। फिर भी यह अपरिहार्य रुप से ख्याति के समान महत्वपूर्ण अधिकार को विच्छेदित करता है और यह अभिस्वीकार करते हुए कि एक व्यक्ति का प्रयोग अनुचित रुप से दूसरे व्यक्ति का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इन अधिकारों के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है।

ख. ख्याति का अधिकार

(i) आधारभूत मानव अधिकार के रूप में ख्याति का अधिकार

3.20 समाज हमेशा विधि द्वारा यथा विहित विनियमों द्वारा शासित होता है। प्रत्येक अधिकारिता की कतिपय आचार संहिता है, जो संबद्ध संस्कृति और परंपरा के अनुसार बनाया गया है। जब हम

[81] (2020) 3 एससीसी 637.

व्यक्ति के आधारभूत मानव अधिकार की बात करते हैं तो हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 को देखना चाहिए। किंतु अनुच्छेद 21 के आने के पहले व्यक्ति भोजन, जल आश्रय आदि के अधिकार जैसे समाज में आधारभूत अलंघनीय अधिकार का उपभोग करते थे। ऐसा एक अधिकार जो अतिप्राचीन समय से चला आ रहा है, मानव की 'ख्याति का अधिकार' है।

3.21 मानव प्राणी सभी अन्य सजीव प्राणियों से भिन्न है क्योंकि केवल वे ही ऐसे हैं, जो स्वतंत्र आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच, भाव और अभिव्यक्ति के लिए सक्षम है। व्यक्ति ऐसा है, जो अधिकारों के प्रयोग और उपचार का दावा करने के लिए भी पर्याप्त सक्षम है। जब विधिक बिंदु से देखा जाता है तो विधिक प्रणाली का अध्ययन मानव प्रकृति की समझ से संचालित किया जाता है क्योंकि विधि मानव प्राणी के फायदे के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। स्वतंत्र और सामाजिक प्राणी होने के कारण व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है, अभिव्यक्त करने को प्रचारित करने के लिए अनुज्ञात है। उसका आचरण उसकी निजी स्वतंत्र इच्छा के अनुरुप है और यह अनिर्बंधित है जब तक विधि के नियम द्वारा विनियमित है। हितोपदेश प्रस्ताविका के अनुसार, मानव प्रणी और मानव प्राणी और पशु खाने, सोने और उपभोग करने के कतिपय सामान्य आनन्द का उपभोग करते हैं। तथापि, मानव प्राणी का विशेष गुण 'धर्म' का पालन करने की योग्यता है, जो मानव के प्राकृतिक आचरण को विनियमित करने के लिए बनाई गई विधि है।[82] अत:, व्यक्ति की कार्रवाइयों की सीमाएं विधि में दी गई है और व्यक्ति की गरिमा के संरक्षण का सुरक्षोपाय भी इसके अधीन किया गया है।

3.22 ख्याति का अधिकार मर्यादित और प्रतिष्ठित जीवन के अधिकार का एक भाग है, जो एक असंक्राम्य अधिकार है। ऐसा अधिकार जो व्यष्टि के अंतर्निहित मूल्य और संप्रभुता से निकलता है, संभाव्यत: सार्वभौमिक है, न्यूनतम: आधारभूत मानव अधिकार गठित करता है। व्यष्टि (अर्थात् उसके हित में क्या है) के लिए सर्वोत्तम क्या है, का जवाब देने के बजाए, हम यह तर्क करते हैं कि कतिपय अधिकार उससे ऊपर उठकर व्यक्ति की भलाई (मूल्य, महत्व और गरिमा) और उसकी संप्रभुता के उत्तर में है।[83] आगे यह कहा जा सकता है कि अधिकार युक्तियुक्त ढंग से एक अन्य व्यक्ति के उसके संबद्ध अधिकार के प्रयोग में मात्र उसका कर्तव्य हो सकता है। यह कहा जा सकता है कि अन्य आधारभूत मानव अधिकारों की तरह ख्याति के अधिकार का प्राकृतिक विधि की अवधारणा में अपना उद्गम है। प्राकृतिक विधि सिद्धांत समय के साथ ऐसे सिद्धांत की ओर अग्रसर हुआ जो आधुनिक मानव अधिकार में अंर्तभूत है अर्थात् वह आधारभूत मानव अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व में अंतनिर्हित है। ये अधिकार उलंघनीय है और वैधत: उस व्यक्ति से नहीं ली जा सकती क्योंकि इन मानव अधिकारों का कोई इनकार या वंचन अतिलंघन होगा।[84] यह किसी अन्य मूल अधिकार के समान है और व्यक्ति के नाम

[82] रामा जोइस, प्राचीन भारतीय न्यायशास्त्र में आधुनिक और सार्वजनिक न्याय के बीज 4 (ईस्टर्न बुक कंपनी, द्वितीय संस्करण, 2000)।
[83] जूल्स कोलमैन और स्कॉट शापिरो (संपादक), द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ ज्यूरिसप्रुडेंस एंड फिलॉसफी ऑफ लैन (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. 2004)।
[84] मनोज कुमार सिन्हा, बुनियादी मानव अधिकारों का कार्यान्वयन 5 (लेक्सिसनेक्सिस, प्रथम संस्करण, 1999)।

और ख्याति को कायम रखने का भी अधिकार उस व्यक्ति को प्राकृतिक रुप से प्रदत्त अधिकार है।[85]

(ii) ख्याति का अधिकार और न्यायिक निर्णय

3.23 विभिन्न अधिकारिताओं के न्यायालयों ने ख्याति के अधिकार के अस्तित्व को व्यक्ति के जीवन के अभिन्न भाग के रूप में मान्यता प्रदान की है। ख्याति के अधिकार के महत्व पर बल देते हुए **डी. एफ मैरियन** बनाम **मिन्नी डैविस**[86] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया :

> *"दुर्भावपूर्ण अपमानवचन द्वारा अप्रभावित प्राइवेट ख्याति के उपभोग का अधिकार का उद्गम प्राचीन समय से है और मानव समाज के लिए आवश्यक है। अच्छी ख्याति स्वीय सुरक्षा का तत्व है और प्राण, स्वतंत्रता और संपत्ति के उपभोग के अधिकार के साथ समानत: संविधान द्वारा संरक्षित है। अपमान वचन या अपमान लेख की कार्रवाई का अधार ख्याति की दुर्भावपूर्ण क्षति है और अपराध का कोई मिथ्या और दुर्भावपूर्ण लांछन या एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के संबंध में प्रकाशित नैतिक अधमता जो व्यक्ति को उसके मित्रों और परिचितों या आम जनता की नजर में असम्मान, मजाक, कलंक या अपमान के अधीन लाता है और परिणामस्वरूप उसकी ख्याति को नुकसान पहुंचता है या तो स्वयमेव या बोलने के अनुसार अभियोज्य है।"*

3.24 **किरण बेदी और अन्य** बनाम **कमेटी आफ इन्क्वायरी और एक अन्य**[87] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने व्यक्ति की ख्याति के मुद्दे के महत्व पर बल दिया और अधिकार को व्यक्ति का वैयक्तिक अधिकार निर्दिष्ट किया। न्यायालय ने 'व्यक्ति' की परिभाषा को 'व्यक्ति' पद के अंतर्गत न केवल शारीरिक शरीर और सदस्य किंतु प्रत्येक शारीरिक भाव और वैयक्तिक गुण जिसमें व्यक्ति द्वारा अर्जित ख्याति है, सम्मिलित है।[88] न्यायालय ने आगे यह मत व्यक्त किया:

> *"व्यक्ति की ख्याति स्वयं, उसकी शरीर और अंग का भाग है और ख्याति अन्य व्यक्तियों की अच्छी राय का उपभोग करने हेतु, एक तरह की लड़ाई है और भुजा और पैर की तरह विकास और वास्तविक अस्तित्व में सक्षम है। अत:, ख्याति व्यक्तिगत लड़ाई है और ख्याति का अधिकार हिंसा से प्रतिष्ठा और सुरक्षा के महत्व के समान उन पूर्ण वैयक्तिक लड़ाइयों में से है। प्राचीन काल की विधियां जो आधुनिक राष्ट्रों से कम नहीं है, ने प्राइवेट ख्याति को उनके संरक्षण का एक उद्देश्य बनाया (.....) व्यक्ति की ख्याति की निंदा उसके व्यक्तित्व की क्षति है और इस प्रकार ख्याति की क्षति व्यक्तिगत क्षति है अर्थात् पूर्ण व्यक्तिगत अधिकार की क्षति है।"*

3.25 **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **पब्लिक कन्सर्न आफ गर्वनेन्स ट्रस्ट**[89] वाले मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्राण, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार सभी संविधान द्वारा गारंटीकृत

---

[85] रोस्को पाउंड, न्यायशास्त्र 56 (लॉबुक एक्सचेंज लिमिटेड, पुनर्मुद्रण, 2000.
[86] 55 अमेरिकन एलआर 171.
[87] 1989 एआईआर 714 : 1989 एससीआर (1)20.
[88] 77 कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम 268 (थॉमसन पश्चिम, 2017).
[89] एआईआर 1989 एससी 714.

है और अच्छी ख्याति बनाए रखना वैयक्तिक संरक्षण का एक पहलू था। यह विनिश्चित किया गया कि अधिकार का विस्तार व्यक्ति के जीवन के दौरान और उसकी मृत्यु के पश्चात् तक है। इसके आलोक में, अनुच्छेद 21 राज्य या इसके प्राधिकारियों द्वारा किसी अनुचित आचरण को बिल्कुल लागू होगी, जो अच्छे व्यक्ति की ख्याति को नुकसान पहुंचाता है।

3.26 **बिहार राज्य** बनाम **लाल कृष्ण आडवाणी**[90] वाले मामले में भागलपुर जिले में सामुदायिक विक्षोभ के अन्वेषण के लिए 24 अक्तूबर, 1989 को दो सदस्यों की समिति गठित की गई। सार्वजनिक पहचान के रूप प्रत्यर्थी की ख्याति को रिपोर्ट में की गई कमेटी की टिप्पणी द्वारा नुकसान हुआ और उन्हें सुने जाने का कोई अवसर दिए बिना टिप्पणी की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय के अनुसार यह काफी स्पष्ट था कि प्रत्येक व्यक्ति को रखने और बनाए रखने के अधिकार के अलावा अपनी ख्याति के सुरक्षोपाय का अधिकार है।

3.27 **ज्ञान कौर** बनाम **पंजाब राज्य**[91] वाले मामले में न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि ख्याति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है।

3.28 **महमूद नैयर आजम** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य**[92] वाले मामले में न्यायालय ने प्राण के महत्व और इससे सहबद्ध ख्याति के गौरव पर चर्चा की। न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :

> *"मानवीय गौरव असंख्य संभावनाओं से जुड़ा है और यह फैलती रहती है जब गरिमा बनी रहती है। ऐसी गरिमा का बना रहना प्रत्येक संवेदनशील आत्मा की विशेष चिंता रहती है। गरिमा के तत्व को कभी प्रकाश का क्षणिक ज्वलन नहीं माना जा सकता है या यूं कहे कि 'संक्षिप्त कैंडल' या 'खाली बुलबुला'। जीवन की चिनगारी और समुज्जिवलत होती है जब व्यक्ति अवमानना के बिना गरिमा के साथ जीवन जीता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक सम्मानीय जीवन जीन के प्रत्याशा रखता है जो 'सृजनात्मक बुद्धि' का शानदार उपहार है। जब ख्याति में खरोच लग जाती है, तो मानववाद गतिहीन हो जाता है ....।"*

3.29 **विश्वनाथ अग्रवाल** बनाम **सरल विश्वनाथ अग्रवाल**[93] वाले मामले में न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि ख्याति न केवल जीवन का नमक है बल्कि इसका विशुद्ध मणि है और सर्वाधिक मूल्य हीन सुगंध है। यह यहां और अब भी भावी पीढ़ी दोनों के लिए आय सृजित करता है।

3.30 **उमेश कुमार** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य**[94] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय को दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने यह उल्लेख किया कि व्यक्ति की ख्याति का अधिकार उनके स्वीय अधिकारों में से एक है। वैयक्तिक सुरक्षा के घटक के रुप में, अच्छी ख्याति प्राण, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार के साथ संविधान द्वारा गारंटीकृत है। इस कारण, इसे

---

[90] एआईआर 2003 एससी 3357.
[91] 1996) 2 एससीसी 648.
[92] 2012) 8 एससीसी 1.
[93] 2012) 7 एससीसी 288.
[94] (20 टी3) 10 एससीसी 591.

संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन नागरिक के प्राण के अधिकार के लिए आवश्यक समझा जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और राय धारित करने के अधिकार को अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा, 1966 के अनुच्छेद 19 के अधीन अन्य लोगों की उनकी ख्याति को संरक्षित रखने के अधिकार के अधीन रहते हुए मान्यता प्रदान किया गया है।

3.31 **नीलगिरी बार एशोसिएशन** बनाम **टी. के. महालिंगम और एक अन्य**[95] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया :

> *"'व्यक्ति' पद के अंतर्गत न केवल शारीरिक शरीर और सदस्य बल्कि सभी शारीरिक भाव और व्यक्तिगत गुण सम्मिलित है, जिसमें ख्याति भी है जिसे व्यक्ति ने अर्जित किया है। ख्याति को अच्छा नाम, सम्मान, साख या चरित्र के रुप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जो अनुकूल आम राय या मान और रिपोर्ट द्वारा चरित्र से व्युत्पन्न किया गया है। अच्छी ख्याति के उपभोग का अधिकार प्राचीन उद्गम का मूल्यवान विशेषाधिकार है और मानव समाज के लिए आवश्यक है। 'ख्याति' वैयक्तिक सुरक्षा का तत्व है और प्राण, स्वतंत्रता और संपत्ति के उपभोग के अधिकार के साथ समानत: संविधान द्वारा संरक्षित है। यद्यपि 'चरित्र' और 'ख्याति' का प्रयोग प्राय: समानार्थक रुप से किया जाता है किंतु ये पद सुभेद्य हैं। 'चरित्र' वह है जैसा वह व्यक्ति है और 'ख्याति' वह है जो वह यह चाहता है कि लोग उसे कहें। 'चरित्र' व्यक्ति द्वारा धारित गुणों पर निर्भर करता है और 'ख्याति' ऐसे गुण है जो अन्य लोग उसके द्वारा धारित होने का विश्वास करते हैं। पूर्ववर्ती वास्तविकता को द्योतित करता है और बाद वाला मात्र यह जो वर्तमान में वास्तविक होना स्वीकार किया जाता है ....।"*

3.32 इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नि:संदेह न्यायालयों ने ख्याति के अधिकार को काफी ऊंचे पायदान पर रखा है। न्यायालयों ने व्यष्टि की ख्याति के मूल्य और इससे जुड़े महत्व को स्वीकार किया है। इस पर कोई बहस नहीं है कि ख्याति का अधिकार अनुच्छेद 21 का आंतरिक फलक है। न्यायालयों ने इसे स्वीकार किया क्योंकि प्राचीन समय से ही समाज द्वारा इसे संरक्षित रखा गया है और महत्व दिया गया है। न्यायालयों का कार्य समाज की अंतरात्मा पर आधारित है और यह निर्णयों से प्रतिबिंबित होता है। अत:, यह कहा जा सकता है कि प्राण और स्वतंत्रता के अधिकार का अंतर्भूत होने के कारण ख्याति के अधिकार को न्यायालय और समाज दोनों द्वारा कायम रखा गया है।

ग. ख्याति और वाक् स्वातंत्रय के बीच संतुलन

3.33 यह सुस्थिर है कि ख्याति का अधिकार और वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल आधार है। वाक् स्वातंत्र्य व्यक्ति की लोकतंत्र में राय, विचार और सार्थक

[95] एआईआर 1963 एससी 1088.

भागीदारी के लिए स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है जबकि ख्याति कुछ ऐसी वस्तु है, जो व्यक्ति की सर्वाधिक मूल्यवान आस्ति के रूप में सहयोजित रही है। आगे, यह चर्चा पहले ही की जा चुकी है कि वाक् स्वातंत्रय के अधिकार की सीमाएं भी है। अधिकार को अनुच्छेद 19(2) में यथा विनिर्दिष्ट निर्बंधनों के आधार पर सीमित किया जा सकता है और यह किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार पर अतिक्रमण करने वाला भी नहीं होना चाहिए। इस आधार पर, दोनों को सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन देने के लिए दो मूल अधिकारों को संतुलित किया गया है। यह भाग यह विश्लेषण करेगा कि क्या ख्याति के अधिकार के संरक्षण के लिए मानहानि विधि का आस्तित्व वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्तियुक्त निर्बंधन है।

(i) न्यायालयों द्वारा मूल अधिकारों का संतुलन

3.34 मूल अधिकारों पर भारतीय विधिशास्त्र पृथक अधिकारों की पुष्टि और संतुलन पर बल देता है। किसी विशिष्ट अधिकार को अधिक महत्व देने का तर्क अकेले नहीं ठहरता। एक से दूसरे मूल अधिकार को महत्व देने की अवधारणा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि मूल अधिकार अकेले या एक जकड़जामे में विद्यमान नहीं रह सकता।[96] एक मूल अधिकार के दूसरे मूल अधिकार या कर्तव्य के साथ सद्भाव में सह अस्तित्व समाज के सामाजिक कल्याण के हित में है। न्यायालयों ने बारंबार दोहराया है कि सभी मूल अधिकार व्यक्तिगत रूप से संविधान की समेकित स्कीम के भाग हैं और उन सब को पूर्ण और निष्पक्ष न्याय का अधिकतम फायदा अभिप्राप्त करने के लिए मिश्रित किया जाना चाहिए।[97] न्यायालयों ने यह कहते हुए संतुलन बनाए रखने की भावना को स्पष्ट किया कि इसकी आवश्यकता और परिवर्तन की अपेक्षा और समाज की स्थिरता की आवश्यकता के बीच तथा पिछली परम्पराओं और वर्तमान सुविधाओं के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।[98]

3.35 मिस्टर 'एक्स' और अस्पताल 'जेड'[99] वाले मामले में न्यायालय को प्राण के मूल अधिकार और स्वस्थ जीवन जीने के मूल अधिकार के बीच विनिश्चय करना था। न्यायालय ने एकांतता पर स्वास्थ्य के मूल अधिकार को महत्व देते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसे अधिकार को उन्नत होना चाहिए जो लोक नैतिकता या लोक हित को त्याग देता है। न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायाधीश मौन ढांचे की तरह नहीं बैठ सकते और उन्हें वर्तमान समय की नैतिकता पर विचार करते हुए कार्य करना चाहिए।

3.36 न्यायालय ने एक अन्य मामले में, संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के बीच संतुलन बनाते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि किसी मूल अधिकार की उपेक्षा नहीं की जा सकती और उन्हें संतुलित बनाने में वास्तविकता के साथ सुसंगत विचारों पर ध्यान देना चाहिए।[100]

---

[96] आचार्य महाराजश्री नरेंद्र प्रसादजी आनंदपुर महाराज एवं अन्य। वी. राज्य गुजरात और अन्य, (1975) 1 एससीसी 11.

[97] दिल्ली परिवहन निगम बनाम डी.टी.सी. मजदूर कांग्रेस एवं अन्य, 1991 सप्प) एस.सी.सी. 600.

[98] सेंट स्टीफंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992 एससीसी 600).

[99] (1998) 8 एससीसी 296.

[100] पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ बनाम फैकल्टी एसोसिएशन और अन्य (1988) 4 एससीसी 1.

3.37 **मेनका गांधी** बनाम **भारत संघ**[101] वाले मामले में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने यह राय व्यक्त की थी कि :

> *"विधि अब स्थिर है जैसा मैं समझता हूं कि भाग 3 का कोई अनुच्छेद द्वीप नहीं है बल्कि महाद्वीप का भाग है और पूर्ण भाग का सिंहावलोकन इन मूल उपबंधों के निर्वचन के लिए आवश्यक दिशा और सुधार प्रदान करता है। पुरुष अंगों में पृथक् करने हेतु विच्छेदनीय नहीं है और इसी प्रकार मूलभूत अधिकार स्वभावगत संविधान में है, जो पुरुष को संश्लेषित बनाता है। यह प्रतिपादना असंदिग्ध है कि इस स्थिति में अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 को अपवर्जित नहीं करता यदि दोनों अधिकारों का भंग होता है।"*

3.38 न्यायालय अपने निर्वचन द्वारा व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं ताकि अधिकार की परिधि को घटाने के बजाय विस्तारित किया जा सके। न्यायालयों ने कई बार यह स्वीकार किया है कि उनका कर्तव्य न केवल मूल अधिकारों को सुरक्षित रखना है बल्कि सामाजिक नियंत्रण के अधीन रहते हुए सामंजस्य में अधिकारों के बीच संतुलन भी बनाए रखना है। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों की प्रकृति पर बल देते हुए यह अभिनिर्धारित किया[102] :

> *"अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान के अधीन आत्यंतिक मूल्य नहीं है। यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई एकल मूल्य चाहे जितना उन्नत हो, सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली कायम रखने का पूरा भार वहन नहीं कर सकता है। हमारी संवैधानिक प्रणाली के कई महत्वपूर्ण मूल्य हैं और सभी हमारी स्वतंत्रताओं की गारंटी में सहायता करते हैं किंतु कभी-कभी प्रतिकूल हो जाते हैं। संभवत: हमारे संविधान के अधीन कोई मूल्य आत्यंतिक नहीं है। अत:, सभी महत्वपूर्ण मूल्यों को अन्य महत्वपूर्ण और प्राय: प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों के विरुद्ध अर्ह और संतुलित होना चाहिए। परिभाषा, अर्हता और संतुलन की यह प्रक्रिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्य की बाबत उतनी ही अपेक्षित है जितनी यह अन्य मूल्यों के लिए है।"*

3.39 **मोहम्मद आरिफ उर्फ असफाक** बनाम **रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय और अन्य**[103] वाले मामले में आपराधिक मानहानि सापेक्ष वाक् स्वातंत्रय के मुद्दे पर विचार करते हुए न्यायालय ने समान मुद्दे पर चर्चा की थी। न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा गया कि :

- आपराधिक मानहानि का सातत्य संवैधानिकत: कल्पनातीत है क्योंकि यह वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में खरोंच पैदा करता है।
- आपराधिक मानहानि एक संविधानपूर्व विधि है और पूर्णत: वाक् स्वातंत्रय से असंगत है।

3.40 दोनों दलीलों को खारिज करते हुए पूर्वोक्त मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कोई मूल अधिकार आत्यंतिक नहीं है और ऐसे मामले में, मूल अधिकारों का संतुलन संवैधानिक आवश्यकता हो जाती है। ऐसे मामलों में, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संतुलन इस तरह से किया जाए कि प्रत्येक अधिकारों के समुन्नत मूल्यों को बनाए रखा जा सके।

---

[101] 1978 एससीआर (2) 621.

[102] सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड एवं अन्य, 2013 (2) एससीसी 732.

[103] (2014) 9 एससीसी 737.

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ख्याति का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण के अधिकार का अपरिहार्य पहलू है और प्रत्येक की सुरक्षा का उत्तरदायी होने के कारण राज्य ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अधीन उपचारात्मक सुरक्षोपाय रखा है। न्यायालय ने यह कहते हुए दूसरे तर्क को खारिज कर दिया कि विधि के रुप में मानहानि का प्रयोजन उसका सुरक्षोपाय करना है, जो अनुच्छेद 21 के अधीन संरक्षित है और वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी व्यक्ति की ख्याति को जोखिम में नहीं डाला जा सकता है।

3.41 एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कोई मूल अधिकार पूर्ण नहीं है और अन्य व्यक्ति के उनके अधिकार के अन्यायोचित उपयोग पर आधारित कार्य की प्रतिक्रिया को सहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार का उपयोग करते समय अन्य लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता पर दखल नहीं दे सकता। न्यायालय ने यह कहा कि 'अनुच्छेद 19(1)(क) को अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकार को विफल करने के लिए महत्व नहीं दिया जा सकता है।'[104]

3.42 तनाव को दूर करने के लिए दो संभव विकल्प या तो अन्य के आलोक में एक अधिकार का समन्वय करना या उन्हें संतुलित कर दोनों को स्थान देना है। विभिन्न निर्णयों में यह देखा गया है कि न्यायालयों ने किसी अधिकार को अतिमहत्व देने के बजाय दोनों अधिकारों के सार को न्यायोचित ठहराते हुए दोनों को संतुलित किया। न्यायालयों ने संतुलन बनाए रखते हुए संभव है या नहीं, निर्बंधन का भी विश्लेषण किया। इसे निष्कर्ष के रूप में देखा जाता है कि व्यक्ति की ख्याति को युक्तियुक्त सुरक्षोपाय के रुप में संरक्षित करते हुए आपराधिक मानहानि की विधि के न्यायनिर्णयन द्वारा दोनों अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखा गया है। अत:, न्यायालय के लिए यह अभिनिर्धारित करना युक्तियुक्त था कि मूल अधिकारों को संतुलित करने के सिद्धांत को लागू कर दांडिक अपराध के रूप में मानहानि संविधान के अनुच्छेद 19(2) की परिधि के परे नहीं है विशेषकर तब जब 'मानहानि' पद इसमें निर्बंधन के रूप में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है।

3.43 अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन अधिकार को पिछले कई अवसरों पर न्यायालयों द्वारा पढ़ा गया और संतुलित किया गया। अनुच्छेद वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19(1)(क) पर अनुच्छेद 19(2) के अधीन विनिर्दिष्ट परिसीमाएं अधिकथित करता है। ऐसा कोई विधान जिसका लक्ष्य अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन अधिकार को निर्बंधित करना है, को अनुच्छेद 19(2) के अधीन रेखांकित निर्बंधनों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। दो मूल अधिकारों के बीच तनाव की दशा में, न्यायालय संतुलन बनाता है ताकि प्रत्येक अधिकार का उपयोग सार्थक रुप से किया जा सके।

3.44 **थलप्पालय सेवा सहकारिता बैंक लि.** बनाम **केरल राज्य**[105] वाले मामले में न्यायालय ने क्रमश: अनुच्छेद 19(1)(क) और अनुच्छेद 21 से उभरते दो हितों के बीच संतुलन बनाया।

---

[104] पुनः: ध्वनि प्रदूषण आरआरबी, 2005 (8) एससीसी 796

[105] 2013 (16) एससीसी 82.

मामला रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी केरल (आरओसीएस) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 'समाज से आरटीआई के माध्यम से सूचना चाहने के संबंध में था, जो न तो अनुच्छेद 12 के अधीन 'राज्य' की परिभाषा के अधीन और न ही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) के अधीन 'लोक प्राधिकारी' की परिभाषा के अधीन आता है। न्यायालय ने एक ओर अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन जानने के अधिकार और दूसरी ओर अनुच्छेद 21 के अधीन एकांतता और वैयक्तिक सूचना के अधिकार पर ध्यान दिया। न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि दोनों अधिकार आत्यंतिक नहीं हैं और व्यापक लोक हित में विनियमित किया जा सकता है। संतुलन बनाते हुए न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को मान लिया और अभिनिर्धारित किया कि ऐसा प्रकटन जो सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है, एकांतता का अनापेक्षित अतिलंघन है जिसका व्यक्ति हकदार है। न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि सूचना का अधिकार और एकांतता बेलगाम नहीं है और जब कभी पारस्परिक रूप से टकराते हैं, उन्हें निर्बंधित किया जा सकता है।

3.45 **आर. राजगोपाल उर्फ आर. आर. गोपाल** बनाम **तमिलनाडु**[106] वाले मामले में, न्यायालय ने पुन: दोनों अधिकारों के बीच उचित संतुलन बनाए रखा। मामला एक कारागार अधिकारी द्वारा कैदी की आत्म कथा को पत्रिका में प्रकाशित करने से निवारित करने के प्रयास से संबंधित था। याची ने इस आधार पर इसकी चुनौती दी कि यह कैदी[107] की वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और याची की पत्रिका पर निर्बंधन है। अधिकारी ने यह अभिवाक् किया कि पत्रिका की अंतर्वस्तु मानहानिकारक है और कर्मचारी की ख्याति को क्षति पहुंचा सकती है। न्यायालय ने संतुलन के सिद्धांत को लागू किया और यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य और इसके कर्मचारी इस प्रत्याशा पर प्रकाशन पर पूर्व निर्बंधन अधिरोपित करने का विकल्प नहीं रख सकते कि यह उनके प्रति मानहानिकारक हो सकता है। न्यायालय ने यह कहा कि मानहानि के लिए वाद लाने का उनका अधिकार अब भी जीवित रहेगा और प्रकाशन के पश्चात् भी उद्भूत होगा। अत:, न्यायालय ने दोनों मूल अधिकारों को जीवंत रखा और दोनों पक्षकारों की गरिमा को संतुलित किया।

3.46 न्यायालय ने **पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिवर्टीज** बनाम **भारत संघ और अन्य**[108] वाले मामले में दो मूल अधिकारों के बीच संबंध का विश्लेषण किया। मामला टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) की संवैधानिक विधिमान्यता के संबंध में था, जो संबद्ध व्यक्ति की अनुज्ञा के बिना कतिपय स्थितियों में 'फोन टैपिंग' की अनुज्ञा देती थी। इसमें प्रक्रिया के उचित प्रयोग के लिए प्रक्रियागत सुरक्षोपाय की भी कमी थी। न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि टेलीफोनिक संवाद वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन सुरक्षित हैं और इसका अवरोधन अनुच्छेद 19(2) के अधीन यथावर्णित युक्तियुक्त निर्बंधन के द्वारा होना

[106] एआईआर 1995 एससी 264.
[107] कैदी ने पत्रिका में अपनी आत्मकथा प्रकाशित करने की पूर्व अनुमति दे दी थी.
[108] एआईआर 1997 एससी 568.

चाहिए। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह निर्बंधन के किसी जुड़ाव के बिना किया गया और अनुच्छेद 21 का गंभीर अतिक्रमण था।

3.47 यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि न्यायालय ने किसी भी बात पर एकांतता के अधिकार को अधिक महत्व दिया है। न्यायालय के निर्णय समाज की ऐसी विचारधारा को प्रतिबिंबित करते हैं जो प्राण और स्वतंत्रता के अधिकार को भी सर्वोपरि मानते हैं। न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में किसी व्यक्ति के हित को अनुच्छेद 21 के क्षेत्र के अधीन इसे लाकर सुरक्षोपाय किया है। यह भी देखा गया है कि न्यायालय और सतर्क तथा संरक्षी हो जाते हैं जब किसी व्यष्टि के अधिकार का अतिक्रमण होता है।

3.48 ऐसे मामलों में भी इसी तरह की स्थिति पाई गई जहां किसी व्यष्टि की ख्याति का अधिकार प्रभावित हुआ। **राम जेठमलानी** बनाम **भारत संघ** वाले मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :

> *"एकांतता का अधिकार प्राण के अधिकार का अभिन्न भाग है। यह एक प्रतिष्ठित संवैधानिक मूल्य है और यह महत्वपूर्ण है कि मानव प्राणियों को ऐसी स्वतंत्रता के अधिकार क्षेत्र में अनुज्ञात किया जाए, जो तब तक लोक संवीक्षा से मुक्त हों जब तक उनका कार्य विधि विरुद्ध न हो (.....)। संवैधानिक मूल्यों के एक जोन के उत्सादन की समस्या का समाधान संवैधानिक मूल्यों के उत्सादन के द्वसरे जोन का सृजन नहीं हो सकता है। मूल अधिकारों को प्रभावी रूप से संरक्षण चाहने के लिए अनुच्छेद 32(1) के अधीन नागरिकों के अधिकारों को अनुच्छेद 21 के अधीन नागरिकों और व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति संतुलित करना होगा। उस अधिकार को साथी नागरिकों के धर्म परीक्षक होने के रूप में विस्तारित नहीं किया जा सकता। कोई धर्म परीक्षक आदेश, जहां नागरिकों के एकांतता के मूल अधिकार का साथी नागरिकों द्वारा भंग किया जाता है वह सामाजिक व्यवस्था का विध्वंसक है। एकांतता के अधिकार को प्राण के अधिकार के भाग के रूप में मानने की मूल अधिकारों की धारणा मात्र यह नहीं है कि राज्य उनसे कम करने के लिए व्यादिष्ट नहीं है। उन अन्य लोगों द्वारा मूल अधिकारों के प्रयोग के संदर्भ में भी समाज में अन्य लोगों की कार्रवाइयों के विरुद्ध उन्हें कायम रखने का राज्य का उत्तरदायित्व भी सम्मिलित है।"*

(ii) आनुपातिकता परीक्षण

3.49 आनुपातिकता कसौटी एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका उपयोग विभिन्न अधिकारिताओं में मूल अधिकारों पर सीमाओं को न्यायोचित ठहराने के लिए किया जाता है। संवैधानिक न्यायालयों द्वारा आनुपातिकता का अंगीकरण मूल अधिकारों पर सीमाओं की व्यवहार्यता के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया है। यह एक ऐसा औजार है जिसका उपयोग ऐसी कार्रवाई की संवैधानिक विधिमान्यता को अवधारित करने के लिए किया जाता है जब लक्ष्य मूल अधिकारों को सीमित करना हो।[109] पारंपरिक आनुपातिकता कसौटी में, अधिकार को सीमित करने का कारण अच्छा

[109] बैंक कल्लुर बनाम एचएम ट्रेजरी, (नंबर 2), [2014] एसी 700, 790-91 (यूके सुप्रीम काउंसिल).

और ठोस आधार होना चाहिए जिसे अन्यथा 'लोक आधार' कहा जा सकता है।[110] इसका यह अर्थ है कि निर्बंधनों का आधार मूल्यों और मानकों के उपयोग के माध्यम से होना चाहिए जो सार्वजनिक रूपसे उपलब्ध और स्वीकार्य हों। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुमत और अल्पमत दोनों समूहों द्वारा इसे समानता का संविधायी तत्व बताते हुए आधार को स्वीकार करना चाहिए। आनुपातिकता कसौटी में चार तत्व सम्मिलित है, पहला, राज्य को अधिकार निर्बंधित करते समय 'बाध्यकारी' और 'विधिसम्मत' हित का पालन करना चाहिए।[111] **दूसरा** 'उपयुक्तता कसौटी' से संबंधित है जो यह कहती है कि अधिकार को सीमित करने में प्रयुक्त उपाय और विधिसम्मत हित के बीच युक्तियुक्त संबंध होना चाहिए। **तीसरा** तत्व 'आवश्यकता कसौटी' है जो यह विहित करती है कि ऐसे हित जिनका सुरक्षोपाय किया गया है, को प्रोन्नत करने में उपाय आवश्यक होने चाहिए। तब **चौथा** और अंतिम 'आनुपातिक कसौटी' है जो ऐसे अधिकार के स्तर को मापने के बारे में है जिसे ऐसे हित जिन्हें प्रोन्नत किया गया है, के विरुद्ध कम किया गया है।[112] आनुपातिकता कसौटी का उपयोग विभिन्न अधिकारिताओं में भिन्न-भिन्न कार्य प्रणाली के साथ किया गया है। जर्मन फेडरल कांन्स्टीट्शनल न्यायालयों में, संतुलन अंतिम प्रक्रम पर आता है जबकि कनेडियन उच्चतम न्यायालय पूर्व प्रक्रम पर ही संतुलन पर विचार करता है।[113]

3.50 भारतीय उच्चतम न्यायालय भी चार प्रक्रम आनुपातिकता तंत्र का अनुसरण करता है जिसमें संतुलन की कसौटी अंत में आती है।[114] वर्तमान विश्लेषण ख्याति के अधिकार और वाक् स्वातंत्रय के अधिकार के बीच आनुपातिकता के बारे में है।[115] कसौटी के प्रथम प्रक्रम में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बंधित करते हुए ख्याति के अधिकार का विश्लेषण विधिसम्मत और आबद्धकारी हित के रुप में है। पहले यह चर्चा की गई है कि ख्याति का अधिकार एक प्राकृतिक मानव अधिकार है और व्यक्ति के प्राण और स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न है। इस आधार पर आबद्धकारी हित यह है कि ख्याति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में सुरक्षित रखा गया है। हित आबद्धकारी है जब यह व्यष्टि के लिए आधारभूत है ।प्राचीन काल से ही अधिकार के रुप में ख्याति व्यक्ति की प्रिय रही है।[116] पूर्वकाल में, दंड देने के प्रयोजन के अंतर्गत भी व्यक्ति को अपमानित करने का अपराध सम्मिलित है क्योंकि यह प्रत्यक्षत: उस व्यक्ति की ख्याति के अधिकार को प्रभावित करता है। इसका कोई महत्व नहीं है कि मूल अधिकार आत्यंतिक नहीं है और वाक् और अभिव्यक्ति के संवेदनशील अधिकार का आत्यंतिक निर्वचन नहीं किया जा सकता

---

[110] जे रॉल्स. राजनीतिक उदारवाद एनटी 212-2554 (कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, 2005) 50.

[111] एलबी ट्रेम्बले, "आनुपातिकता-आधारित संतुलन का एक समतावादी बचाव", 12(4).इंटल. जे. ऑफ कॉन्स्ट. लॉ 864-890 (2014) एफजे उर्बिना. "क्या यह वास्तव में इतना आसान है? प्रोपोनियलिटी और 'तर्क के रूप में संतुलन' की आलोचना", 27(1) कैनेडियन जर्नल ऑफ लॉ एंड ज्यूरिसप्रूडेंस 167-192 (2014)।

[112] जे रिवर्स, "समीक्षा की आनुपातिकता और परिवर्तनशील तीव्रता",65 कार्नब्रिज ला\वी जौमल 174-207.

[113] डी ग्रिम, "कनाडाई और जर्मन संवैधानिक न्यायशास्त्र में आनुपातिकता", 57 टोरंटो विश्वविद्यालय लॉ जर्नल 383-397 (2007).

[114] अपर्णा चंद्रा, "भारत में आनुपातिकता: कहीं नहीं जाने वाला पुल", 3(2) यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ह्यूमन राइट्स हब जर्नल, यहां उपलब्ध: https://ohrh.law.ox.ac.uk/wp-content,/u ploads/2l21/04/lJ-of-OxHRH-J-Proportionality-in- lnd ia- I .pdf. (बाद में 10 जनवरी, 2024 को देखा गया)।

[115] जी लेट्सस ए थीम' ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2007).

[116] ग्रेगोइरे वेबर, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आनुपातिकता और सीमाएं", क्वीन्स लॉ रिसर्च पेपर सीरीज़ 2019.

क्योंकि व्यक्ति को परिस्थितियों के बावजूद कुछ भी कहने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है।[117] अत:, यह कहा जा सकता है कि ख्याति का अधिकार आबद्धकारी और विधिसम्मत हित है जो इसे युक्तियुक्त वाक् स्वातंत्रय को निर्बंधित करने हेतु न्याय्य बनाता है। दूसरी कसौटी कार्यप्रणाली के बारे में है जिसका उपयोग अधिकार को सीमित करने के लिए किया गया है। उपयुक्तता कसौटी का यह तत्व है कि अधिकार और निर्बंधन के बीच युक्तियुक्त संबंध होना चाहिए। जहां तक निर्बंधन की अवधारणा का संबंध है, न्यायपालिका ने निर्णयों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख किया है कि निर्बंधन युक्तियुक्त होना चाहिए। अनुच्छेद 19(2) में वाक् की स्वतंत्रता की परिसीमा का उल्लेख है और प्रकटत: मानहानि को वाक् स्वातंत्रय के निर्बंधन के रूप में अधिकथित करता है। न्यायालयों ने संबंध को भी न्यायोचित ठहराया है और यह कहा है कि किसी व्यष्टि की ख्याति के संरक्षण और सुरक्षा के अनुसरण में राज्य ने दंड विधि के भाग के रुप में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अधीन उपबंध बनाए रखा है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि आधारभूत बिंदु संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अधीन न्याय्य युक्तियुक्त निर्बंधन के रूप में कार्य कर रहे सुस्पष्टत: आपराधिक मानहानि की अनुज्ञेयता है।[118]

3.51 इसके पश्चात् 'आवश्यकता कसौटी' आती है जिसमें यह साबित करना होता है कि विधिसम्मत हित प्राप्त करने के लिए उपाय आवश्यक है अर्थात् निर्बंधन के रुप में आपराधिक मानहानि का उपाय किसी व्यष्टि के ख्याति के अधिकार को संरक्षित करना आवश्यक है। यह व्यक्ति की ख्याति को कारित अपहानि को पुन: प्रतिष्ठित करने के लिए आपराधिक मानहानि की आवश्यकता को साबित करने के लिए आता है। **सुब्रह्मन्यम स्वामी** बनाम **भारत संघ** वाले मामले में न्यायालय ने यह कहते हुए आपराधिक मानहानि की संवैधानिक विधिमान्यता को कायम रखा कि आपराधिक मानहानि विधिमान्य उपबंध है, जो वाक् स्वातंत्रय के मूल अधिकार को अयुक्तियुक्त निर्बंधित नहीं करता। पूर्वोक्त मामले में याची ने निर्णयों के समूह के प्रति ध्यान आकर्षित किया कि जिसमें उच्चतम न्यायालय ने भारत की मानहानि विधियों की विधिमान्यता के प्रश्न की परीक्षा की थी।[119] न्यायालय के विचारार्थ सुसंगत अवधारणा मानहानि के विचार सापेक्ष ख्याति, वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और युक्तियुक्त निर्बंधन थे। ऐसे दो प्रश्न जिन पर विचार करने की आवश्यकता थी कि क्या आपराधिक मानहानि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर असम्यक् अवरोध था और क्या धारा 499 और 500 में सम्मिलित आपराधिक मानहानि विधियां उनके **संदिग्ध भाषा** के कारण **मनमानी** थी। आपराधिक मानहानि में **लोक अपहानि** का अभाव अपराध को गैर अपराधीकृत करने के लिए प्रस्तुत किया गया तर्क था। न्यायालय ने मुद्दे को विनिश्चित करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि ख्याति का अधिकार अनुच्छेद 21 का मूलभूत पहलू है और अनुच्छेद 19(2) के निर्बंधन दो मूल अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आगे, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी व्यष्टि की मानहानि एक **लोक दोष** है क्योंकि जो व्यष्टि को

---

[117] लॉरेंट बी. फ्रांट्ज़, "पहला संशोधन कानून? प्रोफेसर मेंडेलसन को जवाब", 51 (4) कैलिफोर्निया लॉ रिव्यू 750 (1963).

[118] मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक बनाम रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और अन्य, (2014) 9 एससीसी 737.

[119] आर. आर. गोपाल एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य, (1994) 6 एससीसी 632 एन. रवि एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य। (2007) 15 एससीसी 631.

प्रभावित करता है वह समग्रत: पूरे समाज को प्रभावित करता है। अत:, मानहानि को लोक दोष मानना विधिमान्य है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि आपराधिक मानहानि स्वतंत्र भाषण पर अननुपातिक निर्बंधन नहीं है क्योंकि ख्याति का संरक्षण मूल अधिकार और मानव अधिकार दोनों से है। न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :

> *"ख्याति का संरक्षण मूल अधिकार है, यह मानव अधिकार भी है । (.....) व्यक्ति की ख्याति अनुच्छेद 21 के अधीन गारंटीकृत सर्वाधिक मूल्यवान प्राण के अधिकार के अंतर्भूत है और इसके संरक्षण के लिए संसद ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 को हू-बं-हू रखा है। संचयी रूप से यह सामाजिक हित की पूर्ति करता है। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति की गरिमा और ख्याति का हकदार है। कोई भी अन्य व्यक्ति के शरीर या ख्याति को अपमानित करने का अधिकार नहीं रखता है।"*

3.52 अत:, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 499 वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर अत्यधिक निर्बंधन नहीं है और यह मत व्यक्त किया कि 'इस मत को स्वीकार करना काफी कठिन है कि आपराधिक मानहानि का वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर द्रुतशीतन प्रभाव है।'

3.53 आगे, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 अस्पष्टत: शाब्दिक और संदिग्ध नहीं है। संविधान सभा की बहस का उपयोग कर यह समझने के लिए कि अनुच्छेद 19(2) में 'मानहानि' शब्द का संविधान निर्माताओं का क्या आशय था, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि शब्द की अपनी निजी स्वतंत्र पहचान है। यह अकेला स्थित है और मानहानि विधियों को इस प्रकार समझना चाहिए जैसा वे तब थीं जब संविधान प्रवृत्त हुआ।

4. न्यायिक पूर्व निर्णय

4.1 मानहानि एक व्यक्ति द्वारा एक अन्य व्यक्ति की ख्याति को शब्दों, संकेतों या दृश्य रुपणों द्वारा किया गया दोष है। कथन या दृश्य रुपण मानहानिकारक है जब यह व्यक्ति की ख्याति को क्षति पहुंचा सके। मानहानिकारक कथन वह है, जो व्यक्ति को अपमान, घृणा या उपहास के लिए उद्घाटित करता है या उसकी वृत्ति या व्यापार में उसे क्षति पहुंचाने को प्रवृत्त है, या उसके पड़ोसियों या समाज द्वारा उससे दूर रहने या बचने का कारण बनता है।[120]

4.2 वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कसौटी पर कई बार आपराधिक मानहानि की परिवर्ती विधियों की संवैधानिकता को प्रश्नगत किया गया है।

4.3 वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान के अन्य अपरिहार्य फलक, ख्याति के अधिकार के साथ मंच पर साझा किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने बारंबार ख्याति के अधिकार के महत्व को अनुच्छेद 21 के अधीन व्यक्ति के प्राण के अधिकार के अभिन्न भाग

[120] जे.सुधीर चन्द्रशेखर वाई. टी. लोकप्रकाश, 2001 एससीसी ऑनलाइन कार 210.

के रूप में दोहराया। वस्तुत:, ख्याति के अधिकार को प्राचीनतम ज्ञात काव्यों में सभी संस्कृतियों के प्राचीनतम समय से हमेशा प्राण से अधिक मूल्यवान माना गया है।[121]

4.4 **बोर्ड आफ ट्रस्टीज आफ दि पोर्ट आफ बाम्बे** बनाम **दिलीप कुमार राघवेन्द्र नाथ नादकरर्णी**[122] वाले मामले में यह न्यादेश दिया गया है कि ख्याति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन नागरिक के प्राण के अधिकार का एक पक्ष है।

4.5 **किरण वेदी** बनाम **कमेटी आफ इन्वायारी**[123] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए कि प्रतिकूल रुपसे प्रभावित हुए व्यक्ति की ख्याति के सुरक्षोपाय के मामले से जुड़े महत्व के कारण का पता लगाना नहीं है, **डी. एफ मैरियन** बनाम **डेबिस**[124] वाले मामले के एक पैराग्राफ को दोहराया :

> *"25. .....दुर्भावपूर्ण अपमानवचन द्वारा गैर-आक्रमणित प्राइवेट ख्याति के उपयोग का अधिकार का उद्गम काफी प्राचीन है और मानव समाज के लिए आवश्यक है। अच्छी ख्याति व्यक्तिगत सुरक्षा का तत्व है और प्राण, स्वतंत्रता और संपत्ति के उपभोग के अधिकार के साथ समानत: संविधान द्वारा संरक्षित है।"*

4.6 तथापि, **आर. राजगोपाल** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[125] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता और एकांतता के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। इस मामले में, कारागार प्राधिकारियों ने बलात् एक कैदी द्वारा लिखी गई आत्म कथा को प्रकाशित करने से पत्रिका को निवारित करने का प्रयास किया । न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि पत्रिका को आत्मकथा प्रकाशित करने का अधिकार था और यह कि राज्य ऐसी सामग्री के प्रकाशन पर पूर्व निर्बंधन नहीं लगा सकता जो राज्य की मानहानि करता हो । न्यायालय ने कहा कि -

> *"उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि याची को उसकी सहमति या प्राधिकार के बिना भी यह प्रकाशित करने का अधिकार है, जो वे आटो शंकर की जीवन की कथा आत्मकथा होना अभिकथित करते हैं जहां तक लोक अभिलेख से प्रतीत होता है। किंतु यदि वे इससे परे जाते हैं और उसकी जीवन कथा को प्रकाशित करते हैं तो वह उसकी एकांतता के अधिकार पर हमला होगा और विधि के अनुसार परिणामों के लिए दायी होगा। इसी प्रकार, राज्य या इसके कर्मचारी उक्त प्रकाशन को निवारित या अवरुद्ध नहीं कर सकते।"*

4.7 न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि प्रभावित कर्मकारी/लोक व्यक्तित्व, यदि कोई है, को उपचार लेख के प्रकाशित होने के पश्चात् मानहानि के लिए वाद लाना है।

---

[121] सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2016) 7 एससीसी 221.
[122] 1983) 1एससीसी 124.
[123] (1989) 1 एससीसी 194.
[124] (1927) 55 एएलआर 171 (अलबामा).
[125] (1994) 6 एससीसी 632.

4.8 तब, **आर. राजगोपाल** बनाम **जे. जयललिता**[126] वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकार का क्रियाकलाप अस्थायी रुप से करने के लोक कर्मचारियों के विरुद्ध वाक् की स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर बल दिया। न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :

> *"स्वतंत्र लोकतांत्रिक समाज में ऐसे लोग जो सरकार में पदधारण करते हैं और जो लोक प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, की हमेशा आलोचना की जा सकती है। ऐसी आलोचना को दबाने या कुचलने का कोई प्रयास सर्वाधिक कपटपूर्ण और आपत्तिजनक तरह की राजनैतिक सेंसरशिप की कोटि में आता है।"*

4.9 इसी प्रकार, **पेट्रोनेट एलएनजी लि.** बनाम **इंडियन पेट्रो ग्रुप**[127] वाले मामले में गोपनीय या भ्रामक सामग्री को प्रकाशित करने से प्रतिवादी समाचार प्रदाता को प्रतिषिद्ध करने के स्थायी व्यादेश के वादी के अनुरोध को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इनकार किया गया। वादी ने दावा किया कि सूचना और एकांतता की गोपनीयता के उसके अधिकार का अतिक्रमण किया गया था। न्यायालय ने यह न्यादेश देते हुए वादी के एकांतता के दावे का इनकार किया कि चाहे वादी को सूचना की गोपनीयता का अधिकार हो फिर भी प्रतिवादी द्वारा प्रकाशन संरक्षित भाषण है और व्यादेश द्वारा दबाया नहीं जा सकता। न्यायालय के अनुसार, यह "*संतुलित प्रचालन के लिए समान लोकहित समर्पित प्रकटन के बारे में विश्वास बनाए रखने में लोकहित का पक्ष लेना आवश्यक था।*"

4.10 लेकिन तब, **विश्वनाथ अग्रवाल** बनाम **सरला विश्वनाथ अग्रवाल**[128] वाले मामले में ख्याति के अधिकार के महत्व पर बल देते हुए यद्यपि विभिन्न संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार मत व्यक्त किया -

> *".... ख्याति जो न केवल प्राण का नमक है बल्कि शुद्धतम खजाना है और जीवन का सर्वाधिक मूल्यवान गंध है । यह बिल्कुल नाजुक है और समाधि के इस पक्ष का प्रतिष्ठित मूल्य है। यह वर्तमान और उत्तरकालीनता के लिए राजस्व उत्पादक है।"*

4.11 वर्ष 2015 में, **श्रेया सिंघल** बनाम **भारत संघ**[129] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66क[130] को संपूर्ण रूप से हटाते हुए कि यह अनुच्छेद 19(1)(क) के उपबंधों के अतिक्रमण में है और संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अधीन संरक्षित नहीं है, अनुच्छेद 19(1)(क) द्वारा संरक्षित अधिकारों और अनुच्छेद 19(2) द्वारा अनुज्ञात युक्तियुक्त निर्बंधनों के बीच समझौता करने का प्रयास किया। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेख किया कि 'जब लोकतंत्र की बात आती है, तो विचार और

---

[126] एआईआर 2006 मैड 312.
[127] (2009) 158 डीएल टी 759.
[128] (2012) 7 एससीसी 288.
[129] एआईआर 2015 एससी 1523.
[130] अधिनियम की धारा 66(4) में कंप्यूटर या अन्य संचार उपकरणों के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने पर दंड का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत, कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर या संचार उपकरण के माध्यम से कोई ऐसी सूचना भेजता है जो: आपत्तिजनक, झूठी और परेशानी, असुविधा, परेशानी, बाधा, अपमान, चोट, आपराधिक धमकी, दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना पैदा करने के उद्देश्य से हो; ऐसे संदेशों की उत्पत्ति आदि के बारे में प्राप्तकर्ता को धोखा देने या गुमराह करने के उद्देश्य से, उसे तीन साल तक के कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रमुख मूल्य है और हमारी संवैधानिक स्कीम के अधीन इसका सर्वोपरि महत्व है।'

4.12 वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानहानि के बीच विरोध का अंतिम न्यायनिर्णयन **सुब्रह्मनियम स्वामी** बनाम **भारत संघ**[131] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा किया गया जिसमें न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 को कायम रखा जो क्रमश: मानहानि के अपराध को परिभाषित करती है और इसके दंड का उपबंध करती है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मानहानि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अधीन वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्तियुक्त निर्बंधन है। न्यायालय ने ख्याति के अधिकार को अनुच्छेद 21 का भाग होने पर टिप्पणी करते हुए यह कहा कि:

> *"ख्याति अनुच्छेद 21 का अंतर्निहित संघटक होते हुए, हम यह नहीं सोचते कि इसे कलंकित करने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि अन्य व्यष्टि की अपनी स्वतंत्रता हो सकती है। यह निर्बंधन नहीं है जिसका अपरिहार्य परिणाम हो जो विचार और सोच के परिचालन को बाधित करता हो ..... दो अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता एक व्यक्ति की 'ख्याति' को अन्य व्यक्ति के वाक् स्वातंत्र्य के अधिकार की वेदी पर बलिदान देने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती।[132]"*

4.13 मानहानि की परिवर्ती विधियां ऐसे उन लोगों को दंडित करते हुए यह नाजुक समतुल्यता बनाए रखती हैं जो वाक् स्वातंत्र्य का उपयोग करने के आवरण में दूसरे की ख्याति को नुकसान पहुंचाते है और साथ ही साथ उनका संरक्षण करती है, जो सच बोलते हैं या सद्भाव या लोकहित में बयान देते हैं।

4.14 **सुब्रह्मनियम स्वामी** बनाम **भारत संघ**[133] वाले मामले में ऐसे कई राजनेता जिन्हें आपराधिक मानहानि के अपराध का आरोपी बनाया गया था, ने यह तर्क करते हुए कि यह उनके वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का निषेध करता है, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499 और 500 तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 199(1) से (4) में यथा उपबंधित की चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन याचिकाएं फाइल की।

4.15 निर्णय न्यायमूर्ति दीपक मिश्र द्वारा दिया गया जिसकी सहमति न्यायाधीश प्रफुल्ल सी. पंत ने दी। न्यायालय ने 'मानहानि' और 'ख्याति' पदों का विश्लेषण किया और यह मत व्यक्त किया:

> *"ख्याति का अपना सहजजात सार्वभौमिक मूल्य है। यह जीवन का पवित्रतम संघटक है और समय द्वारा सीमित या निर्बंधित नहीं है ..... अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा यह स्पष्ट करती*

---

[131] (2016) 7 एससीसी 221.
[132] वही
[133] वही

है कि व्यक्तिगत सम्मान और ख्याति मानव अस्तित्व के लिए काफी मूल्यवान है, जो गरिमा से युक्त है और सभी पूर्ण मानव जाति का असंक्राम्य भाग गठित करता है।"

4.16 न्यायालय ने यह पाया कि 'मानहानि' की अवधारणा 'गरिमा' के संरक्षण में सम्मिलित है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण के अधिकार का भाग था।

4.17 उच्चतम न्यायालय ने वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की पुनीतता और महत्व को संविधान के अधीन उच्च संचित मूल्य के रूप में भी मान्यता प्रदान की और आवाज और विसम्मति या असहमति का सम्मान करना चाहिए और अप्रिय आलोचना के रुप में नहीं माना जाए। तथापि, न्यायालय ने आगे यह इंगित किया कि सभी अधिकारों की तरह वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है और युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन है। ऐसे निर्बंधन अत्यधिक नहीं होने चाहिए और लोकहित में होना चाहिए। ऐसे विधान जिसके द्वारा निर्बंधन अधिरोपित किए जाते हैं, अधिकारों पर आक्रमण करने वाले नहीं होने चाहिए और मनमानेपन की गंध नहीं आनी चाहिए।[134]

4.18 मूल अधिकारों को संतुलित करने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हुए, न्यायालय ने मत व्यक्त किया :

"संतुलन बनाए रखना न्यायालय का कर्तव्य है जिससे कि मूल्य कायम रहें ... हमने पहले ही यह अभिनिर्धारित किया है कि ख्याति संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण के अधिकार का अलंघनीय पहलू है और राज्य ने व्यक्ति की उक्त ख्याति को कायम और संरक्षित रखने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के उपबंध को विधि के भाग के रूप में बनाए रखा है ....। यह व्यष्टि का मूल अधिकार है, अत: मूल अधिकार का संतुलन अनिवार्य है। वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर दूसरों के अधिकार को खतरे में नहीं डाला जा सकता। आगे यह भी कहा गया कि हम नहीं सोचते कि ख्याति अनुच्छेद 21 का अंतर्निहित संघटक होते हुए इसे एकमात्र दूषित करने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए क्योंकि व्यष्टि को इसकी स्वतंत्रता हो सकती है। यह निर्बंधन है कि जिसका अनिवार्य परिणाम है, जो सोच और विचार के परिचालन को क्षीण करता है। वस्तुत:, यह दूसरे व्यक्ति के न्यायालय जाने के अधिकार के बावजूद नियंत्रण है कि उसे दोषी ठहराया गया है और गाली-गलौज दी गई है। वह अपने ख्याति की पुनर्प्राप्ति और हरजाना लेने के लिए मान्यता प्राप्त और विधि में स्वीकार्य प्रक्रिया का अवलंब ले सकता है। अत:, दो अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति की 'ख्याति' को दूसरे व्यक्ति के स्वतंत्र भाषण के अधिकार की वेदी पर बलिदान दिए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है। विधायिका ने अपनी प्रज्ञा से सामाजिक वातावरण प्राप्त करने में मानहानि की आपराधिकता को समाप्त करना समुचित नहीं समझा।"[135]

[134] सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, (2016) 7 एससीसी 221.
[135] वही

4.19 न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि विधायिका ने विद्यमान सामाजिक वातावरण में आपराधिक मानहानि को कानूनी पुस्तक में रखा क्योंकि यह सामूहिक हित को पूरा करता है क्योंकि प्रत्येक की ख्याति अंतत: सभी की ख्याति में अंतर्निहित है।

4.20 न्यायालय ने इस प्रश्न पर भी विचार किया क्या आपराधिक मानहानि उपबंध अस्पष्ट और मनमाने हैं और धारा 499 के स्पष्टीकरणों की परीक्षा करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि यह न तो या अस्पष्ट है और न ही संदिग्ध:

> *"न्यायालय किसी उपबंध को समाप्त कर सकता है, यदि यह अत्यधिक, अयुक्तियुक्त और अननुपातिक है किंतु न्यायालय ऐसे उपबंध को समाप्त नहीं कर सकता यदि यह अनावश्यक या अनापेक्षित है ..... युक्तियुक्तता की परीक्षा आम जनता के हित के दृष्टिकोण से वस्तुनिष्ठ रीति से की जाती है न कि उन व्यक्तियों की सोच से जिन पर निर्बंधन अधिरोपित किए जाते हैं। ..... भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के रुप में आपराधिक मानहानि विधि स्वतंत्र अभिवाक् पर निर्बंधन नहीं है जिसे अननुपातिक कहा जा सके। स्वतंत्र अभिवाक् के अधिकार का यह अर्थ नहीं हो सकता है कि एक नागरिक दूसरे नागरिक की मानहानि करे।"*

4.21 **शिकायत प्रतितोष अधिकारी, इकोनामिक टाइम्स** बनाम **वी. वी. मिनरल्स लिमिटेड**[136] वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने स्वतंत्र भाषण को दबाने के औजार के रूप में आपराधिक मानहानि के उपयोग को सीमित करने की ईप्सा की। न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व और उच्च न्यायपालिका के कृत्य को अधिकारों के रक्षक के रूप में स्वीकार किया। इस निर्णय में, न्यायालय ने **न्यूयार्क टाइम्स** बनाम **सुलीवान**[137] वाले मामले में यू.एस. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निर्दिष्ट किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि त्रुटि किसी कथन को तब तक मानहानि कारक नहीं बनाता जब तक वास्तविक दुर्भाव से न किया गया हो अर्थात् यह दुर्भावपूर्ण ढंग से न किया गया हो। यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य पर भी बल दिया कि 'त्रुटि और भूल करने के लिए स्वतंत्र भाषण को थोड़े विराम की आवश्यकता होती है', जो लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

4.22 तथापि, हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने **विनीत कुमार सक्सेना** बनाम **आम आदमी पार्टी**[138] वाले मामले में **सुब्रह्मन्यम स्वामी** बनाम **भारत संघ**[139] वाले मामले का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि वाक् की स्वतंत्रता का मूल अधिकार ख्याति के अधिकार से प्रति संतुलित होना चाहिए। न्यायालय ने यह कहा कि :

> *"संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) सभी व्यक्तियों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तथापि, यह अनुच्छेद 19(2) के अधीन निर्बंधनों के अधीन है, जिसमें मानहानि सम्मिलित है। अत:, वाक् और अभिव्यक्ति का अधिकार ऐसा*

---

[136] 2020 (3) एम.एल.जे. (सीआरआई) 241 .

[137] 376 यू.एस-254, 270.

[138] 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 3093.

[139] वही

स्वछन्द अधिकार नहीं है, जिसके आवरण में किसी व्यक्ति की ख्याति को कलंकित करने के लिए मानहानिकारक कथन किए जा सकते हों। वाक् की स्वतंत्रता के मूल अधिकार को किसी व्यक्ति की ख्याति के अधिकार के साथ प्रतिसंतुलित होना चाहिए जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रतिष्ठित जीवन के अधिकार का मूलभूत तत्व अभिनिर्धारित किया गया है।"

4.23 मानहानि विधि का लक्ष्य समाज में व्यक्ति की ख्याति को सुरक्षित करना है। आपराधिक मानहानि विषयक निर्णयों की परीक्षा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संरक्षित करने और व्यक्ति के ख्याति के अधिकार के सुरक्षोपाय के बीच जटिल संतुलन रेखांकित करती है। ख्याति के अधिकार को कई जगहों पर मानवीय गरिमा के अंतर्निहित फलक के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। जहां न्यायालयों ने अनेकों निर्णयों में लोकतांत्रिक समाज में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया है वहीं उन्होंने भाषण में जवाबदेही और उत्तरदायित्व की आवश्यकता पर बल देते हुए मानहानिकारक कथनों द्वारा कारित संभाव्य अपहानि को भी स्वीकारा है।

4.24 आपराधिक मानहानि विधि ऐसे विधिक तंत्र का उपबंध करती है, जिसे उस व्यक्ति द्वारा आरंभ किया जा सकता है जब ख्याति और गरिमा के उसके अधिकार का अतिक्रमण किसी व्यक्ति के दुर्भाव द्वारा किया जाता है, अत: ऐसे व्यक्ति के लिए दंडात्मक परिणामों और दायित्व का उपबंध करना महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति की गरिमा और ख्याति का अतिक्रमण करता है और उसके साथ समाज की शांति भंग करता है। बारीक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मानहानि को अपराधीकृत करने से यह ऐसे दुर्भावपूर्ण और मिथ्या कथन, जो व्यक्ति की ख्याति, सामाजिक प्रतिष्ठा और आजीविका को बुरी तरह से नष्ट कर सकता है, के विरुद्ध निर्णायक निवारक के रूप में कार्य करता है।

4.25 आगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करते हुए न्यायालयों ने यह दोहराया कि यह स्वतंत्रता आत्यंतिक नहीं है और व्यक्तियों के अनापेक्षित हमलों से उनकी ख्याति को संरक्षित करने के मूल अधिकार का अतिलंघन करने वाला होना चाहिए। मानहानि को अपराधीकृत करने से यह मिथ्या फैलाकर या चरित्र हनन का कार्य कर भाषण के दुरुपयोग के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करता है और तद्द्वारा स्वतंत्र भाषण के अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण प्रयोग का बढ़ावा देता है।

4.26 सारत:, पूर्वोक्त विश्लेषण व्यक्ति की ख्याति संरक्षित करने और सामाजिक सद्भाव कायम रखने के बीच अंतर्भूत संबंध उजागकर करते हुए आपराधिक मानहानि के अपराध की आवश्यकता पर पुन: बल देता है। यह ऐसे विधिक उपायों की आवश्यकता, जो युक्तियुक्त चारदीवारी के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करते समय मानहानि को निवारित करते हैं, पर बल देते हुए संतुलित अधिकारों के महत्व को रेखांकित करता है। यह समग्र दृष्टिकोण लोकतांत्रिक समाज में व्यक्तियों की गरिमा और प्रतिष्ठा को संरक्षित करने के व्यापक उद्देश्य के अनुकूल है।

5. आपराधिक मानहानि विधियों का तुलनात्मक विश्लेषण

5.1 आपराधिक मानहानि के मुद्दे में व्यक्ति की ख्याति को संरक्षित करने और सूचना और अभिव्यक्ति के स्वछन्द बहाव को सुनिश्चित करने के बीच नाजुक संतुलन समाविष्ट है। समाज अपनी संस्कृति, विधिक और सामाजिक मानकों से चलता है इसलिए दांडिक अपराध के रूप में मानहानि का उपचार हमेशा विवादास्पद और बहुआयामी विषयक बना रहा है।

5.2 सभी महाद्वीपों और संस्कृतियों में, राष्ट्रों ने मानहानिकारक कार्यों से निपटने के लिए भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण विकसित किए। संपूर्ण विश्व ने कतिपय देशों जैसे कि जर्मनी में कठोर अपराधीकरण और यूनाइटेड किंग्डम, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में गैर-आपराधीकरण और इटली में सिविल और आपराधिक पहलुओं के बीच और संतुलित परस्पर क्रिया द्वारा विधिक बारीकियों का प्रतिबिंब पैदा किया। जहां भारत मानहानि विधियों और स्वतंत्र भाषण के परिवर्ती संघर्ष के वाद-विवाद से जकड़ा हुआ है, वहीं जापान व्यक्तिगत ख्याति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखने का अधिक कठोर दृष्टांत प्रदर्शित करता है।

5.3 इन विभिन्न दृष्टिकोणों की परीक्षा से मानहानि को अपराधीकृत करने के लिए भिन्न-भिन्न आधार और मानदंड प्रकट होता है। शास्तियों और अनुशास्तियों से बचाव के रूप में आशय, सत्यता की भूमिका और लोकहित पर विचार द्वारा प्रत्येक विधिक व्यवस्था ने मानहानि पर विधिक उपबंधों की कड़ी को आकार देते हुए अद्‌भुत तस्वीर चित्रित किया है।

5.4 इस अध्याय में ऐसे चयनित देशों के भीतर आपराधिक मानहानि उपबंधों को पता लगाने का प्रयास किया गया है, जहां मानहानि दांडिक अपराध गठित करता है। इस खोज के माध्यम से, यह मानहानि के अपराधीकरण और इसके पारिणामिक प्रभावों को मजबूत करने वाले विधिक आधारों की व्यापक सोंच उपलब्ध कराते हुए परिभाषा, दंडात्मक उपाय और आपराधिक मानहानि मामलों के प्रबंधन को स्पष्ट करने की ईप्सा करता है। इस अध्याय में ऐसे देशों के बारे में भी चर्चा की गई है, जिसने पूर्णत: या भागत: मानहानि को अपराधीकृत किया है।

क. आपराधिक मानहानि पर विधिक उपबंध रखने वाले देश

(i) जापान

5.5 जापानी संविधान अनुच्छेद XXI के अधीन वाक् स्वतंत्रता का वादा करता है। इसमें यह उपबंध है कि 'वाक्, प्रेस और अभिव्यक्ति के अन्य सभी रुपों की स्वतंत्रता की गारंटी है। कोई सेंसरशिप नहीं लगाया जाएगा और न ही संसूचना के किसी साधन की गोपनीयता का अतिक्रमण किया जाएगा।[140]

[140] जापान का संविधान, अनुच्छेद XXI.

5.6 जापनी विधि मानहानि को समुदाय में व्यक्ति के सम्मान को कम करने के इसके प्रभाव या अन्य लोगों की नजर में व्यक्ति का सम्मान कम करने के आधार पर आंकता है।[141] यह व्यवहार व्यक्तिगत स्वायत्तता पर सामूहिक संयोजन पर जापान के सांस्कृतिक प्रभाव पर आधारित है, जो सार्वजनिक माफी सहित जापानी विधि के अधीन क्षतिग्रस्त पक्षकार को उपलब्ध उपचार से स्पष्ट है।[142]

5.7 जापान सिविल विधि प्रणाली[143] के अधीन कार्य करता है। अत:, मानहानि और अपमान लेख को जापानी सिविल और आपराधिक संहिता दोनों के अधीन विस्तृत आकर्षण प्राप्त होता है।

5.8 जापानी दंड संहिता परिस्थितियों की परवाह किए बिना मानहानिकर्ता को मानहानि के लिए कड़ाई से दायी ठहराती है।[144] जापानी दंड संहिता के अनुच्छेद 230, पैरा 1 के अधीन यह उपबंधित है कि -

> *"ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को इस बात की परवाह किए बिना कि क्या ऐसे तथ्य सही हैं या मिथ्या, सार्वजनिक रूप से अभिकथन करता है, कारावास या 3 वर्ष से अनधिक कार्य के बिना कारावास या 500,000 येन से अनधिक जुर्माने से दंडित किया जाता है।"*[145]

5.9 वर्ष 1969 में, जापान के उच्चतम न्यायालय ने **कोची** बनाम **जापान**[146] वाले मामले में जापानी दंड संहिता के अनुच्छेद 230 को जापानी संविधान के अनुच्छेद XXI के अधीन विधि सम्मत भाषण की गारंटी से सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया। उसने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रेस को यह साबित करने पर कि उसे युक्तियुक्त विश्वास था कि कथन परिवर्ती परिस्थितियों के आलोक में सही थे, मानहानि के दंड से मुक्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय आपराधिक आशय का दोषारोपण नहीं करेंगे अत:, आपराधिक दायित्व नहीं ठहराएंगे, यदि मीडिया प्रतिवादी यह साबित कर सके कि उसे विश्वास था कि सार्वजनिक विषयों से संबंधित अपमान लेखात्मक कथन सत्य थे [147] और यह सुनिश्चित करने का सद्भाविक प्रयास किया था कि वे वस्तुत: सत्य थे।

5.10 जापान की अपराध संहिता में संशोधनों द्वारा जून 2022 में मानहानि के लिए दंड को और कठोर बनाए गए। इन संशोधनों द्वारा अपमान के अपराध के लिए दंड में वृद्धि की गई। वह व्यक्ति जो सार्वजनिक रूप से दूसरे व्यक्ति का अपमान करता है, चाहे अभियोगात्मक

---

[141] मासाओ होरीबे, "जापान में प्रेस कानून" पनीना लाहाव में आधुनिक लोकतंत्र में प्रेस कानून: एक तुलनात्मक अध्ययन 315, 334 (1985)।

[142] एलेन एम. स्मिथ. "सत्य की रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड को सीधा भेजना: अमेरिकी और जापानी मानहानि कानूनों का विश्लेषण", 14 मिच. जे. इंटरनेशनल एल. 871 (1993).

[143] हिरोशी लटोह और लॉरेंस डब्ल्यू. बीयर (संपादक), जापान का संवैधानिक (न्यायालय कानून: चयनित न्यायालय निर्णय: 1961-70.8 (वाशिंगटन विश्वविद्यालय प्रेस, 1978)। जापान के 1945 से पहले के संविधान और कानून फ्रांसीसी और सेर्मन कानूनी परंपराओं से काफी प्रभावित थे। देश की वर्तमान न्यायिक प्रणाली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी और जापानी कब्जे वाली एजेंसियों द्वारा डिजाइन की गई थी।

[144] पूर्व टिप्पण 144.

[145] दंड संहिता (अधिनियम सं.45 सन् 1907), अनुच्छेद 230, पैरा 1.

[146] कोच्चि बनाम जापान, साइको साई [सुप्रीम कोर्ट], 23 केशु 7, 25 जून, 1969 का निर्णय।

[147] वही 259 पर

अभिकथन तथ्य सही है या नहीं, को एक वर्ष तक का कारावास या 300,000 येन जुर्माना या निरोध या जुर्माना लगाया जा सकता है।[148] यह 30 दिन तक के निरोध और 10,000 येन तक के जुर्माने के पूर्व वाले दंड से काफी अधिक है।

5.11 मानहानि और अपमान के बीच विभेद इस बात पर निर्भर करता है कि क्या अपराध गठित करने वाले कार्य में कथित तथ्यात्मक सूचना अंतवर्लित है। आरंभत:, व्यक्ति की ख्याति को अपहानि की कठोरता मानहानि के कानूनी दंड की अधिकता का अवधारण करती है। तथापि, ऐसे अपमान कथनात्मक कार्यों के वास्तविक स्थिति को देखते हुए जो इंटरनेट पर व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं, तथ्यात्मक प्राख्यानों पर आधारित काफी भिन्न-भिन्न दंडों को अधिरोपित किया जाना अनुपयुक्त समझा गया। परिणामत:, विशिष्ट दुर्भावपूर्ण अपमानों से कड़ाई से निपटने के लिए मानहानि के लिए विहित दंड के अनुरुप लाने के लिए अपमान अपराध के कानूनी दंड में वृद्धि की गई। तथापि, कम दुर्भाव वाले अपमानों सहित सभी अपमानों को एक समान भारी दंड न लगाने के लक्ष्य से विरोध और जुर्माने के लिए विहित शास्तियां वैसी ही बनी रही।

(ii) चीन

5.12 चीन में मानहानि विधियां व्यक्तिगत ख्याति और सामाजिक सद्भाव के संरक्षण पर बल देते हुए मुख्यत: सिविल और आपराधिक विधि कानूनों से विनियमित हैं।

5.13 चीन पीपुल्स रिपब्लिक संविधान नागरिकों को व्यक्ति की ख्याति के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है जहां चीन के पीपुल्स रिपब्लिक के नागरिकों की व्यक्तिगत गरिमा अलंघनीय है। इसके अधीन किसी माध्यम द्वारा नागरिकों के विरुद्ध किया गया अपमान, अपमानलेख, मिथ्या आरोप या गढ़ा गया कथन प्रतिषिद्ध है।[149] इसके अतिरिक्त, एकांतता का अधिकार भी गारंटीकृत है जिसके द्वारा नागरिकों के पत्राचार की स्वतंत्रता और एकांतता विधि द्वारा संरक्षित है। व्यक्ति और संगठन राज्य सुरक्षा और अपराधों के अन्वेषण, सार्वजनिक सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय नागरिकों के पत्राचार की स्वतंत्रता और एकांतता के अतिलंघन से प्रतिषिद्ध है।[150]

5.14 चीनी दंड संहिता के अधीन मानहानि को ऐसे कार्यों को समाविष्ट करते हुए एक दंडात्मक अपराध समझा जाता है, जो मिथ्या सूचना या कथनों द्वारा व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करता है। ऐसे लोग जो हिंसा द्वारा या अन्य साधनों द्वारा या अन्य लोगों का अपमान करने के लिए तथ्य गढ़ते हैं, यदि परिस्थितियां गंभीर है, खुल्लम-खुल्ला दूसरों का अपमान करते हैं, अपराध विरोध, सार्वजनिक निगरानी या राजनैतिक अपराधों के वंचन के लिए तीन वर्ष से

[148] दंड संहिता (1907 का अधिनियम सं. 45), अनुच्छेद 231.

[149] पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) का संविधान। अनुच्छेद 38.

[150] पीआरसी का संविधान. अनुच्छेद 40.

अनधिक नियत अवधि के कारावास के दंडादेश के दायी है।[151] शास्तियों की कठोरता प्राय: सामाजिक स्थिरता और लोक व्यवस्था पर संभावित प्रभाव से सहबद्ध रहता है।

5.15 इन उपबंधों का लक्ष्य सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने के राज्य द्वारा बल देने को प्रतिबिंबित करते हुए लोक व्यवस्था और सामाजिक स्थिरता का सुरक्षोपाय करना है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आनलाइन और आफलाइन दोनों मानहानि चीन में दंडात्मक अपराध गठित करता है।

5.16 आशय मानहानि मामलों में दोषिता अवधारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक सद्भाव के लिए आशयित दुर्भावपूर्ण या अपहानिपूर्ण समझे जाने वाले अभियोगों पर अधिक शास्तियां लगाई जाती है। बचाव के रूप में सत्य का सत्यापन भी उपलब्ध है, फिर भी यह संपूर्ण बचाव नहीं है। चाहे सूचना सही या पूर्णत: मिथ्या नहीं है फिर भी इसमें ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए जो अमर्यादित रूप से अपमानकारी हैं।[152]

(iii) कनाडा

5.17 कनाडा की अपराध संहिता में ईशनिंदात्मक[153] और मानहानिकारी अपमानलेख[154] को अपराधीकृत करने वाले उपबंध हैं। कनाडा अपराध संहिता की धारा 298(1) मानहानिकारी अपमानलेख को 'विधिपूर्ण औचित्य या प्रति हेतु के बिना प्रकाशित विषय जिससे किसी व्यक्ति की ख्याति को उसे घृणात्मक, अपमानकारी या उपहासात्मक बनाकर क्षतिग्रस्त करने की संभावना है या यह व्यक्ति या उससे संबंधित जिसके लिए यह प्रकाशित है, का अपमान करने के लिए परिकल्पित[155] है', के रूप में वर्णित करती है। मानहानिकारी अपमानलेख दो वर्ष तक के कारावास या पांच वर्ष तक जहां व्यक्ति मानहानिकारी अपमानलेख प्रकाशित करता है, जिसे वह मिथ्या जानता है, से दंडनीय है।[156]

5.18 प्रतिवादियों को उपलब्ध सामान्य बचाव (अर्थात् बाध्यता) के अलावा, अपराध संहिता सत्यता[157] पूर्ण विशेषाधिकार सहित मानहानिकारी अपमानलेख के दावों के विरुद्ध कई बचाव स्थापित करता है, जो सामान्यत: राज्य अधिकारियों[158] के बीच संसूचना को लागू होता है और न्यायालय या संसदीय कागजों, अर्हित विशेषाधिकार की कार्यवाहियों के प्रकाशन और उचित रिपोर्टिंग आदि प्रकाशन आमंत्रित या आवश्यक था, जांच का उत्तर उपलब्ध करता है या लोक

---

[151] पीआरसी का आपराधिक कानून 1997 अनुच्छेद 246.

[152] हेनरी लियाओ, दानहुआ हुआंग एट अल, "ऑनलाइन मानहानि से प्रतिष्ठा अधिकारों की रक्षा: चीन" थॉमसन रॉयटर्स, जनवरी 1,2020 http://www.sch inderslaw.com/uploads/uploads/file/2020/01/2 l/c56643 e8be3 8b2c56 I b5 I b6 I 5cdf8220.pdf पर उपलब्ध है (अंतिम बार 29 जनवरी, 2024 को देखा गया)।

[153] कनाडा आपराधिक संहिता (आर.एस.सी., 1985. सी. सी-46). 296

[154] कनाडा आपराधिक संहिता (आर.एस.सी., 1985. सी. सी-46). 298.

[155] कनाडा आपराधिक संहिता (आर.एस.सी., 1985, सी. सी-46), 298.

[156] कनाडा आपराधिक संहिता (आर.एस.सी., 1985, सी. सी-46), 300-301.

[157] कनाडा आपराधिक संहिता (आर.एस.सी., 1985, सी. सी-46), 311.

[158] डॉसन वाई. कोनाडा, [1981] एफ.सी.जे. सं. 426, पैरा 15 पर.

फायदों[159] के लिए हितबद्ध व्यक्तियों[160] को सूचना प्रदान करता है, सार्वजनिक व्यक्ति पर उचित टिप्पणी या कलात्मक[161] कार्य और दोष[162] के निवारण के लिए सद्भाव में प्रकाशन को भी सम्मिलित करता है।

5.19 कनाडा की अपराध मानहानि विधियों का मीडिया के बीच कोई विभेद किए बिना बहुत व्यापक उपयोजन है, जहां तक अपमान लेखात्मक सूचना आम जनता में प्रदर्शित था या पढ़े जाने या देखे जाने या ऐसे व्यक्ति जिसकी यह मानहानि करता है या किसी अन्य व्यक्ति[163] को दर्शाने (या दर्शाये जाने के लिए आशयित) के लिए कारित था।

5.20 वर्ष 1982 में, कनेडियन अधिकार और स्वतंत्रता चार्टर अधिनियमित किया गया जो धारा 2(ख) के अधीन स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उपबंध करता है जिसमें प्रेस और संसूचना के अन्य माध्यम की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है।[164] वर्ष 1984 में कनेडियन अधिकार और स्वतंत्रता चार्टर के अंगीकरण के परिणामस्वरूप कनाडा विधि सुधार आयोग ने कनेडियन अपराध संहिता को मानहानिकारी अपमानलेख के पूर्ण उत्साद की वकालत करते हुए मानहानिकारी अपमानलेख पर कार्यकारी पत्र 35 प्रकाशित किया। तथापि कनेडियन उच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि (मिथ्या माने जाने वाले अपमानलेख) को कनेडियन अधिकार और स्वतंत्रता चार्टर की अपेक्षाओं से संगत पाया जहां तक कार्रवाई युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत की अपेक्षा करती हो कि अभियुक्त पीड़ित की मानहानि करना चाहता था।[165]

5.21 मानहानि उपबंध के उद्देश्य के बारे में यह पता चला कि ख्याति संरक्षण प्रयोजन का भाग था। इस बिंदु पर कि क्या यह अपराध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत कम नुकसान पहुंचाता है, यह अभिनिधार्रित किया गया कि मानहानि करने के वस्तुनिष्ठ आशय की अपेक्षा सहित अपराध की विभिन्न सीमाएं इसे कम क्षीण करने वाला बनाती हैं और यह आसानी से ख्यातिपरक उद्देश्यों द्वारा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।[166]

5.22 कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने **ग्रान्ट** बनाम **टोरेस्टार कोर**[167] वाले ऐतिहासिक विनिश्चय में यह अभिनिर्धारित किया कि 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' आत्यंतिक नहीं है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति की एक सीमा मानहानि विधि है, जो व्यक्ति की ख्याति को अन्यायोचित हमले से संरक्षण प्रदान करता है। तथापि, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मानहानि विधि लोगों को स्वयं को अभिव्यक्ति करने से मना नहीं करती। यह मात्र यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति

---

[159] कनाडा आपराधिक संहिता (आर.एस.सी., टी985. सी. सी-46), 315.

[160] कनाडा आपराधिक संहिता (आर.एस.सी., आई985, सी. सी-46), 309.

[161] कनाडा आपराधिक संहिता (आर.एस.सी., 1985, सी. सी-46), 310.

[162] कनाडा आपराधिक संहिता (आर.एस.सी., 1985, सी. सी-46), 312-314.

[163] कनाडा आपराधिक संहिता (आर.एस.सी., 1985, सी. सी-46), 312-314.

[164] कनाडा के अधिकार और स्वतंत्रता चार्टर, 2(बी).

[165] आर. वी. लुकोस, [1998] आई एस.सी.आर. 439, पैरा 68.

[166] आर. वी. स्टीवंस, [1995] 4 डब्ल्यूडब्ल्यूआर 153 (मैन सीए).

[167] (2009) 3 एससीआर 640.

दूसरे व्यक्ति की मानहानि करता है तो उस व्यक्ति से अन्य व्यक्ति की ख्याति को कारित अपहानि के लिए दूसरे को नुकसानी अदा करने की अपेक्षा है।

(iv) यूरोपियन देश

5.23 अधिकांश यूरोपियन राष्ट्रों में, मानहानि विधियां एकल और निर्णायक भूमिका : व्यक्तिगत ख्याति के अधिकार का सुरक्षोपाय करना अर्थात् ऐसा सम्मान जो कोई अपने साथियों या आम जनता के बीच न्यायोचित रूप से धारित करता है, निभाती है। यह सिद्धांत घोर रूप से यह प्रतिध्वनित करता है कि कैसे आपराधिक मानहानि को इन देशों की विधिक अवसंरचनाओं के भीतर परिभाषित किया गया है। आत्मनिष्ठ रूप में, मिथ्या और दुर्भावपूर्ण अभियोगों द्वारा लक्ष्यित मानहानि सारवान भावनात्मक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक परिणामों का सामना करते हैं। इन अभिकथनों का पर्याप्त रूप से उत्तर देने के उचित अवसर के बिना इन पर गलत शंका किया जा सकता है या उनके समुदाय द्वारा बचकर रहा जाता है या अवसर से वंचित किया जाता है, जिसके वे अन्यथा पात्र होते।[168]

5.24 यूरोपियन यूनियन के 27 सदस्य राज्यों में से केवल चार (साइप्रस, आयरलैंड, माल्टा और रोमानिया) ने मानहानि को गैर अपराधीकृत किया है : किंतु इनमें से जिन्होंने ऐसा किया है, साइप्रस ने अब भी कुछ हद तक मानहानि संबंधित दंडात्मक अपराध प्रवृत्त किया है।[169] साइप्रस में, सशस्त्र बल[170], विदेशी राज्य के अध्यक्ष[171] और मृतक[172] की याद के विरुद्ध अपमानलेख अब भी दंडात्मक अपराध बना हुआ है।

5.25 23 ई.यू. राज्यों में से जहां मानहानि अब भी दंडात्मक अपराध है, 20 राष्ट्रों ने संभाव्य दंड के रूप में कारावास का विकल्प प्रतिधारित किया है। विशेषकर, बुल्गारिया, क्रोशिया और फ्रांस इसके बजाय जुर्माना अधिरोपित कर इस मानक से विपथित हैं। औसतन, संपूर्ण ई.यू. राज्यों में मानहानि के लिए अनुज्ञेय कारावास की अधिकतम संभाव्य अवधि दो वर्ष है ।[173] तथापि, कारावास ही केवल दंड नहीं है, जो पुस्तकों में है। चयनित यूरोपियन राष्ट्रों में मानहानि से दोषसिद्ध व्यक्तियों को कतिपय परिस्थितियों में राजनैतिक अधिकारों जैसे साधारण प्रतिनिधि निकायों का सदस्य चुनने के अधिकार और इन निकायों का सदस्य चुने जाने के अधिकार या सरकारी पद धारित करने (अर्थात् नीदरलैंड, स्पेन) या विशिष्ट व्यवसाय करने के अधिकार की हानि उदाहरणार्थ जैसा बुल्गारिया और नीदरलैंड के मामलों में देखा जाता है, के वंचन का सामना करना पड़ता है।

---

[168] थिरु एन. राम बनाम भारत संघ 2020 (3)एम.एल.) (सीआरएल.) 289.

[169] मीडिया बहुलवाद और मीडिया स्वतंत्रता केंद्र, "मानहानि का अपराधीकरण" (जनवरी 2019), यहां उपलब्ध है: https://cmpf.eu i.eu/wp-content/uploads/201901/decriminalisation-of-defamation lnfographic.pdf. (11 जनवरी, 2024 को देखा गया).

[170] साइप्रस आपराधिक संहिता, अनुच्छेद 50डी.

[171] साइप्रस आपराधिक संहिता, अनुच्छेद 68.

[172] साइप्रस आपराधिक संहिता अनुच्छेद 202ए.

[173] अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान, "संतुलन से बाहर: यूरोपीय संघ में मानहानि कानून: पत्रकारों, नागरिक समाज और नीति निर्माताओं के लिए एक तुलनात्मक अवलोकन", (जनवरी 2015).

5.26 नीचे सारणी में ऐसे कुछ यूरोपियन देशों का संकलन, जहां आपराधिक मानहानि एक अपराध है, अपराध की विधिक परिभाषाओं का ब्यौरा और तत्समान दंडात्मक उपाय दर्शाया गया है :

देश	आपराधिक मानहानि	विधिक परिभाषा	दंड
आस्ट्रिया	मानहानि (उबले नचरेदे)[174]	किसी को अशोभनीय लक्षण या प्रवृत्ति का अभियोग या असम्मानीय व्यवहार या सद् नैतिकता के प्रति घृणात्मक व्यवहार जो उस व्यक्ति को बदनाम कर सकता हो या आम जनता की नजरों में उसकी अपकीर्ति करता हो ।	छ: मास तक का कारावास या जुर्माना(प्रिंट, प्रसारण या किसी अन्य माध्यम द्वारा किए गए मानहानि के लिए जिसके द्वारा मानहानिकारक अंतर्वस्तु काफी जनता तक पहुंचयोग्य है, संभाव्य दंड एक वर्ष तक कारावास या जुर्माना है ।
चेक रिपब्लिक	मानहानि[175]	अन्य व्यक्ति के बारे में मिथ्या सूचना की संसूचना जो साथी नागरिकों में उसकी ख्याति को गंभीर रूप से खतरा कारित करने में सक्षम है, विशेषकर कार्य में उसे अपहानि करती है और उसके पारिवारिक संबंधों में अपकीर्ति या उसे कुछ अन्य गंभीर अपहानि कारित करती है ।	एक वर्ष तक का कारावास (सामान्य) दो वर्ष तक का कारावास या अपना व्यवसाय करने का प्रतिषेध (मीडिया या अन्य सार्वजनिक रीति द्वारा की गई मानहानि के लिए)
डेनमार्क	मानहानि[176]	घृणात्मक शब्दों या आचरण या किसी कार्य का आरोप फैलाकर जिससे उसके साथी नागरिकों की नजर में उसे निंदित करना संभाव्य है, अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत सम्मान का अतिक्रमण करना ।	चार मास तक का कारावास या जुर्माना (सामान्य) : दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना (दुर्भाव में की गई मान हानि (दुर्भावपूर्ण) - यदि बेहतर ज्ञान के विरुद्ध आरोप किया गया या फैलाया गया या यदि अपराधकर्ता के पास युक्तियुक्त आधार पर सही होने के आधार की कमी है)
फिनलैंड	मानहानि[177]	अन्य व्यक्ति की 'मिथ्या सूचना	केवल जुर्माना (सामान्य);

[174] ऑस्ट्रियाई आपराधिक संहिता (स्ट्राफगेसेट्ज़बच), 111.

[175] चेक आपराधिक संहिता, 184.

[176] डेनिश आपराधिक संहिता. 267-268.

[177] फिनिश आपराधिक संहिता. कला. 24.9.24.10.

		या मिथ्या परोक्ष संकेत फैलाना जिससे कि कार्य नुकसान कारित करने में सहायक है या उस व्यक्ति को कष्ट पहुंचता है या उस व्यक्ति का अपमान होता है या किसी अन्य रीति से अन्य व्यक्ति की निंदा करता है'	दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना (वर्धित मानहानि- ऐसा कार्य जो भारी कष्ट या विशेष कर महत्वपूर्ण नुकसान कारित करता है)
फ्रांस	मानहानि[178]	तथ्य का कोई अभिकथन या अभियोग जो किसी व्यक्ति के सम्मान या विचार पर हमला कारित करता है ।	जब प्राइवेट व्यक्तियों के प्रति किया गया हो, 12000E (के जुर्माने से दंडनीय, जब सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध किया गया हो तो 45000E तक का अधिकतम जुर्माना
जर्मनी	मानहानि (मूवले नचेडे)[179]	किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित तथ्य का प्राख्यान या प्रचार जो उसकी मानहानि कर सकती है या नकारात्मक रूप से उसके बारे में सार्वजनिक राय प्रभावित करती है ।	एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना (सामान्य); दो वर्ष तक का कारावास अधिरोपित किया जा सकता है यदि कार्य सार्वजनिक रूप से किया गया है या लिखित सामग्री द्वारा प्रचार किया गया है ।
ग्रीस	मानहानि और अपमान वचन[180]	एक अन्य व्यक्ति के बारे में तृतीय पक्षकार के समक्ष दावा करना या प्रचार करना जो उस व्यक्ति के सम्मान या ख्याति की अपहानि करता हो ।	दो वर्ष तक का कारावास या जुमार्ना या दोनों (सामान्य); कम से कम तीन मास का कारावास या जुर्माना (अपमान वचन यदि मानहानि ऐसा है जिसमें सूचना मिथ्या थी और अपराधकर्ता इसे मिथ्या होना जानता था)
हंग्री	मानहानि (रगलमैजस्त)[181]	ऐसी किसी बात के लिखित या मौखिक प्रकाशन में लगा रहना जो अन्य व्यक्ति के अच्छे नाम या ख्याति के लिए हानिकार है या ऐसे तथ्य को प्रत्यक्षत: निर्दिष्ट करते हुए अभिव्यक्ति का उपयोग करना	एक वर्ष तक का कारावास (सामान्य) : दो वर्ष तक का कारावास यदि मानहानि का कार्य दुर्भाव पूर्ण हेतु या प्रयोजन के लिए किया गया है । भारी प्रचार (मीडिया) से

[178] 29 जुलाई 1881 का प्रेस की स्वतंत्रता पर कानून, अनुच्छेद 29-32 (फ्रांस).

[179] जर्मन दंड संहिता, अनुच्छेद 186.

[180] ग्रीक दंड संहिता. अनुच्छेद 362-363.

[181] हंगेरियन आपराधिक संहिता, अनुच्छेद 226.

		।	प्रकाशित है या दावाकर्ता को 'काफी क्षति' कारित करता है ।
आइसलैंड	मानहानि और अपमानवचन[182]	मानहानि- अन्य व्यक्ति के बारे में ऐसी प्रकृति का परोक्ष संकेत करना जो उसकी ख्याति को क्षतिग्रस्त करेगा या ऐसा परोक्ष संकेत का प्रसार करेगा अपमानवचन - व्यक्ति के बेहतर जानकारी के विरुद्ध मानहानिकारक परोक्ष संकेत करना या प्रचार करना।	जुर्माना या एक वर्ष तक का कारावास । दो वर्ष तक का कारावास ; यदि परोक्ष संकेत किया जाता है या सावर्जनिक रूप से प्रचारित किया जाता है यद्यपि इसे करने वाले व्यक्ति के पास इसके सही होने का विश्वास करने का कोई कारण नहीं था, यह जुर्माने या दो वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा ।
इटली	मानहानि[183]	अन्य लोगों के साथ संसूचना द्वारा अनुपस्थिति व्यक्ति की ख्याति को क्षति पहुंचाना।	एक वर्ष तक का कारावास या €1032 तक का जुर्माना (सामान्य) ; यदि अपमान या मानहानि के कार्य में विनिर्दिष्ट तथ्य का अभिकथन है, तो दंड बढ़ाकर दो वर्ष तक का करावास या € 2060 तक का जुर्माना; यदि मानहानि प्रेस के माध्यम से या अन्यथा सार्वजनिक रूप से की जाती है तो दंड कम से कम € 516 का जुर्माना या छः मास से तीन वर्ष का कारावास है।
लिथुआनिया	अपमानलेख[184]	अन्य व्यक्ति के बारे में मिथ्या सूचना फैलाना जो इस व्यक्ति का अपमान करता हो या उसका मानमर्दन करता हो या उसका विश्वास क्षीण करता हो।	एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना।
नीदरलैंड	अपमानवचन (स्माद)[185], अपमानलेख	अपमानवचन - साशय विशिष्ट तथ्य के अभिकथन द्वारा उस	जुर्माना या छः मास तक का कारावास।

[182] सामान्य दंड संहिता, संख्या ।911940, अनुच्छेद 235-236 (आइसलैंड).

[183] इतालवी दंड संहिता अनुच्छेद 595.

[184] लिथुआनिया गणराज्य की आपराधिक संहिता, अनुच्छेद 154.

[185] डच दंड संहिता. अनुच्छेद 261 -262.

	(स्मादच्रिफ्ट)और वर्धित मानहानि (लास्टर) 185	तथ्य को सार्वजनिक करने के उद्देश्य से व्यक्ति की ख्याति या सम्मान की अपहानि करना । अपमानलेख - मानहानि का कार्य जो सार्वजनिक रूप से पहुंचयोग्य लेख या प्रतीक के माध्यम से होता है । वर्धित मानहानि - अपमानलेख या अपमान वचन का कोई कार्य जिसमें अपराधी जानता है कि प्रश्नगत कथन या प्राख्यान मिथ्या है ।	 जुर्माना या एक वर्ष तक का कारावास । जुर्माना या दो वर्ष तक का कारावास ।
पोलैंड	मानहानि[186]	अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, संस्था या संगठनात्मक ईकाई को आचरण या लक्षण जो सार्वजनिक राय में उन्हें अविश्वसनीय ठहराता हो, लांछन लगाना ।	जुर्माना या स्वतंत्रता का निर्बंधन (सामान्य) . जुर्माना या स्वतंत्रता का निर्बंधन या एक वर्ष तक का कारावास यदि अपराध सामूहिक मीडिया के माध्यम से किया गया है ।
पुर्तगाल	मानहानि (डिफैमैकाव)[187]	तथ्य का अभिकथन करना या निर्णय विरचित करना या तीसरे व्यक्ति के बारे में ऐसा पुनरुत्पादन करना जो उस व्यक्ति के सम्मान या ख्याति के लिए आपत्तिजनक है ।	अधिकतम छः मास का कारावास या जुर्माना (सामान्य) ; यदि विशिष्ट तथ्य के अभिकथन से संबंधित कार्य है कि अपराधी असत्य होना जानता है या सार्वजनिक रूप से किया गया है, शास्ति एक तिहाई बढ़ जाती है; यदि कार्य मीडिया के माध्यम से की गई है, दंड बढ़ाकर दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से की जाती है ।
स्लोवाकिया	मानहानि[188]	एक अन्य व्यक्ति के बारे में मिथ्या सूचना संसूचित करना जो गंभीर रूप से साथी नागरिकों में व्यक्ति की ख्याति, व्यक्ति की आजीविका,	दो वर्ष तक का कारावास (सामान्य) ; यदि मानहानि का कार्य सारवान नुकसान कारित करता है, कारावास की

[186] पोलिश दंड संहिता. अनुच्छेद 212.

[187] पुर्तगाली दंड संहिता, उत्तर 180, 183.

[188] स्लोवाक दंड संहिता. धारा 373.

		कारबार और/या पारिवारिक संबंध को नुकसान कर सकता है या व्यक्ति को गंभीर अपहानि कारित करता है ।	अधिकतम अवधि पांच वर्ष तक बढ़ाकर की जाती है । यदि कार्य का परिणाम बड़े पैमाने पर नुकसान से रोजगार की हानि या विवाह विच्छेद है तो अपराधी तीन से आठ वर्ष तक के कारावास का सामना करता है।
स्लोवेनिया	मानहानि और अपमानवचन[189]	अपमान वचन - अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ बात का प्राख्यान करना या परिचालित करना जो उस व्यक्ति के सम्मान या ख्याति को नुकसान करने में सक्षम है । मानहानि - किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ असत्य बात का प्राख्यान करना या परिचालित करना जो यह जानते हुए कि जो दावा करता है या फैला रहा है, असत्य है, उस व्यक्ति के सम्मान या ख्याति को नुकसान कारित करने में सक्षम है ।	जुर्माना या तीन मास तक का कारावास (सामान्य); यदि अपराध मीडिया द्वारा किया गया है तो यह जुर्माना या छः मास तक के कारावास से दंडनीय है ; यदि अपराध का प्रभावित पक्षकार के प्रति 'गंभीर परिणाम' था तो अधिकतम दंड बढ़कर एक वर्ष तक के कारावास तक हो जाता है । जुर्माना या छः मास तक का कारावास (सामान्य); यदि अपराध मीडिया द्वारा किया गया है तो यह जुर्माना या एक वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है; यदि अपराध का प्रभावित पक्षकार के प्रति 'गंभीर परिणाम' था तो अधिकतम दंड बढ़कर दो वर्ष तक के कारावास तक हो जाता है ।
टर्की	अपमान[190]	ऐसी रीति से कार्य या तथ्य को उस व्यक्ति द्वारा किया जाना बताया गया जो उस व्यक्ति के सम्मान, गरिमा या प्रतिष्ठा को आक्षेपित करता है या शपथ द्वारा किसी के	तीन मास से दो वर्ष का कारावास या न्यायिक जुर्माना (सामान्य) ; यदि कार्य लोक अधिकारी के विरुद्ध उसके लोक कर्तव्य के पालन के

[189] स्लोवेनियाई आपराधिक संहिता, अनुच्छेद 159-160.

[190] तुर्की दंड संहिता. अनुच्छेद 125.

		सम्मान गरिमा या प्रतिष्ठा पर आक्रमण करता है ।	कारण किया गया है या व्यक्ति के धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक या दार्शनिक विश्वास के प्रत्युत्तर में किया गया है तो अधिरोपित की जाने वाले कारावास की अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी।

ख. ऐसे देश जहां मानहानि को गैर-अपराध बनाया गया है

5.27 मानहानि विधियां किसी की ख्याति की अपहानि करने वाले मिथ्या कथनों के विरुद्ध निर्णायक सुरक्षोपाय के रूप में कार्य करती है किंतु इसका आसानी से दुरुपयोग भी किया जा सकता है। मानहानि के अपराधीकरण से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जोखिम हो सकता है और पत्रकारी स्वतंत्रता पर 'द्रुतशीतन प्रभाव' डाल सकता है। इसके बजाय, पत्रकार और मीडिया को अपने कर्तव्यों का प्रचालन और पालन किसी भय के बिना करने में सक्षम होना चाहिए।[191] मस्तिष्क में इस लक्ष्य के साथ वर्ष 1990 से कई देशों ने मानहानि उपबंधों को गैर अपराधीकृत किया। यूनाइटेड किंगडम, जहां से भारत ने अपनी अधिकांश विधि उधार ली, ने स्वयं वर्ष 2009 में आपराधिक मानहानि विधि को निरसित किया। कुछ अन्य देश जिन्होंने मानहानि को गैर-अपराधीकृत किया में साइप्रस, आयरलैंड, माल्टा, रोमानिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूकेन, श्रीलंका, मालदीव, नार्वे, जिम्बाबे और केन्या सम्मिलित हैं।

5.28 यूनाइटेड स्टेट आफ अमेरिका में कोई समान आपराधिक मानहानि विधि नहीं है। फेडरल स्तर पर कोई आपराधिक मानहानि विधि नहीं है। इसके सभी राज्य और कोलाम्बिया जिले में अपनी विधियां है जिसमें अपकृत्य विधि का कार्पस है जो अधिकांशत: कामन विधि पर आधारित है किंतु राज्य विधान और न्यायिक दृष्टिकोण द्वारा परिवर्तित किया गया है। फिर भी, अमेरिकन संविधान कड़ाई से प्रत्येक राज्य की अपनी मानहानि विधियों को ठीक करने की क्षमता को सीमित करता है। यू.एस. संविधान[192] के प्रथम संशोधन ने वाक् की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता को गारंटीकृत किया और इस प्रकार, मानहानि आरोपों के विरुद्ध संरक्षण उपलब्ध किया किंतु वर्ष 1964 तक मानहानि मामलों में इसका अधिक उपयोग नहीं हुआ जब **न्यूयार्क टाइम्स कं.** बनाम **सुलीवन**[193] वाले मामले में यू.एस.ए. के उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि मानहानि विधि वाद फाइल करने की सरकारी कर्मचारियों की क्षमता स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए प्रथम संशोधन के सुरक्षोपायों द्वारा सीमित है। सफल होने के लिए सरकारी

[191] पूर्व टिप्पण 169.

[192] संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, संशोधन 1.

[193] 376 यू.एस. 254.

कर्मचारी को न केवल मानहानि के सामान्य तत्वों को साबित करना चाहिए किंतु यह भी साबित करना चाहिए कि मीडिया आउटलेट या तो जानती थी कि सूचना पूर्णत: मिथ्या थी या यह कि इसे इसकी सत्यता या असत्यतता को नजरन्दाज करते हुए प्रकाशित किया गया था। वर्ष 1966 में, यूनाइटेड स्टेट उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिकांश आपराधिक अपमानलेख विधियों ने **आस्टन** बनाम **केन्टुकी**[194] वाले मामले में स्वतंत्र भाषण के प्रथम संशोधन संरक्षण का अतिक्रमण किया। इसके कुछ राज्यों और राज्यक्षेत्रों में, राज्य स्तर पर आपराधिक मानहानि विधियों को या तो निरसित किया गया या असंवैधानिक होने के रूप में अभिखंडित किया गया।

5.29 **यूनाइटेड किंग्डम** ने वर्ष 2009 में कोरोनर और न्याय अधिनियम, 2009 में संशोधन द्वारा मानहानि विधियों को गैर-अपराधीकृत किया जिसने राजद्रोह, राजद्रोहात्मक अपमानलेख, मानहानिकारक अपमानलेख और अश्लील अपमानलेख के दंडात्मक अपराधों को इंग्लैंड, वेल्स और नार्दर्न आयरलैंड में भी निरसित किया।[195] अधिनियम को इस तर्क के आधार पर न्यायोचित ठहराया गया कि मानहानि उपबंधों के अपराधीकरण ने अन्य देशों के लिए स्वतंत्रभाषण को निर्बंधित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया।

5.30 **श्रीलंका** एशिया में सिविल सोसाइटी संगठनों, व्यावसायिक संगठनों और व्यापार संघों जिन्होंने वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के पूर्ण उपभोग की वकालत की, ठोस विरोध के कारण वर्ष 2002 में आपराधिक मानहानि को गैर-अपराधीकृत करने वाले प्रथम देशों में एक बन गया। इस कदम ने देश को अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा (आईसीसीपीआर) और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा (आईसीईएससीआर) को अनुसमर्थित करने के लिए अग्रणी बनाया।

5.31 **कीनिया** में, आपराधिक मानहानि के अपराध को **ओकुता** बनाम **एटर्नी जनरल**[196] वाले मामले में कीनिया उच्च न्यायालय द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण करने के लिए असंवैधानिक घाषित किया गया। न्यायालय ने यह तर्क दिया कि मानहानि को अपराधीकृत करना अनावश्यक है यदि इस प्रयोजन के लिए सिविल उपचार उपलब्ध है। न्यायालय के अनुसार, आपराधिक मानहानि का अवलंब लेना 'अननुपातिक था इसलिए अत्यधिक है'।

5.32 **आस्ट्रेलिया और न्यूजी लैंड** में मानहानि दांडिक अपराध नहीं है। इन दोनों देशों में मानहानि के विरुद्ध उपचार सिविल उपचार है। आस्टेलिया में, मानहानि अधिनियम, 2005[197] द्वारा एक समान मानहानि विधान वर्ष 2005 में पुर:स्थापित किया गया था जिसके द्वारा अपमान वचन और अपमान

[194] एश्टन बनाम केंटकी, 384 यू.एस. 195 (1966).
[195] कोरोनर्स और न्याय अधिनियम 2009. 73.
[196] 2017 एससीसी ऑनलाइन केन 1.
[197] मानहानि अधिनियम- 2005 का अधिनियम 77.

लेख के बीच विभेद को भी समाप्त कर दिया गया था। 1992 के मानहानि अधिनियम[198] द्वारा वर्ष 1993 में न्यूजीलैंड में मानहानि के अपराध को गैर-अपराधीकृत किया गया।

5.33 अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कुछ विधिक सत्ताओं ने अभिव्यक्ति और राय की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया। उन लोगों ने भी मानहानि के गैर-अपराधीकरण के आहवान का समर्थन किया है।

5.34 **अंत: अमेरिकन मानव अधिकार न्यायालय** ने बारंबार यह कहा कि दांडिक मानहानि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करती है। उदाहरणार्थ, **हेररैरा उलावा** बनाम **कोस्टारिका**[199] वाले मामले में न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि अभिव्यक्ति की प्रभावी स्वतंत्रता लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। इसने लोकहित मेंप्राइवेट लोगों की तुलना में सार्वजनिक लोगों की अधिक संवीक्षा किए जाने के महत्व का भी उल्लेख किया। फिर भी, **रिकार्डो केनेसे** बनाम **पैरागुए**[200] वाले मामले में नयायालय ने सार्वजनिक वार्तालाप और लोक हित से संबंधित मामलों में व्यक्त रायों को सहन करने के व्यापक पैमाने को अनुज्ञात करने की आवश्यकता को उजागर किया।

5.35 इसी प्रकार, वर्ष 2014 में **लोहे इसा कोनेटे** बनाम **बुरकिना फासो**[201] वाले मामले में मानव और पीपुल्स अधिकार के अफ्रीकन न्यायालय के विनिर्णय से कई क्षेत्रीय देश मानहानि को गैर अपराधीकृत करने के लिए उद्यत हुए। इस मामले में, न्यायालय के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बंधित करने वाली विधियों को न केवल विधिसम्मत सरकारी हित को पूरा करना चाहिए बल्कि संभाव्य अपहानि जो वे करते हैं से संबंधित आनुपातिकता भी बनाए रखना चाहिए। न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि स्थानीय अभियोजकों की आलोचना करने के लिए प्रकाशित लेख के लिए अधिरोपित बारह मास के कारावास का दंडादेश और $ 12,000 यूएसडी का जुर्माना काफी कठोर है और मानव और पीपुल्स अधिकार के अफ्रीकन चार्टर और आईसीसीपीआर दोनों का अतिक्रमण करता है। न्यायालय ने यह भी राय व्यक्त की कि मानहानि के लिए आपराधिक प्रतिघात कभी न्यायोचित नहीं है बल्कि व्यक्तियों को सिविल उपचार लेने की वकालत की।

5.36 वर्ष 2010 में, **अफ्रीकन मानव और पीपुल्स अधिकार आयोग** ने महाद्वीप में आपराधिक मानहानि विधियों को निरसित करने के संकल्प को अंगीगार किया क्योंकि यह पत्रकारों और लोकहित की सेवा करने वाले मीडिया[202] के लिए बुरा और कठोर परिणाम पैदा करता है।

5.37 संपूर्ण भिन्न-भिन्न अधिकारिताओं की आपराधिक मानहानि उपबंधों पर विचार करते हुए इस अध्याय में विधिक अवसंरचना, शास्ति और सामाजिक उलझनों के प्रतिबिंब को देखा गया। मानहानि का अपराधीकरण संपूर्ण विश्व में भिन्न-भिन्न राय के साथ एक विवादास्पद विषय रहा

[198] मानहानि अधिनियम, अधिनियम संख्या 105, 1992.
[199] 2 जून, 2004 का निर्णय, श्रृंखला सी, संख्या 107.
[200] 31 अगस्त, 2004 का निर्णय, श्रृंखला सी, संख्या 111.
[201] 2015 एससीसी ऑनलाइन केन 2823.
[202] अफ्रीका में आपराधिक मानहानि कानूनों को निरस्त करने का संकल्प - ACHPR/Res.169(XLVIII)10 (2010).

है। जहां कुछ अधिकारिताएं गैर अपराधीकरण या सिविल उपचार पर बल देने की ओर प्रवृत्त है वहीं कई देश मानहानि के लिए आपराधिक उपबंध प्रतिधारित करने की वकालत करते हैं।

5.38 यूनेस्को द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार विश्व के 160 देश मानहानि को अपराधीकृत करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, अनेक नई विधियां साइवर सुरक्षा, काल्पनिक समाचारों और घृणित भाषणों से निपटने के लिए पारित की गई जिससे कई राज्यों ने अपमानलेख, मानहानि और अपमान के उपबंधों को कठोर बनाया या पुन: पुर:स्थापित किया।[203]

5.39 इन अधिकारिताओं के आपराधिक मानहानि उपबंधों के तुलनात्मक विश्लेषण से अपराधीकरण की वकालत करने की तर्कणा का पता चलता है शस्तियां अधिरोपित कर अपराधीकरण जवाबदेही ठहराने, सदोष मानहानि से विरत करने और व्यक्तिगत ख्याति की सुरक्षा की ईप्सा करता है। इन उपबंधों को प्राय: सामाजिक सद्भाव, व्यक्तिगत निष्ठा संरक्षित करने और सार्वजनिक जीवन की परिधि में जवाबदेही कायम रखने की उनकी भूमिका के आधार पर न्यायोचित ठहराया गया है।

5.40 इसके अलावा, आपराधिक मानहानि उपबंध प्राय: विधिक निवारण और व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के बीच की दूरी को कम करते हैं। जहां स्वतंत्र भाषण एक मूल अधिकार है किंतु यह आत्यंतिक नहीं है। आपराधिक उपबंधों को जब विवेकपूर्वक लागू किया जाता है तो ये राय व्यक्त करने के अधिकार और अन्य लोगों की गरिमा और ख्याति का सम्मान करने के दायित्व के बीच संतुलन बनाते हैं।

5.41 आगे आपराधिक मानहानि विधियों का अस्तित्व इस डिजिटल युग में जवाबदेही सुनिश्चित करने के महत्व को कम आंकता है। अंतर जुड़े विश्व में जहां सूचना सारे विभिन्न आनलाइन प्लेटफार्म पर तेजी से फैलती है वहां ऐसे संसूचना चैनल जो मानहानिकारक अंतर्वस्तु को बढ़ाने की भूमिका निभा सकते हैं, के गलत उपयोग और दुरुपयोग से निपटने के लिए विधिक उपाय महत्वपूर्ण हैं।

5.42 जहां मानहानि के अपराधीकरण पर बहस चल रही है, इन उपबंधों की वकालत करने में व्यक्तिगत ख्याति का संरक्षण करने में उनकी भूमिका को मान्यता प्रदान करना, जवाबदेही तय करना, सामाजिक मूल्य संरक्षित करना और उत्तरदायी अभिव्यक्ति विकसित करना अंतवर्लित है। यह भी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि मानहानि विधियां स्वीकारयोग्य, साम्यापूर्ण और अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों के अनुकूल बनी रहें।

[203] यूनेस्को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करने के लिए न्यायिक प्रणाली का दुरुपयोग: रुझान, चुनौतियां और प्रतिक्रियाएं (2022).

6. निष्कर्ष

क. आपराधिक मानहानि की संवैधानिकता

6.1 भारत की आपराधिक मानहानि विधियों ने अपनी संवैधानिकता के बारे में बहस का सामना किया। जहां कुछ लोग यह तर्क करते हैं कि ये विधियां वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक संरक्षण का खंडन करते हुए स्वतंत्र भाषण को निर्बंधित करती है वहीं अन्य यह प्राख्यान करते हुए उन्हें कायम रखते हैं कि वे ख्याति को संरक्षित करते हैं और दुरुपयोग रोकते हैं। भारत के उच्चतम न्यायाल ने **सुब्रह्मनियम स्वामी** बनाम **भारत संघ**[204] वाले मामले में स्वतंत्र भाषण और ख्याति को संरक्षित करने के अधिकार को संतुलित करते हुए आपराधिक मानहानि को कायम रखा किंतु संवैधानिक स्वतंत्रताओं के साथ इसके संरेखण के बारे में बहस जारी है।

6.2 यह स्पष्ट है कि सभी भाषण संरक्षणयोग्य नहीं है और यह विशेषकर मानहानिकारक भाषण के बारे में सत्य है जिसमें भारी अपहानि करने की क्षमता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और ख्याति का अधिकार जो गरिमा के अधिकार से जुड़े हैं, को मानहानि की विधि के अनुसार संतुलित होना चाहिए।[205] यह प्रतीत होता है कि पीड़ित की गरिमा के अधिकार को न्यायालयों द्वारा यह संतुलन बनाने में अधिक महत्व दिया जाता है। वर्तमान आपराधिक मानहानि विधान मुख्यतया व्यक्ति की ख्याति के सुरक्षोपाय की आवश्यकता द्वारा न्यायोचित है अत:, अंतत: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हित को इस सामाजिक प्रयोजन के विरुद्ध अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

6.3 कनाड़ा उच्चतम न्यायालय ने **आर** बनाम **ल्यूकस** वाले मामले में यह न्यादेश दिया कि मानहानिकारक अपमानलेख का दांडिक अपराध विधित: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को निर्बंधित कर सकता है क्योंकि यह व्यक्ति की ख्याति की अपहानि संपादित होने से रोकता है, जो 'आपराधिक विधि का विधिसम्मत लक्ष्य' है और क्योंकि मानहानिकारक अभिव्यक्ति का मूल्य 'नगण्य' है[206] :

> *"मानहानिकारक अपमान लेख को अब तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कोर मूल्य से हटाया गया है कि इसमें मेरिट है किंतु क्षीण संरक्षण है। इस कम डिग्री के संरक्षण का समर्थन [मानहानिकारक अपमानलेख का उल्लेख करने वाली आपराधिक संहिता की धाराओं] के सराहनीय उद्देश्य द्वारा भी किया जा सकता है। वे व्यक्ति के ख्याति का संरक्षण करने के लिए अभिकल्पित हैं। यह ऐसा गुण है जिसकी अधिकांशत: काफी*

[204] एआईआर 2016 एससी 2728.

[205] नेशनल मीडिया लिमिटेड बनाम बोगोशी, 1998 (4) एसए 1196 (एससीए) 1207.

[206] कार्ल फिशर, "आपराधिक मानहानि के सामान्य कानून मानदंड की संवैधानिकता का मूल्यांकन", NMMU (2008), यहाँ उपलब्ध है: https://core.ac.uk/download/pdf/ | 45044662.pdf. (अंतिम बार 15 जनवरी, 2024 को देखा गया).

ईप्सा अधिकांश व्यक्तियों द्वारा पुरस्कृत और सम्मान के पश्चात् की जाती है । समुदाय में अच्छी ख्याति के उपभोग का मूल्य धनवान से परे है।[207]*"*

6.4 न्या. **स्कीवेयिया** ने **डिकोको** बनाम **मोखातला**[208] वाले मामले में यह कहते हुए मानहानि कार्रवाईयों के प्रशीतन प्रभाव से संबंधित यह टिप्पणी की :

"मानहानि मामलों में परिकल्पित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रशीतन प्रभाव निम्नलिखित रीति से उभर कर आएगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो यह संदेह करता है कि वे संभवत: किसी अन्य की मानहानि कर सकते है, इस तथ्य से अवगत है कि यदि वे करते हैं तो इसके विधिक परिणाम होंगे। परिणामत: वे या तो कथन करने से विरत रहें या सर्वप्रथम कुछ पृष्ठभूमि की जांच करें। इस प्रकार इसी तरह के कथन जो प्रशीतक हैं, वे है जिसे सामान्य व्यक्ति मानहानिकारक प्रकृति का होने का संदेह कर सकता है। इस तरह की अभिव्यक्ति के प्रशीतन का हर स्थिति में अवांछनीय परिणाम है और प्रतिच्छेदी अधिकारों की अवसंरचना के अनुरुप है ... जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कतिपय परिस्थितियों में गरिमा को पिछली वाली सीट ग्रहण करना पड़ सकता है। इस प्रकार अभिव्यक्ति के संरक्षण की संवैधानिक स्कीम के प्रतिकूल होने के बजाए, 'प्रशीतन' मानहानिकारक कथन या ऐसे जिन्हें इस प्रकार होने का संदेह किया जा सकता है, संक्षिप्तत: वे है जिन्हें संविधान आधारभूत मूल्य के रूप में गरिमा के प्रति अपनी वचनबद्धता के आलेक में अपेक्षा करता है।"

6.5 साउथ अफ्रीका की अपील उच्चतम न्यायालय ने **एस** बनाम **हो हो**[209] वाले मामले में आपराधिक मानहानि के लगभग 22 आरोपों पर दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील को खारिज कर दिया। कतिपय राजनैतिक पद धारकों के विरुद्ध अभिकथन कई प्रकाशित पैम्फ्लेट में किए गए थे। न्यायालय ने विशेषकर इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या मानहानि अब भी कामन विधि दुराचार है और क्या यह संवैधानिकत: ठोस है। पूर्व विधिक मामलों, सुसंगत साउथ अफ्रीकनविधि आयोग रिपोर्ट, शिक्षाविद् लेखकों की राय और 1998 के अपराध कानूनी विस्तार निर्वाचक अधिनियम 75 का पुनर्विलोकन करने के पश्चात् न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि मानहानि का अपराध संविधान का उल्लंघन नहीं करता। न्यायालय ने यह ध्यान दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन विधिमान्य और संवैधानिक है, यदि यह अभिव्यक्ति के संरक्षण और मानव गरिमा के संरक्षण के बीच संतुलन बनाता है। आगे, न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि 'यद्यपि आपराधिक दोषसिद्धि और उससे उद्भूत शास्ति नुकसानी अदा करने के आदेश से और अधिक गंभीर हो सकती है तो मेरे विचार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा नहीं है।'

---

[207] आर बनाम लुकास, [1998] 1 एससीआर 439.

[208] 2007 (1) बीसीएलआर 1 (सीसी).

[209] (2009 (1) एसएसीआर 276 (एससीए).

6.6 **खुमालो** बनाम **होलोमीसा**[210] वाले मामले में संविधान न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि मानहानि का अपराध असंवैधानिक नहीं है और यह कि वह कुछ लेखओं के विचारों से सहमत नहीं है कि इसे गैर-अपराधीकृत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, न्यायालयने तर्क किया कि यह कैसे होना चाहिए कि शारीरिक क्षति को हमले के रूप में अभियोजित किया जाए किंतु ख्याति की क्षति का अभियोग न किया जाए।[211]

6.7 आपराधिक मानहानि व्यक्ति की ख्याति और गरिमा का संरक्षण करती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अधीन युक्तियुक्त निर्बंधन व्यक्ति की ख्याति के सुरक्षोपाय के लिए मानहानि के संबंध में अधिरोपित किया जा सकता है। आपराधिक मानहानि मिथ्या और दुर्भावपूर्ण कथन किसी की ख्याति के नुकसान को रोकने के लिए कि सिविल उपचार पर्याप्त रूप से कोई हल नहीं निकाल सकते हैं, के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करता है। फिर भी, विधि मानहानिकारक कथनों द्वारा कारित अनापेक्षित अपहानि से व्यक्तियों को संरक्षित करने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ख्याति के अधिकार के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है।

ख. आपराधिक मानहानि का दुरुपयोग

6.8 भारतीय संविधान और अंतरराष्ट्रीय संधियां जिसका भारत सदस्य है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं। समाचार पत्र, टेलीविजन, इनटरनेट और सामाजिक मीडिया में प्राय: राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच गरमागरम बहस होती रहती है। कई सरकारों ने स्वतंत्र भाषण के अधिकार को कायम रखने का व्रत लिया है।[212] किंतु यह तर्क किया गया है कि आपराधिक मानहानि विधियां जिनका आशय मिथ्या और नुकसानदायक कथनों से व्यक्तियों और सत्ताओं को संरक्षित करना है। गलत उपयोग और दुरुपयोग की शिकायतें होती जा रही हैं। जहां मानहानि विधियां ख्याति का सुरक्षोपाय करती है और मिथ्या सूचना के प्रसार को रोकती है वहीं आपराधिक संदर्भ में उनके उपयोग को प्राय: स्वतंत्र भाषण का दम घोंटने और अभिव्यक्ति की विधि सम्मत आलोचना पर अड़चन डालने के रूप में देखा जा रहा है।

6.9 आपराधिक परिभाषा से संबंधित एक प्रमुख चिंता निगम या प्रभावी व्यक्तियों सहित सशक्त सत्ताओं द्वारा उनकी क्षमता को सशस्त्र करना, विरोध को शांत करना, पत्रकारों और आलोचकों को भयभीत करना है। ऐसी विधियों का उपयोग सेंसरशिप, खोजी पत्रकारिता को बाधित करने और महत्वपूर्ण विषयों पर सार्वजनिक चर्चा को सीमित करने के औजार के रूप में किया जा सकता है।

---

[210] 2002 (8) बीसीएलआर 771 (सीसी).

[211] शैनन होक्टर, "मानहानि का अपराध - आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र में अभी भी बचाव योग्य है"। OBIT 203, यहाँ उपलब्ध है: https://journals.co.zaldoi/pdf/ 10. 10520/E JC137225.

[212] ह्यूमन राइट्स वॉच, असहमति पर सर्फिंग: भारत में शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति का अपराधीकरण (2016).

6.10 तथापि, आपराधिक परिभाषा का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रशीतक प्रभाव भी हो सकता है। जहां कुछ अभियोजनों का परिणाम दोषसिद्धि है वही आपराधिक मानहानि विधियों के अधिकांश अभियोजनों का परिणाम खारिजी या मामला वापस ले लिया जाना रहा है।[213]

6.11 विधिक प्रतिक्रियाओं के भय से लोग यह बोलने से बचते रहते हैं यद्यपि उनके पास अपने दावों के समर्थन में विधिसम्मत बातें या साक्ष्य होते हैं। यह भय गलतियों के प्रकटन को बाधित कर सकता है और आम जनता को निर्णायक सूचना तक पहुंचने को निवारित कर सकता है।

6.12 ऐसे प्रभावशाली अभिनेताओं वाले मामलों में आपराधिक मानहानि विधियों का दुरुपयोग देखा गया है, जो लम्बे विधिक कार्यवाहियों, अत्यधिक लागत और संबंधी मनोवैज्ञानिक बोझ से प्रतिवादी को अभिभूत करना चाहते हैं। मानहानि आरोपों पर केंद्रित एसएलएपीपी (सार्वजनिक भागीदारी के विरुद्ध कौशल विधिवाद) का प्राय: उपयोग प्रकाशन का निवारित कर या कतिपय अंतर्वस्तुओं को हटाकर और अन्यों को इसी मुद्दे को उठाने से हतोत्साहित कर अपने कार्यों को आगे बढ़ाने से पत्रकारों को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है।[214]

6.13 प्राय:, ऐसे मामले निश्चित रूप से ख्याति के नुकसान के लिए न्याय पाने के लिए नहीं फाइल किए जाते है बल्कि भ्रष्टाचार उद्घाटित करने वाले लोगों, पत्रकारों, परिवर्तन की वकालत करने वाले कार्यकर्ताओं या आनलाइन अपनी राय व्यक्त वाले सामान्य व्यक्तियों को लक्ष्यित करने के लिए फाइल किए जाते हैं। यह दुरुपयोग तब स्पष्ट होता है जब मामले महत्वहीन मामलों के लिए फाइल किए जाते हैं या उनके विरुद्ध अननुपातिक विधिक कार्रवाई की जाती है, जो विधिसम्मत बातें व्यक्त करते हैं या भ्रष्टाचार या अन्याय के उद्घाटन का प्रयास करते हैं।

6.14 उच्चतम न्यायालय ने **विजयकांत** बनाम **सिटी पब्लिक प्रोजेक्यूटर**[215] वाले मामले में तमिलनाडु सरकार द्वारा मानहानि के मामले में विपक्षी दल के राजनेता के विरुद्ध गैर-जमानतीय वारंट पर रोक लगाते हुए यह टिप्पणी की कि मानहानि का उपयोग सरकार के आलोचकों के विरुद्ध राजनैतिक जवाबी हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि 'मानहानि के दंडात्मक उपबंध का उपयोग विसम्मति का गला दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए ..... न्यायालय को तभी कदम उठाना चाहिए, यदि अनेक मानहानि मामले फाइल कर व्यक्तियों का प्रताड़ित करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।' इसी मामले में, न्यायालय ने उसके आलोचकों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा फाइल काफी मामलों की संख्या को भी प्रश्नगत किया।

---

[213] 2018 में उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए आपराधिक मानहानि के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर द्वारा किए गए एक अध्ययन में, यह पाया गया कि आईपीसी की धारा 499 के संबंध में दिए गए सभी निर्णयों में से केवल 14.29% में दोषसिद्धि हुई, जबकि 57.14% निर्णयों के परिणामस्वरूप खारिज कर दिया गया।

[214] यूनेस्को, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए मानहानि कानून और SLAPPs का लगातार "दुरुपयोग" किया जा रहा है", (अंतिम बार 20 अप्रैल, 2023 को संशोधित), यहाँ उपलब्ध है: https://www.unesco.org/en/anicles/defamation-laws-and-slapps growingly-m isused-curtai l-freedom expression?TSPD_l0l R0:080713870fab200006a1136fc89bf4aa2f|5357e5ac814692cc36bfc5639459439090b a'7a5992'74b08af6c833 I 14300003a53 fd5893 f89765R0338e8E0a0b5f8422bce6575af5baf0593297ffd6a74'1922d 635d3 लाल 1964745c2a4e08d8332. (अंतिम बार 29 जनवरी, 2024 को देखा गया).

[215] रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 4312016, आदेश दिनांक 28.07.2016.

6.15 **इंडियाबुल रियल इस्टेट लि.** बनाम **वेरिटास इन्वेस्टमेंट रिसर्च**[216] वाले मामले में, वेरिटास इन्वेस्टमेंट ग्रुप द्वारा 'बिल्किंग इंडिया' नामक रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित किया गया जिसमें इंडिया बुल ग्रुप की विभिन्न कंपनियों का विश्लेषण किया गया था जिसके पश्चात् इंडिया बुल ग्रुप की शेयर कीमतें स्टाक मार्केट में बहुत तेजी से गिरी। वेरिटास ग्रुप के विरुद्ध इंडिया बुल द्वारा आपराधिक मानहानि परिवाद फाइल किए गए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडिया बुल ग्रुप के आचरण की निंदा करते हुए यह मत व्यक्त किया कि :

"जहां किसी रिपोर्ट जो इसके अनुसार इसमें गलत या भ्रामक तथ्य है, के विरुद्ध इंडिया बुल के उपचार उन्हें हमेशा उपलब्ध थे और रिसर्च रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए आपराधिक कार्रवाई की धमकी अंतिम कदम है ..... अनुसंधानकर्ताओं द्वारा प्रकाशनों और लिखित लेखों के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया का प्रकाशन पर 'प्रशीतन प्रभाव' हो सकता है।"

6.16 **थीरु एन. राम** बनाम **भारत संघ**[217] वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य की मानहानि के मामलों में लोक अभियोजकों द्वारा किए गए अभियोजनों दंड पक्रिया संहिता (दं.प्र.सं.) की धारा 199(2) के दुरुपयोग को मान्यता प्रदान करते हुए और आपराधिक मानहानि कार्यवाहियों में लोक अभियोजक द्वारा ली जाने वाली सतर्कता और सावधानी को स्पष्ट करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि राज्य को मानहानि मामलों में किसी साधारण नागरिक की तरह आवेगी नहीं होना चाहिए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199(2) का अवलंब नहीं लेना चाहिए। न्यायालय ने यह मतव्यक्त किया :

"विधायिका का कभी यह आशय नहीं रहा होगा कि लोक अभियोजक के द्वारा एकमात्र लोक सेवक/संवैधानिक प्रकाधिकारी के व्यक्तिगत हित को पूरा करने के लिए अभियोजन चलाया जाए चाहे लोक सेवक/संवैधानिक प्राधिकारी की उक्त मानहानि उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में किया गया हो।"

6.17 **विजय** बनाम **राजेन्द्र धीसूलाल गुप्ता**[218] वाले मामले में, बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित करते हुए आपराधिक मानहानि के उपबंधों के दुरुपयोग की निंदा की कि किसी परोक्ष संकेत के बिना समाचार पत्र द्वारा सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में सूचना की रिपोर्टिंग मानहानि आरोपों को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता है। इस मामले में मराठी दैनिक ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रकाशित किया। ऐसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित व्यक्ति ने यह अभिकथित करते हुए आपराधिक मानहानि परिवाद फाइल किया कि समाचार पत्र ने सम्यक् सतर्कता के साथ कार्य नहीं किया क्योंकि आरोप पत्र में अभियुक्त के रूप में उसका नाम अंकित नहीं था। न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया, 'ऐसे कार्य जो सार्वजनिक क्षेत्र में है, से संबंधित सही रिपोर्ट करने की स्वतंत्रता ऐसा अधिकार है, जो वाक् स्वातंत्रय से नि:सृत होता है। सही और सद्भावपूर्ण रिपोर्टिंग के बारे में मानहानि की कार्रवाई लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हानिकर है।' न्यायालय ने आगे यह टिप्पणी की :

---

[216] 2019 एससीसी ऑनलाइन डेल 8294.
[217] 2020 एससीसी ऑनलाइन मैड 1023.
[218] आपराधिक आवेदन संख्या 393/2022, निर्णय दिनांक 20.06.2022.

"ऐसे समाचारों पर मानहानि के बारे में फाइल परिवार और कुछ नहीं बल्कि रिपोर्टर/इत्तिलाकर्ता को बंद करने और कुचलने का मजबूर करना है जिनकी अभिकथित रूप से मानहानि की गई है ..... ऐसे अभियोजन का सातत्य न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान है और विधि की दृष्टि में कायम नहीं रहता।"

6.18 विसम्मति का मुंह बंद करने की इसकी क्षमता और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का गला घोंट कर आपराधिक मानहानि का दुरुपयोग लोकतंत्र के विरोधात्मक है। जब आपराधिक मानहानि उपबंधों का शोषण व्यक्तियों, पत्रकारों या आलोचकों को शांत करने के औजार के रूप में किया जाता है, तो न केवल सूचना के स्वतंत्र बहाव को बाधित करता है बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को रोकता है। ऐसा दुरुपयोग भय की संस्कृति स्थापित करता है, आम जनता को लोकहित के मामले पर चर्चा करने से निषेध करता है और अंतत: विचारों के आदान-प्रदान को कम कर लोकतांत्रिक ढांचों और ऐसे विचार बिंदु जो गुंजायमान और लोकतांत्रिक समाज का अभिन्न भाग है, को क्षय करता है।

6.19 यह स्थिति प्राय: यह प्रश्न पैदा करती है कि क्या आपराधिक मानहानि उपबंध विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सिविल मानहानि उपचारों का अवलंब ख्याति की अपहानि के लिए नुकसानी का दावा करने के लिए भी किया जाता है, ख्याति का सुरक्षोपाय करने के लिए इष्टतम समाधान है।

6.20 आपराधिक मानहानि विधियों के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को कायम रखते हुए व्यक्तिगत ख्याति के संरक्षण को संतुलित करते हुए बारंबार विधिक सुधार की मांग किए जाते हैं। ऐसे सुधारों को निरर्थक या दुर्भावपूर्ण परिवादों को हतोत्साहित करना चाहिए, दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षोपाय का उपबंध करना चाहिए और विधिक प्रतिशोध के भय के बिना और अधिक सख्त लोक प्रबंध को प्रोत्साहित करना चाहिए।

ग. आपराधिक परिभाषा की आवश्यकता

6.21 मानहानि विधियों को प्रवृत्त करने की एक चुनौती वाक् स्वातंत्रय और नुकसान रहित ख्याति के परस्पर विरोधी अधिकारों में उचित सद्भाव लाना है। लार्ड निकोल्स ने यह कहते हुए **रेनाल्ड** बनाम **टाइम्स न्यूजपेपर्स**[219] वाले मामले में सार्वजनिक चिंता पर सावधानीपूर्वक विचार किया कि जब ख्याति की अपहानि होती है, तो 'समाज और व्यक्ति दोनों हानि उठाने वाले हैं' क्योंकि ख्याति का सुरक्षोपाय करना लोकहित में लाभकर है। 'युक्तियुक्त प्रकाशन' के 'नए' बचाव के अलावा बचाव, वाद लाने विषयक नियम, प्रकाशन, मानहानिकारक विषय, सबूत का भार त्रुटि और उपचार सभी इन दो मूल्यवान हितों अर्थात् ख्याति और वाक् स्वातंत्रय के बीच व्यवहार्य संतुलन बनाते हैं।[220] यह प्रतीत होता है कि एक ओर, अपनी ख्याति को ठीक तरह से बचाने के लिए मानहानि विधि का उपयोग करने के अवसर को कतिपय सत्ता या व्यक्ति

[219] रेनॉल्ड्स बनाम टाइम्स न्यूजपेपर्स लिमिटेड और अन्य, [2001] 2 एसी 127.
[220] जोनाथन बर्चेल, निजी कानून और मानवाधिकार 180 (एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी प्रेस).

का प्रत्याख्यान करने और प्रतिकूलत: राज्य या सरकार को छोड़कर मानहानि विधि वाद फाइल करने के अधिकार के बीच कौशल में महत्वपूर्ण अंतर है। तथापि, प्रत्येक बात इस अंतिम समझौते पर निर्भर करती है जिस पर वाक् स्वातंत्रय के अधिकार और ख्याति के संरक्षण के बीच विचारण के दौरान पहुंचा जाता है। क्या इन दोनों प्रतीयमानत: भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण के बीच व्यवहार में अंतर है, 'युक्तियुक्त प्रकाशन' की अवधारणा और दायित्व और इसके तत्समान बचाव के प्रत्येक तत्व के भीतर ख्याति और वाक् स्वातंत्रय के प्रतिस्पर्द्धी अधिकारों के बीच किए गए संतुलन पर निर्भर करेगा।

आपराधिक मानहानि विधि प्रतिधारित करने के तर्क

6.22 यह स्पष्ट है कि मानहानि विधि द्वारा अपराधीकृत आचरण निर्णायक व्यक्तित्व हित अर्थात् ख्याति का सुरक्षोपाय करता है। स्वयं को स्वतंत्र रुप से विशेषकर, राजनैतिकत: व्यक्त करने की योग्यता आत्म कार्यान्वयन, स्वशासन और मानवीय मूल्य की मान्यता जैसे क्षेत्रों में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। वहां भी, जहां राजनैतिक अभिव्यक्ति का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा के केंद्रीयकृत है, ख्याति का अधिकार परिधि के निकटतम है।[221]

6.23 **ठोस निवारक प्रभाव :** सिविल विधि वादों में संभाव्य धनीय नुकसान की तुलना में जुर्माना या कारावास जैसे आपराधिक दंड का साशय और विध्वंसक मानहानि के विरुद्ध काफी निवारक प्रभाव है। यह ऐसी स्थितियों में निर्णायक हो सकता है, जहां संवेदनशील पक्षकार है या लोकहित मुद्दे हैं।

6.24 **ख्याति के संरक्षण में लोक हित** : व्यक्ति की ख्याति और सामान्य भलाई पर मानहानि का गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। आपराधिक अभियोजन यह संदेश देता है कि ऐसी क्षति स्वीकार्य नहीं है और ख्याति के संरक्षण में लोकहित की अभिस्वीकृति प्रदान करता है। यू.एस. उच्चतम न्यायालय लोक महत्व के विषयों पर गंभीर बहसों में लोकहित को मान्यता देता है और **न्यूयार्क टाइम्स कं.** बनाम **सुलीव** (1964, यू.एस.)[222] वाले मामले में विख्यात व्यक्तियों के लिए मानहानि कार्रवाई में जीतने का एक उच्च मानक स्थिर किया। विख्यात व्यक्तियों के लिए मानहानि कार्रवाई में जीतने का एक उच्च मानक स्थिर किया। विख्यात व्यक्तियों के विरुद्ध भी किए गए दुर्भावपूर्ण और खुल्लम खुल्ला मिथ्या कथन आपराधिक विधि के अधीन है। पूर्वोक्त निर्णय का सुसंगत उद्धरण इस प्रकार है :

> *"लोक शासी नियम इस अभिधारणा पर निर्भर है कि उनके शासकीय आचरण की आलोचना निश्चय ही उनकी ख्याति को नुकसान नहीं पहुंचाती, या यदि वह ऐसा करती है तो वे शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने स्वयं को लोक संविवाद के भंवर में ढकेला है। इस प्रकार इस नियम का मुख्य अर्थ यह है कि हम मिथ्या होने की जानकारी या इस लापरवाही के साथ कि क्या यह मिथ्या था या नहीं, अर्थात् 'वास्तविक दुर्भाव' के मानक पर मानहानि के लिए दायित्व को आधार बनाएंगे। लोक मुद्दों पर बहस ग्रंथिमुक्त, सख्त और पूरी-पूरी खुली होनी चाहिए और यह कि इसमें सरकार और सरकारी कर्मचारियों पर जोरदार मर्मभेदी और कभी-कभी अप्रिय तीक्ष्ण हमले भी हो सकते हैं। न्यूयार्क टाइम्स विज्ञापन यद्यपि इसकी तथ्यात्मक त्रुटि से सुलवियन की ख्याति को बहुत नुकसान हुआ था फिर भी इस सबूत के बिना कि यह इसके मिथ्यात्व की जानकारी या सच्चाई की परवाह किए बिना लापरवाही से प्रकाशित किया गया था, नुकसानी के अधिनिर्णय को संवैधानिकत: न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।"*

---

[221] पूर्व टिप्पण 10.

[222] न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी बनाम सुलिवन 376 यू.एस.254 (1964).

6.25 **संवेदनशील समूहों को संरक्षित करना :** मानहानि विषयक आपराधिक विधियां अन्य संवेदनशील समूहों में सीमांत समुदायों या अल्पसंख्यकों के प्रति किए गए विभेद और घृणात्मक भाषण के विरुद्ध महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय उपलब्ध करा सकती है। आपराधिक शास्तियां ऐसे नुकसान पहुंचाने वाली टिप्पणियों को निवारित करने में लोकहित द्वारा न्यायोचित ठहरायी जा सकती है।

6.26 न्यायालय को ख्यातिगत अपहानि के प्रभाव का मूल्यांकन करते समय 'सुसंगत समुदाय के बर्ताव, विश्वास और पूर्वाग्रहों' पर विचार करना चाहिए क्योंकि यह सामाजिकत: सृजित क्षति है। मानहानि के विचारणों में, जूरी की भूमिका लोगों के जनरक्षक नेता के रूप में कार्य करना है; भाषण के लिए सरकार की अनुशास्तियों पर वीटो पावर के साथ विख्यात संस्था के रूप में कार्य करना है।[223]

6.27 चूंकि धनीय नुकसानी काफी अपर्याप्त उपचार है और ख्याति की पुनर्प्राप्ति नहीं कर सकती यदि एक बार क्षतिग्रस्त हो जाती है या भावनात्मक तनाव को कम नहीं कर सकती यदि उसका अनुभव महसूस कर लिया जाता है, यह वादी के लिए अपूरणीय क्षति के मानदंड को पूरा करना आसान होना चाहिए। तथापि, ऐसे अनुतोष न्यायालय द्वारा बिरले अनुदत्त किए जाते हैं। इसके बजाय अपमानलेख दावाकर्ताओं को 'कम प्रभावी उपचारों तक सीमित किया जाता है क्योंकि हम किसी व्यादेश नियम के बिना अपकृत्यात्मक या आपराधिक भाषण' के विरुद्ध नियमों के प्रवर्तन से डरते हैं।[224]

6.28 यह तर्क किया जा सकता है कि प्राख्यान करने वाला कोई साक्ष्य के साथ समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए और अभियोग लगाने वाले व्यक्ति को इसे खंडन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसलिए, स्वीकार्य उपचार के लिए घृणात्मक टिप्पणी के लिए तथ्यात्मक आधार का समाधान करना आवश्यक होगा। किंतु जैसा मानहानि विधि का इतिहास प्रदर्शित करता है, यह कोई साधारण उपक्रम नहीं है।

घ. सिविल मानहानि की अपर्याप्तता

6.29 यह जोखिम कि सिविल अपकृत्य प्रणाली 'पीछे ढकेलती है' और किए गए अपराध के लिए पर्याप्त प्रतिकर प्रदान नहीं करती, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ऐसे कारक जो यह उपदर्शित करते हैं कि क्यों आपराधिक न्याय प्रणाली न केवल सिविल विधि प्रणाली को मानहानि के अपराध से निपटना चाहिए कि आपराधिक अभियोजन न्याय की पैरवी करने की पीड़ित की इच्छा पर निर्भर नहीं है ; आपराधिक दंड शर्म और अपमान से युक्त है, कुछ ऐसी बात जो सिविल विधि उपलब्ध नहीं कराती। सिविल विधि का प्रयोजन व्यष्टियों को ड्राइविंग से कीमत प्रदान करना है; न कि लोगों का ड्राइविंग से रोकना ; बल्कि यह लापरवाह और खतरनाक ड्राइविंग

[223] लिरिसा बामेट लिडशकी, "मानहानि, प्रतिष्ठा और समुदाय का मिथक" वाशिंगटन लॉ रिव्यू 13 (1996).

[224] जॉन केली, "आपराधिक मानहानि और मुक्त भाषण",6 यूनिवर्सिटी ऑफ कैनसस लॉ रिव्यू 295 (1958).

को समाप्त करना चाहता है। आपराधिक विधि यह गारंटी देने के लिए परिकल्पित है कि विशिष्ट प्रकार का व्यवहार पूर्णत: समाप्त हो जाए। तब, सिविल विधि की तरह आपराधिक विधि नैतिक रुपसे आबद्धकर दोष और दंड अधिरोपित करने में सक्षम हो। यह प्रभावी रूप से यह संदेश देता है कि ऐसा करना ऐसी कोई बात करने के लिए विरत करता है जिसका कोई सामाजिक मूल्य नहीं है।[225]

6.30 यह तर्क किया गया कि सभी मिथ्यात्व और बेइमान व्यवहार को अवैध बनाना प्रशासनिक और विधिक दोनों दृष्टिकोणों से अव्यवहारिक होगा और यह वांछनीय भी नहीं होगा। यहां, ऐसी घटनाओं को प्रोन्नत नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर समाज का अधिकतम सामान्य कल्याण और कृत्यकारिता आपराधिक विधि का एक लक्ष्य है। यही एक कारण है कि इस तथ्य के बावजूद कि यह विषाद, घरेलू हिंसा और सामान्य अपराध में योगदान करता है, अल्कोहल प्रतिषिद्ध नहीं है। यह भी एक कारण है कि कारों को गति निर्बंधन X एमपीएच है यद्यपि X एमपीएच से कम गतिसीमा बेहतर होगी और वस्तुत: दुघटनाओं और अभिघातों की संख्या में कमी आएगी। कुछ बिंदुओं पर विधि जाने या अनजाने विनिश्चय करती है, जो शायद लोगों को संभवत: परिसंकटमय व्यवहारों में लगे रहने की अनुज्ञा देती है चूंकि उन्हें बिल्कुल अवरुद्ध करने का कल्याण और सामान्य खुशी पर उन्हें सहन करने की तुलना में अधिक नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। अंतत: यह संतुलनकारी कार्य है। उदाहरणार्थ, तम्बाकू का उपयोग करना प्रतिषिद्ध नहीं है। किंतु धूम्रपान को शासित करने वाली विधियां है, जो यह सीमित करती है कि उम्र के आधार कौन धूम्रपान कर सकता है और वे कहां धूम्रपान कर सकते हैं।[226] दंड संहिता झूठ बोलने के नैतिक भर्त्सना के अनुकूल नहीं है क्योंकि हम इस प्रतिस्पर्द्धी विचारों के साथ कि क्या सही और गलत है, एक बहुलवादी समाज में रहते हैं। किंतु क्योंकि झूठ बोलना समाज में आम बात है, का यह अर्थ नहीं कि यह सही या समुचित बर्ताव है। यह तथ्य कि कुछ स्थितियों में झूठ बोलने को विवक्षित रूप से स्वीकार किया जाता है और कुछ लोगों में पक्का हो गया है, आपराधिक अभियोजन से इसे छूट प्रदान नहीं किया जाता।

6.31 मानहानि के अपराध के अस्तित्व के विरुद्ध एक तर्क यह है कि कार्य के लिए सिविल उपचार ऐसे व्यक्ति, जिसकी ख्याति पर अनुचित रूपसे हमला किया है, को की गई अपहानि करने के लिए संशोधन करना एक सशक्त और सफल मार्ग है। **एस** बनाम **होलो**[227] वाले मामले में न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया और उस उद्देश्य के लिए शैक्षणिक लेखों की परीक्षा की किंतु अंतत: यह अवधारित किया कि आपराधिक शास्ति आवश्यक और निर्णायक है। कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने **आर** बनाम **ल्यूकास**[228] वाले मामले में मानहानिकारक अपमानलेख के

---

[225] ब्रायन एच. डुज़िन और जेसिका ली, "झूठ बोलने का अपराधीकरण: किन परिस्थितियों में, यदि कोई हो, झूठ को आपराधिक बनाया जाना चाहिए?", जर्नल ऑफ़ क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी 529-573 (2011).

[226] वही

[227] 2009 (1) एसएसीआर 276 (एससीए).

[228] (1998) 1 एससीआर 439.

समतुल्य अपराध पर विचार करते हुए यही निष्कर्ष निकाला, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया:

> *".... जहां ऐसी पीड़ित जिसका अपमानलेख किया गया है, प्रतिकर का पात्र है, अपराधकर्ता जिसने जानबूझकर और जानते हुए मिथ्या प्रकाशित करता है, अपने गंभीर दुराचार के लिए दंडित किए जाने का पात्र है ... यह तथ्य कि कोई व्यक्ति नुकसानी के लिए धनीय प्रतिकर का दावा कर सकता है, समाज के प्रचुर अननुमोदन के तत्समान लोक अभिव्यक्ति की आवश्यकता को अपवर्जित नहीं करता।"*

6.32 इस प्रकार **एम** बनाम **हो हो**[229] वाले मामले में न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था:

> *"यद्यपि अपमानित हुए व्यक्ति के धनीय नुकसानी के लिए वाद दायर करने के अधिकार को मान्यता प्रदान करना महत्वपूर्ण है, यह समानत है यदि अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि समाज अन्य व्यक्ति को घृणा और अवमान के लिए उद्धाटित विचारित झूठ के साशय प्रकाशन को हतोत्साहित करता है ..... मानहानिकारक अपमान लोक पीड़ित को चिरस्थायी या स्थायी क्षतियां कारित कर सकता है। पीड़ित को हमेशा के लिए अपने समुदाय की नजरों में अपमानित और नीचा दिखाया जा सकता है ... ऐसी अपहानि जो आपराधिक अपमानलेख का कार्य है इतना गंभीर हो सकता है और व्यष्टियों की ख्याति का संरक्षण करने वाली धारा का उद्देश्य इतना प्रशंसनीय है और यह कि दांडिक अपराध ऐसे महत्व का है कि अपराध को कायम रखा जाना चाहिए।"*

6.33 प्रिवी काउंसिल ने भी **बारमे** बनाम **कमिश्नर आफ पुलिस ग्रेनाडा**[230] वाले मामले में बल दिया कि अपमानलेख के लिए आपराधिक अनुशास्ति की आवश्यकता को सिविल विधि उपचार के अस्तित्व द्वारा किसी भी तरह से कम नहीं आंका जा सकता है :

> *"वस्तुत:, अपमान लेख का अपकृत्य उनके विरुद्ध जो ऐसे हमले करते हैं, नुकसानी के लिए सिविल उपचार का उपबंध करता है, किंतु यह और अधिक साबित नहीं करता कि साशयिक अपमानलेख का अपराध सम्परिवर्तन के ऐसे अपकृत्य के अस्तित्व की तुलना में अनावश्यक है, जो यह साबित करता है कि चोरी का अपराध अनावश्यक है।"*[231]

6.34 मानहानि का अपराध न केवल मिथ्या के साशयिक प्रकाशन से व्यक्ति की ख्याति को संरक्षित कर अपराध विधि का विधिसम्मत और महत्वपूर्ण लक्ष्य को पूरा करता है बल्कि यह ऐसे मामलों में संरक्षण प्रदान करता है जहां सिविल उपचार की कमी है। इस प्रकार, सिविल उपचार व्यावहारिक विकल्प नहीं प्रदान करता जहां पीड़ित के पास इसकी पैरवी करने के वित्तीय साधन नहीं है या जहां अपराध करने वाले पक्षकार के पास पीड़ित को धनीय नुकसानी का भुगतान करने के लिए साधन नहीं है।

---

[229] (2009 (एल) एसएसीआर 276 (एससीए).

[230] [2004] यूकेपीसी 8.

[231] शैनन होक्टर, मानहानि का अपराध - आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र में अभी भी बचाव योग्य ", OBITER 2013, यहां उपलब्ध: https:/4oumals.co.zaldoi/pdf/10.10520/EJC 137225.

6.35 ऐसे लोगों के लिए यह विडम्बना है जो ख्यातिगत अपहानि सहते हैं कि धन विशेषकर मानहानि के लिए अपर्याप्त उपचार है। यह इस कारण है कि ख्यातिगत क्षतियां आसानी से धनीय अनुतोष में परिवर्तनीय नहीं है क्योंकि धन से न तो क्षीण ख्याति की पुनर्प्राप्ति होती है और न ही वादी का भावनात्मक विषाद् समाप्त होता है। इसके अतिरिक्त, अपमानलेख प्रतिवादियों को उपलब्ध प्रक्रियागत संरक्षणों के कारण वादी को मानहानि विधि वाद को अंतिम स्थिति तक पहुंचाने में काफी विधिक खर्चा वहन करना पड़ता है किंतु बहुत थोड़े अपमानलेख वादी अपने मामले का मुकदमा लड़ने को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साध्य धनीय हानि वहन करते हैं।

6.36 **सिटिजन लाइट, हीट एंड पावर कं.** बनाम **मांटगोमरी लाइट एंड वाटर पावर कं.**[232] वाले मामले में न्यायालयने अपमानलेख का व्यादेश देने से इनकार किया और कहा :

> *"प्रतिवादी को कामन ला में जूरी विचारण द्वारा अवधारित मुद्दे की सत्यता या मिथ्यात्व रखने का अधिकार है, जो वह साम्या के न्यायालय में नहीं पा सकता है। व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करने से व्यादिष्ट नहीं किया जा सकता जब तक यह बिल्कुल स्पष्ट न हो कि कार्य दोषपूर्ण है या व्यादिष्ट किए जाने के लिए ईप्सित व्यक्ति को वह कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। साम्या का न्यायालय कैसे संतुष्ट हो सकता है, जहां अधिकार अभिकथित मिथ्या कथनों के मामले में निहित है। यह स्वयं के लिए प्रश्न का प्रयास नहीं कर सकता या विधि न्यायालय का अग्रिम में अधिकार को अवधारित करता है।"*

6.37 राजनैतिक सिद्धांतवादी जोयल फीनवर्ग ने 'सूक्तियों के चिंतन' के अपने सिद्धांत में यह कहा :

> *"विधिसम्मत या उचित अपराधीकरण के स्पष्ट मामलों से सामान्यीकरण करते हुए, प्रायोगिक रूप से हम यह प्राख्यान कर सकते हैं कि राज्य के लिए ऐसे आचरण को प्रतिषिद्ध करना विधिसम्मत है जो गंभीर प्राइवेट अपहानि कारित करता है या ऐसे अपहानि का अयुक्तियुक्त जोखिम कारित करता है या महत्वपूर्ण पब्लिक संस्थाओं और व्यवहारों की अपहानि कारित करता है। संक्षेप में, नागरिक के व्यवहार में राज्य का हस्तक्षेप नैतिक रूप से न्यायोचित प्रवृत्त हो सकता है जब यह अपहानि या हस्तक्षेपित व्यक्ति के अलावा पक्षकारों को अपहानि के अयुक्तियुक्त जोखिम को निवारित करने के लिए अयुक्तियुक्ततः आवश्यक है। (अर्थात् जब इसे आवश्यक और प्रभावी होने के लिए युक्तियुक्त आधार है)। अधिक संक्षिप्ततः, कर्ता के अलावा पक्षकारों को (प्राइवेट या पब्लिक) अपहानि निवारित करने की आवश्यकता हमेशा विधिक प्रपीड़न का समुचित कारण रहता है।"*[233]

6.38 न्यायालयों ने अधिकांश स्थितियों में मानहानिकारक भाषण के विरुद्ध व्यादेश जारी करने पर विचार किया किंतु इन आधारों पर ऐसा करने से इनकार किया कि ऐसा करना विधि विरुद्ध पूर्व अवरोध गठित करेगा। अधिकांश लोग सहमत हैं कि पूर्व अवरोध सिद्धांत उनके प्रकाशित होने के पूर्व सरकार द्वारा अधिरोपित भाषण सीमाओं का प्रतिषेध करता है।[234] जहां कई विभिन्न

---

[232] 171 एफ. 553 (1909), यूनाइटेड स्टेट्स सर्किट कोर्ट ऑफ एम.डी. अलबामा।

[233] लैरी अलेक्जेंडर और एमिली शेरविन। "नैतिकता और कानून में धोखा", 22 लॉ और फिल। 393, 396 (2003)।

[234] डेविड एस. अर्डिया. "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता. मानहानि, और निषेधाज्ञा", 55 डब्ल्यूएम. और मैरी एल. रेव. 1 (2013).

प्रकार की सरकारी कार्रवाइयां है जो पूर्व अवरोध के रूप में अर्ह हैं वहां भाषण संबंधी व्यादेशों को पूर्व अवरोध के सर्वोत्कृष्ट दृष्टांत के रुप में माना जाता है। **नेब्रास्का प्रेस एसोसिएशन** बनाम **स्टुआर्ट** वाले मामले में किए गए ऐसे आदेशों के हानिकर प्रभाव का उल्लेख मुख्य न्यायमूर्ति वर्गर ने किया, जिसमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'अपराधी प्रतिवादी की संस्वीकृति के बारे में प्रकाशित करने या प्रसारित करने से न्यूज मीडिया को प्रतिषिद्ध करने वाला राज्य विचारण न्यायाधीश का व्यादेश अननुज्ञेय पूर्व अवरोध था।'[235]

6.39 भाषण को प्रकाशित करने के पूर्व व्यादेश देने के लिए न्यायाधीशों को अनुज्ञात करने के विरुद्ध यह तीन मुख्य आक्षेपों की ओर यह ध्यान आकृष्ट करता है; संपूर्ण समाज के लिए स्वतंत्र भाषण को संरक्षित करने की आवश्यकता, व्यादेशों को अपरिहार्य धोखा देना और पश्चात् सिविल और आपराधिक शास्तियों को अधिरोपित किए जाने के पूर्व प्रक्रियागत सुरक्षोपाय की कमी।

ङ भारत के विधि आयोग की 42वीं रिपोर्ट की सिफारिश

6.40 भारत के पांचवें विधि आयोग ने 'भारतीय दंड संहिता' पर अपनी 42वीं रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता के पुनरीक्षण पर विचार किया। विधि आयोग ने आम जनता से सुझाव मांगते हुए एक प्रश्नावली जारी किया जिसमें उसने इंगित करते हुए यह पूछा कि क्या अपराध के रूप में मानहानि को भारतीय दंड संहिता में प्रतिधारित किया जाए क्योंकि यह वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अवरोध है। अधिकांशत: इस प्रश्न का उत्तर यह था कि इसे प्रतिधारित किया जाए। रिपोर्ट के अनुसार कारण यह था कि 'यदि अपराध विधि की अनुशास्ति को हटाया जाता है, जो न केवल खर्चीली है बल्कि कई मामलों में अनुपयोगी भी है। मानहानि के ऐसे कई दोषी व्यक्ति महत्वहीन व्यक्ति है और उनसे कुछ वसूला नहीं जा सकता है। आगे, लोक सेवकों को प्राय: अपमानित किया जाता है और अकेले अपराध विधि ही ऐसे विधि तोड़ने वालों से प्रभावी रूप से निपट सकती है।'[236]

6.41 पूर्वोक्त रिपोर्ट में, विधि आयोग ने सिफारिश किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 500 जो मानहानि के अपराध को दंडित करता है, यह उपबंधित करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए कि धारा में उपबंधित कारावास की प्रकृति 'साधारण कारावास' के बजाय 'दोनों तरह के कारावास' में परिवर्तित किया जाना चाहिए जैसा धारा में वर्तमान में उपबंधित है। इसी प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 501 और 502 के अधीन उपबंधित कारावास की प्रकृति जो क्रमश: मुद्रण और मानहानिकारक विषय को उत्कीर्णित और मुद्रित या उत्कीर्णित मानहानिकारक विषय को बेचने के लिए 'दोनों तरह के कारावास' में परिवर्तित करने की भी सिफारिश की थी।[237] आगे यह सुझाव दिया गया कि ऐसे मामलों में जहां मानहानिकारक

---

[235] नेब्रास्का प्रेस एसोसिएशन बनाम स्टुअर्ट, 427 यू.एस.539.

[236] भारतीय विधि आयोग की भारतीय दंड संहिता 330 पर 42वीं रिपोर्ट (जून, 1971)।

[237] वही 332.

कथन समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं और इस प्रकार अधिकांश व्यक्तियों को अवगत कराया गया है, समाचार पत्र में आपराधी के दंड के तथ्य को प्रकाशित करने के लिए न्यायालयों को सशक्त करने के लिए धारा 500 में उपधारा (2) जोड़ा जाए। यह उपबंधित करने के लिए धारा 500 में उपधारा (3) भी जोड़े जाने की सिफारिश की गई कि ऐसे प्रकाशन की लागत जुर्माने के रुप में दोषसिद्ध व्यक्ति से वसूला जाएगा। यह कारण बताया गया कि ऐसा कदम अपराधी को मात्र दंडित करने की तुलना में निर्दोष पीड़ित को अधिक संतुष्अि प्रदान करेगा।[238]

[238] वही 331.

7. अनुशंसाएं

7.1 यह तर्क किया जा सकता है कि मानहानिकारक कथनों के लिए आपराधिक अभियोजनवाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रतिकूल है। तथापि, ख्याति का संरक्षण केवल मानहानि को अपराधीकृत करने के पीछे संवेग नहीं है क्योंकि लोक संक्षोभ से दूर रहना समानत: महत्वपूर्ण प्रेरणा है। ऐसा प्रकाशन जो व्यक्ति की ख्याति की अपहानि कारित करता है लोकतंत्र में राजनैतिक प्रक्रिया का अंतनिर्हित भाग है और इसका दम घोंटना राजनैतिक प्रक्रिया को संकट में डालेगा। परिणामत:, राज्यों के लिए किसी ऐसी सामग्री के प्रकाशनों को अभियोजित करने के लिए अनियंत्रित प्राधिकार देने का तर्क करना बेतुका है क्योंकि उनके प्रकाशन मानहानि गठित करते हैं। किसी भी रुप का भाषण सामान्यत: अवैध नहीं होना चाहिए जब तक वे बहुत विनिर्दिष्ट और अप्रायिक परिस्थितियों में हैं। वस्तुत:, ऐसा करते समय परम सतर्कता बरते जाने की आवश्यकता है। भाषण को तभी अवैध होना चाहिए जब इसका आशय सारवान अपहानि कारित करना हो और जब ऐसी अपहानि को मूर्त रूप दे दिया गया हो।

7.2 ध्यातव्य है कि इन सभी तर्कों का मुख्य उद्देश्य निवारक है और ये सभी परिणामी प्रकृति के हैं। वर्ताव को सीमित करना उचित नहीं है जो गंभीरत: किसी और को सिविल विधि परिणामों के लिए अपहानि कारित करते हो। जहां कार्य के लिए अपकृत्य परिणाम होना परिपूर्णत: स्वीकार्य है वहीं इसे अपराध विधि के संदर्भ में भी समुचित रूप से विचार किया जाना चाहिए, चूंकि यह विधिक अवसंरचना है जिसमें ऐसे बर्ताव को समुचित रूप से निंदित और दंडित किया जा सकता है।

7.3 अत:, उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ख्याति अनुच्छेद 21 का अभिन्न भाग होने के कारण, इसे मात्र इस कारण कि व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति की भावना को आहत करने की लागत पर उसे अपनी वाक् स्वतंत्रता का उपभोग करना है, जोखिम में डालने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है। यह समझना चाहिए कि निर्बंधन पूर्णत: किसी के विचारों और धारणाओं पर नहीं है। यह एक संरक्षण है जिसका फायदा कोई भी इस स्थिति में उठा सकता है, जहां उसकी ख्याति आहत हुई है। कोई अधिकारपूर्ण नहीं है और समाज को शांतिपूर्ण और निवासयोग्य बनाने के लिए इसके भावनानुसार दोनों का सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन किया जाना चाहिए।

7.4 यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (ओएससीई) की रिपोर्ट से यह पता चला कि सत्तावन ओएससीई सदस्य देशों में से बयालीस देशों में एक या अन्य रूप में आपराधिक मानहानि को उपबंध हैं। यह भी पता चला कि आपराधिक मानहानि उपबंधों वाले लगभग सभी ओएससीई सदस्य देश संभाव्य दंड के रूप में कारावास का उपबंध करते हैं और अधिकांश ऐसे देश दो वर्ष तक की अवधि के कारावास का उपबंध करते हैं। ओएससीई के अधिकांश सदस्य देश

आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र हैं और यह देखा गया है कि ऐसे देशों में आपराधिक मानहानि उपबंधों की उपस्थिति ने आर्थिक और राजनैतिक विकास में बाधा नहीं डाली है ।[239]

7.5 भारत एक ऐसा देश है जो कौशलत: और सुखद भिन्न-भिन्न भाषाएं, विचार और धारणा का पालन करता है। सामाजिक तानाबाना ऐसा है कि लोग अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करना चाहते हैं और वह भी संरक्षित करना चाहते हैं जो उन्हें प्यारा है। ख्याति कुछ ऐसी चीज है जो देखी नहीं जा सकती और केवल उपार्जित की जा सकती है। यह एक आस्ति है जो पूरे जीवन भर बनाई जाती है किंतु क्षणों में नष्ट हो जाती है। आपराधिक मानहानि की विधि के चारो ओर संपूर्ण विधिशास्त्र में व्यक्ति की ख्याति और इसके फलकों को संरक्षित करने का तत्व है।

7.6 भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने अतिरिक्त दंड के रुप में सामुदायिक सेवा का उपबंध जोड़ा है। यह विधि स्वयं संतुलनकारी दृष्टिकोण प्रदान करती है। जिसमें उसने पीड़ित के हित को सुरक्षित किया है और सामुदायिक सेवा का आनुकल्पिक दंड देकर दुरुपयोग की व्याप्ति को भी तटस्थ किया है। विधि यह अभिस्वीकृति करती है कि ख्याति की अपहानि न केवल व्यक्ति पर हमला है बल्कि संपूर्ण समाज पर लांछन है, जिसके लिए अपराधकर्ता को पश्चाताप के कार्य के रूप में समुदाय की सेवा करने का दंड दिया जा सकता है। इस दंड के पुर:स्थापन के माध्यम से भारतीय विधि ने व्यक्ति की ख्याति और भाषण को भी संरक्षित करने में सर्वाधिक संतुलनकारी दृष्टिकोण अपनाया है।

7.7 अत:, आयोग सिफारिश करता है कि अपराध के रूप में अपराधिक मानहानि को हमारे देश की आपराधिक विधि की स्कीम में प्रतिधारित किया जाए ।

आयोग तद्नुसार सिफारिश करता है ।

---XXX---

[239] यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन, ओ.एस.सी.ई. क्षेत्र में मानहानि और अपमान कानून: एक तुलनात्मक अध्ययन (मार्च 2017)।

ह-/0

[न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी]

अध्यक्ष

ह-/0

[न्यायमूर्ति के. टी. शंकरन]

सदस्य

ह-/0

[प्रो. (डा.) आनंद पालीवाल]

सदस्य

ह-/0

[प्रो. डी. पी. वर्मा]

सदस्य

ह-/0

[डा. नितेन चंद्रा]

सदस्य (पदेन)

ह-/0

[डा. राजीव मणि]

सदस्य (पदेन)

ह-/0

[श्री एम. करुणानिधि]

अंशकालिक सदस्य

ह-/0

[प्रो. (डा.) राका आर्या]

अंशकालिक सदस्य